

मुकदमों का विवरण

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम

भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

(2016 की सिविल अपील सं. 11128) 16 अक्टूबर, 2023

[बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुवन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे:

क्या 1999 की नई दूरसंचार नीति के तहत दूरसंचार विभाग (डी. ओ. टी.) को उत्तरदाताओं-निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रकृति में राजस्व व्यय है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत कटौती की अनुमति दी जानी है, या, यह प्रकृति में पूंजी है और तदनुसार अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. के तहत इसका परिशोधन किया जाना आवश्यक है। और क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क को दो अवधियों में विभाजित करके आंशिक रूप से राजस्व और आंशिक रूप से पूंजी के रूप में विभाजित करने में सही था, यानी 31 जुलाई, 1999 से पहले और बाद में और तदनुसार यह अभिनिर्धारित करते हुए कि 31 जुलाई, 1999 तक की अवधि के लिए भुगतान या देय लाइसेंस शुल्क, यानी 1999 की नीति में निर्धारित तिथि को पूंजी के रूप में माना जाना चाहिए और उक्त तिथि को या उसके बाद देय शेष राशि को राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम, 1961-एस.35 एबीबी और 37-नई दूरसंचार नीति, 1999-1999 की नई दूरसंचार नीति के तहत दूरसंचार विभाग को भुगतान किया गया परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क-राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय-इसकी प्रकृति:

आयोजित किया गया:1. यह विचार करते हुए कि क्या व्यय की कोई वस्तु पूंजी या राजस्व प्रकृति की है, किसी को उस संस्था की प्रकृति, उस संस्था में आमतौर पर अपनाए जाने वाले व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम और उस उद्देश्य पर विचार करना चाहिए जिसके साथ व्यय किया जाता है। न केवल लेन-देन के रूप, बल्कि उसके सार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो सामग्री है वह भुगतान या विचाराधीन लेनदेन के माध्यम से सुरक्षित किए जाने वाले अधिकार की प्रकृति है। जिस उद्देश्य के लिए व्यय किया जाता है, उसे व्यय को वर्गीकृत करने के किसी भी प्रयास का मार्गदर्शन करना चाहिए। लेन-देन की संरचना या रूप या 372

371

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

भुगतान अनुसूची शायद ही लेन-देन की प्रकृति का संकेत देती है। इसलिए, यह स्वयं-सिद्ध रूप से नहीं माना जा सकता है कि एक ऐसा व्यय जिसे मूल रूप से पूंजी प्रकृति का माना जाता है, वास्तव में राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि भुगतान किशतों में संरचित है। यह पता लगाने के लिए कि क्या किशतों के रूप में संरचित व्यय पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय की प्रकृति का है, पहले यह आकलन करना होगा कि क्या एकमुश्त या किशतों में किया गया भुगतान पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण या विस्तार से संबंधित है, या इसके विपरीत, लाभ उत्पन्न करने के लिए संपत्ति के काम करने से संबंधित है; क्या पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण या विस्तार के लिए देय प्रतिफल को सुविधा के लिए किशतों में देय छोटी राशियों में काट दिया गया है। परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का वार्षिक भुगतान केवल लाइसेंस शुल्क के लिए होता है और केवल इसलिए कि इसका भुगतान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के आधार पर वार्षिक किशतों में किया जाता है, भुगतान को राजस्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। लाइसेंस शुल्क के वार्षिक भुगतान के साथ-साथ प्रवेश शुल्क भी एक एकल उद्देश्य से संबंधित है, यानी दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार का अधिग्रहण। यह अधिकार पूंजी परिसंपत्ति की प्रकृति का होने के कारण, अधिकार के अधिग्रहण के लिए किया गया कोई भी भुगतान, चाहे वह एकमुश्त हो या एजीआर पर निर्भर वार्षिक किशतों में, पूंजी संवितरण की प्रकृति का होगा। जहां आवधिक भुगतान किसी अधिकार के अधिग्रहण के लिए विचार के रूप में निर्धारित किया गया है, मूल दायित्व के लिए संदर्भित हैं या उनके साथ कोई संबंध है, आवधिक भुगतान पूंजीगत व्यय की प्रकृति में होंगे, इस तथ्य के बावजूद कि वे लाभ, सकल राजस्व या बिक्री के प्रतिशत के रूप में देय हैं। वर्तमान मामले में, चूंकि प्रवेश शुल्क के साथ-साथ परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क एक ही स्रोत से पता लगाया जा सकता है, इसलिए दोनों को पूंजी प्रकृति का माना जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान अलग-अलग तरीके से किया जाता है। [पैरा 22, 22.1, 22.2, 23.3, 23.4 और 24]

2. प्रवेश शुल्क के भुगतान के साथ-साथ 1999 की नीति के तहत डीओटी को उत्तरदाताओं-मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क पूंजीगत प्रकृति का है और अधिनियम की धारा 35 एबीबी के अनुसार इसका परिशोधन किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए किए गए खर्च को आंशिक रूप से राजस्व और आंशिक रूप से पूंजी के रूप में विभाजित करने के लिए लाइसेंस शुल्क को दो अवधियों, यानी 31 जुलाई, 1999 से पहले और बाद में विभाजित किया और तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया कि 31 जुलाई, 1999 तक की अवधि के लिए भुगतान या देय लाइसेंस शुल्क।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

अर्थात् 1999 की पॉलिसी में निर्धारित तिथि को पूंजी माना जाना चाहिए और उक्त तिथि को या उसके बाद देय शेष राशि को राजस्व माना जाना चाहिए। भुगतान के एक ही उद्देश्य के लिए होने की प्रकृति का केवल भुगतान के तरीके या माप में परिवर्तन या उस मामले के लिए वार्षिक

आधार पर भुगतान किए जाने के कारण अलग-अलग लक्षण नहीं हो सकते हैं। अंतिम विश्लेषण में, नामकरण और भुगतान का तरीका अप्रासंगिक है। 31 जुलाई, 1999 के बाद का भुगतान 31 जुलाई, 1999 से पहले के भुगतान की निरंतरता है, हालांकि एक परिवर्तित प्रारूप में जो भुगतान के सार को नहीं छीनता है। यह एक अनिवार्य भुगतान है जिसका पता मूलभूत दस्तावेज यानी 1999 की नीति में स्थानांतरण के बाद संशोधित लाइसेंस समझौते से लगाया जा सकता है। भुगतान न करने के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी को व्यापार से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार, यह एक ऐसा भुगतान है जो लाइसेंस के अस्तित्व के साथ-साथ व्यापार के लिए भी स्वाभाविक है। इस तरह के भुगतान को केवल पूंजी के रूप में माना या चित्रित किया जाना चाहिए। [पैरा 26 और 27]

कर/कराधान: व्यय-चाहे कोई दिया गया व्यय पूंजी हो या प्रकृति में राजस्व-सिद्धांतों और परीक्षाओं का निर्धारण-उन विचारों पर चर्चा की जाती है जो प्रश्न का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण नहीं हैं। [पैरा 19 और 21]

कर/कराधान-व्यय या प्राप्तियों का वर्गीकरण-वर्गीकरण के उद्देश्य से एकल उदाहरण पर भरोसा करने की भिन्नता-पूर्ववर्ती।

आयोजित किया गया: पहले के मामलों में किए गए प्रस्ताव, यदि एक अलग मामले पर लागू करने की कोशिश की जाती है, जो उन प्रस्तावों के लेखकों के दिमाग में नहीं था, तो बेतुके परिणाम हो सकते हैं। यह सामान्य बात है कि किसी निर्णय के शब्दों का अर्थ उसी तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए जैसे किसी कानून में है। इसलिए, उक्त मामले के तथ्यों पर आधारित एक मामले के कथन को दूसरे तथ्य-स्थिति तक विस्तारित करना न तो बुद्धिमानी है और न ही उपयुक्त है, जो प्रतीत होता है कि समान है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह विशेष रूप से तब होता है जब ऐसी कोई मिसाल नहीं होती है जिसे एक समान तथ्य स्थिति में प्रस्तुत किया गया हो, जैसा कि तत्काल मामलों में होता है। [पैरा 23]

कर/कराधान: पूंजीगत परिसंपत्तियाँ-मूल्यहास और परिशोधन-पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्यहास के अपवादों में से एक परिशोधन-आयकर अधिनियम, 1961 है। 35 ए, 35 एबी, 35 एबीए और 35 एबीबी।

आयोजित किया गया: परिशोधन मूल्यहास का एक रूप है, हालांकि, दोनों के बीच अंतर यह है कि मूल्यहास के मामले में, एक परिसंपत्ति हो सकती है

374

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

मूल्यहास उत्तरोत्तर होता है, और यहां तक कि विचाराधीन परिसंपत्ति की जीवन प्रत्याशा से पहले समाप्त हो सकता है, जबकि, परिशोधन के मामले में, परिसंपत्ति का मूल्य उत्तरोत्तर कम हो जाता है, जो अधिकार की अपेक्षित समय सीमा के साथ मेल खाता है।[पैरा 10.3]

रॉयल्टी-अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान और अधिकार या संपत्ति के उपयोग के लिए रॉयल्टी के भुगतान के बीच अंतर-चर्चा की गई।[पैरा 20]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

जोनास वुडहेड एंड संस लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (1997) 224 आई. टी. आर. 342; सी. आई. टी., मद्रास बनाम बेस्ट एंड कंपनी। (प्रा.) लिमिटेड (1966) 60 आई. टी. आर. 11; सदर्न स्विच गियर लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1998) 232 आई. टी. आर. 359 और सी. आई. टी. बनाम शारदा

बाइंडिंग वर्क्स, (1976) 102 आई. टी. आर. 187-लागू नहीं होता।

एलेम्बिक केमिकल वर्क्स कं. लिमिटेड बनाम सीआईटी (1989) 3 एससीसी 329:[1989] 2 एस. सी. आर. 303 और मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1973) 3 एस. सी. सी. 143:[1973]

2 एससीआर 429-प्रतिष्ठित।

एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (1980) 124 आई. टी. आर. 1; असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. पश्चिम बंगाल (1955) 27 आई. टी. आर. 34; सी. आई. टी. बनाम जालान ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड (1985) 4 एससीसी 59: [1985] 2 पूरक।एस. सी. आर. 517; पिंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1960) 40 आई. टी. आर. 67 (एससी); एल. एच. शुगर फैक्ट्री एंड ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, (1980) 125 आई. टी. आर. 293; मेसर्स देवीदास विठ्ठलदास एंड कंपनी बनाम सी. आई. टी.

बॉम्बे सिटी (1972) 3 एस. सी. सी. 457:[1972] 3 एस. सी. आर. 215 के आयुक्त आयकर, बॉम्बे सिटी। बनाम सी. आई. बी. ए. इंडिया लिमिटेड, (1968) 69 आई. टी. आर. 692 (एस. सी.); त्रावणकोर शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1966) 62 आईटीआर 566 और इंडिया सीमेंट्स बनाम आयकर आयुक्त,

60 आई. टी. आर. 52 (एस. सी.)-पर निर्भर।

कृषि आयकर बोर्ड, असम बनाम सिंधुरानी चौदुरानी (1957) 32 आईटीआर 169;
उद्यमशील उद्यम बनाम आयकर उपायुक्त, (2007) 293 आईटीआर 437; आदित्य मिनरल्स
प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी.कमिश्र

आयकर (1999) 8 एस. सी. सी. 97:[1999] 2 पूरक।एस. सी. आर. 233; सुंदरम
फाइनेंस लिमिटेड बनाम.केरल राज्य [1966] 2 एस. सी. आर. 828; सी. आई. टी. बेंगलूर
बनाम जे. एच.

गोटला, ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1698; गोटन लाइम बनाम सी. आई. टी., (1999)
239 आई. टी. आर. 718; और सी. आई. टी. बनाम मोदी रेवलॉन प्राइवेट लिमिटेड, 2012
एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4463-संदर्भित।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

375

द सिटी ऑफ लंदन कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनामस्टाइल्स, (1887) 2 टी. सी. 239;
वल्गाम्ब्रोसा रबर कंपनी लिमिटेड बनाम।किसान (1910) 5 टी. सी. 529; ऑन्सवर्थ (कर
सर्वेक्षक) बनाम विकर्स लिमिटेड (1915) 3 के. बी. 267; ब्रिटिश इंसुलेटेड हेल्सबी केबल्स
लिमिटेड बनामएथर्टन, (1926) एसी 205; हेनरिकसन बनाम ग्राफ्टन होटल लिमिटेड,
(1942) 24 टी. सी. 453; जॉन स्मिथ एंड सन बनाम मूर, (1921) 12 टी. सी. 266;
मैलेट बनाम स्टेवली कोल एंड आयरन कंपनी, (1928) 2 के. बी. 405; एंग्लो-फारसी ऑयल
कंपनी v.डेल (1932) 1 के. बी. 124; वान डेन बर्गस, लिमिटेड बनाम क्लार्क (एच. एम. कर
निरीक्षक) (1935) 19 टी. सी. 390; रॉबर्ट एडी एंड संस कोलियरीज लिमिटेड
बनामअंतर्देशीय राजस्व आयुक्त (1924) 8 टी. सी. 671; सन न्यूजपेपर्स लिमिटेड और
एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम फेडरल कमिश्रर ऑफ टैक्सेशन (1938) 61 सी. एल.
आर. 337; सी. आई. आर. बनाम एडम, (1928) 14 टी. सी. 34; बोनर बनाम बैसेट
माइंस लिमिटेड, (1912) 6 टी. सी. 145; रॉल्फ बनाम विम्पी वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड,
(1989) 62 टी. सी. 399; टकर बनाम ग्रेनाडा मोटरवे सर्विसेज लिमिटेड, (1979) 53
टी. सी. 92; लॉसन बनाम जॉनसन मैथे पीएलसी, (1992) 65 टी. सी. 39; डेल; सी.
आई. आर. बनाम कैरन कंपनी, (1968) 45 टी. सी. 18; हीदर बनाम पी. ई. कंसल्टिंग ग्रुप
लिमिटेड, (1972) 48 टी. सी. 293; वॉकर बनाम द ज्वाइंट क्रेडिट कार्ड कंपनी, (1982)
55 टी. सी. 617; सी. आई. आर. बनाम एनचंगा कॉपर माइन्स (1964) 1 सभी ई. आर.
208; अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम रामसे, 20 टी. सी. 79; अंतर्देशीय राजस्व बनाम
विलियम्स, 11 आई. टी. आर. पूरक।84; प्रेन्डरगैस्ट बनाम कैमरून, 8 आई. टी. आर.

पूरक।75 (एचएल)।- संदर्भित किया गया।

टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक एजेंसीज लिमिटेड, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, (1937) एल. आर.
64 इंडएपी 215; जबलपुर के मोहनलाल हरगोविंद बनाम आयकर आयुक्त, (1949) एल.

आर. 76 आई. एन. डी. ए. पी. 235; एस आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम शताब्दी कताई, बुनाई और विनिर्माण

कं., (1942) 10 आई. टी. आर. पूरक।, बनारसीदास जगन्नाथ, पुनः (1946) 15 आई. टी. आर. 185-संदर्भित।

आयकर, सुर कर और लाभ के कानून पर व्हीटक्राफ्ट का ग्रंथ
कर-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2016 की सिविल अपील सं. 11128।

2010 के आई. टी. ए. No.1336 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.12.2013 के निर्णय और आदेश से।

376

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

के साथ

सिविल अपील 2022 की Nos.4902,2018 की 162,2021 की 159,2017 की 4839,2021 की 153,2018 की 6897, सी. ए. डायरी संख्या 2019 की 4178,2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 2019 की 20740,20863, सिविल अपील 2021 की

Nos.158,302,303,11149,11148,11130,11131,11134,11132,11136, 11133,11135,11137,11140,11141,11139,11142,11143,11145,111 46,11147,2016 की

रूपः

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, वी. सी. भारती, सुश्री श्रुति शिव कुमार, राहुल विजय कुमार, सुश्री अमृता सी. मौली, राज बहादुर यादव, रुपेश कुमार, श्रीमती गार्गी खन्ना, राजेश कुमार सिंह, विक्रान्त यादव, एस. ए. हसीब, मनीष पुष्करना, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।अरविंद पी. दातार, अजय वोहरा, अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री कविता झा, वैभव कुलकर्णी, उदित नरेश, महेश अग्रवाल, सुश्री सायरी बसु मलिक, अभिनव गर्ग, सचित जॉली, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री दिशा झाम, सुश्री सौम्या सिंह, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, गुरप्रीत सिंह अजमानी, अनिकेत दीपक अग्रवाल, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

नागरत्ना, जे.

देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, दिनांक 19 दिसंबर, 2013 के 2010 के आई. टी. ए. संख्या 1336 और संबंधित मामलों में दिए गए फैसले, जिसके तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा है कि नई दूरसंचार नीति, 1999 ((इसके बाद सुविधा के लिए "1999 की नीति" के रूप में संदर्भित) के तहत उत्तरदाताओं-मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क प्रकृति में राजस्व व्यय है और आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 37 के तहत काटा जाना है। इनमें से कुछ अपीलें 377 के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से भी उत्पन्न होती हैं।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 378

19 दिसंबर, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के बाद बॉम्बे और कर्नाटक।

4. चूंकि इन अपीलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ा गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा सुना और निपटाया गया है।

विवाद के बारे में पक्षियों का नज़रिया:

5. इन मामलों में विवाद इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या 1999 की नई दूरसंचार नीति (1999 की नीति) के तहत दूरसंचार विभाग को प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क (जिसे इसके बाद "डीओटी" के रूप में संदर्भित किया गया है) राजस्व व्यय की प्रकृति का है और इसे अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए, या, क्या यह प्रकृति में पूंजी है, अधिनियम की धारा 35 एबीबी।

मामले के संक्षिप्त तथ्य:

6. 1994 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को 1999 की नई दूरसंचार नीति दिनांक 22 जुलाई, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1999 की उक्त नीति में निर्धारित किया गया था कि लाइसेंसधारक को एक बार का प्रवेश शुल्क और सकल राजस्व के प्रतिशत हिस्से पर अतिरिक्त रूप से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रभार्य प्रवेश शुल्क मौजूदा प्रचालक द्वारा 31 जुलाई, 1999 तक देय शुल्क होगा, जिसकी गणना उक्त तिथि तक की जाएगी और प्रभावी तिथि के काल्पनिक विस्तार पर समायोजित किया जाएगा। इसके बाद, 1 अगस्त, 1999 से लाइसेंस शुल्क अर्जित वार्षिक सकल राजस्व ("एजीआर", संक्षेप में) के प्रतिशत पर देय था। लाइसेंस शुल्क के रूप में लिए जाने वाले राजस्व हिस्से की मात्रा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ("ट्राई") की सिफारिश प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से तय की जानी थी, लेकिन इस बीच, भारत सरकार ने लाइसेंसधारी के सकल राजस्व का 15 प्रतिशत अस्थायी लाइसेंस शुल्क के रूप में लगाया। सरकार द्वारा टी. आर. ए. आई. की सिफारिश प्राप्त होने पर बकाया राशि का समायोजन किया जाना था।

6.1. 1999 की नीति के खंड 7 में निर्धारित किया गया था कि वहां जाने पर, लाइसेंसधारक मौजूदा लाइसेंस समझौते के अनुसार सीमित संख्या में ऑपरेटरों की व्यवस्था में काम करने के अधिकार को छोड़ देंगे और कई लाइसेंस व्यवस्था में काम करेंगे, यानी किसी दिए गए सेवा क्षेत्र में बिना किसी सीमा के अतिरिक्त लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। लाइसेंस की अवधि मौजूदा लाइसेंस समझौते, यानी 1994 के समझौते की प्रभावी तिथि से बीस साल बताई गई थी। नीति में प्रवास

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

1999 इस शर्त और आधार पर था कि शर्तों को पूरी तरह से और एक साथ एक पैकेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और सभी कानूनी कार्यवाही वापस ले ली जाएगी और 31 जुलाई, 1999 तक की अवधि से संबंधित कोई भी विवाद भविष्य की किसी भी तारीख को नहीं उठाया जाएगा। यदि सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मौजूदा लाइसेंस समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यहाँ उत्तरदाता 1999 की नीति में चले गए। उन्होंने 31 जुलाई, 1999 तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया था। प्रत्यर्थियों ने 31 जुलाई, 1999 तक भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय के रूप में माना, जो कि 22 जुलाई, 1999 के पत्र/संचार में निर्धारित एकमुश्त लाइसेंस शुल्क है।

6.2. दूरसंचार सेवाओं के व्यवसाय में लगी प्रत्यर्थी कंपनियों ने विभिन्न दूरसंचार क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त किए हैं। प्रारंभ में, उक्त लाइसेंस वर्ष 1994 में निष्पादित लाइसेंस समझौते के तहत दस साल की अवधि के लिए दिए गए थे, जो अधिकारियों के विवेक पर एक साल या उससे अधिक के विस्तार के अधीन था। उक्त लाइसेंस गैर-हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय था। यदि लाइसेंस की किसी भी अवधि का उल्लंघन हुआ या भुगतान में चूक हुई, तो साठ दिनों का नोटिस देने के

बाद लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस ने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सेवाओं को गैर-विशिष्ट आधार पर संचालित करने का अधिकार दिया और अधिकारियों को आम जनता के हित में या सुरक्षा कारणों से लाइसेंस समझौते की अनुसूची ए और अनुसूची बी में वर्णित लाइसेंस की शर्तों को संशोधित करने का अधिकार होगा। अनुसूचियाँ सेवा के क्षेत्र, शुल्क सीमा आदि से संबंधित थीं।

6.3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, सुविधा के लिए, 2016 की सिविल अपील संख्या 11128 के प्रमुख मामले के विशिष्ट तथ्यों का वर्णन नीचे किया जाएगा:

प्रत्यर्थी-निर्धारिती के अनुरोध के अनुसार, इसे सेलुलर मोबाइल सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए कुछ नियमों और शर्तों के साथ-साथ एक लाइसेंस दिया गया था। तदनुसार, 1999 की नीति को स्वीकार करने के बाद और 31 जुलाई, 1999 तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के बाद, यानी 22 जुलाई, 1999 के संचार में निर्धारित एकमुश्त लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के बाद, प्रत्यर्थी-सहायक 1999 की नीति द्वारा शासित व्यवस्था के तहत सेलुलर दूरसंचार और संबंधित मूल्य वर्धित सेवाओं के व्यवसाय में जारी रहा।

6.4. प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने शून्य आय घोषित करते हुए निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए 1 नवंबर, 2004 को अपनी आय की वापसी की। वही 379

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 380

30 मार्च, 2006 को अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले को जांच के लिए चुना गया था और 20 अक्टूबर, 2005 को अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत प्रतिवादी-निर्धारिती को एक नोटिस जारी किया गया था।

6.5. यह नोट किया गया था कि रु। 11,88,81,000/-, जो कि राजस्व बंटवारे के आधार पर निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क था, प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा राजस्व व्यय के रूप में दावा किया गया था। इस संबंध में, 15 नवंबर, 2006 की प्रश्नावली के माध्यम से, निर्धारिती से यह स्पष्ट करने की आवश्यकता थी कि उक्त राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में क्यों माना जा सकता है और बारह वर्षों की शेष लाइसेंस अवधि में इसका परिशोधन क्यों किया जा सकता है। प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने 04 दिसंबर, 2006 को प्रश्नावली पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। निर्धारिती के जवाब पर विचार करने पर, 27 दिसंबर, 2006 को एक मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि रु। 11,88,81,000/-, अर्थात् राजस्व बंटवारे के आधार पर निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क, जिसे राजस्व व्यय के रूप में दावा किया गया था, इसके बजाय लाइसेंस अवधि के शेष, यानी बारह वर्षों में परिशोधन किया जाना चाहिए था। तदनुसार, रु। 99,06,750/- को अधिनियम की धारा 35ABB के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी और शेष राशि रु। 10,89,74,250/- की अनुमति नहीं दी गई और प्रत्यर्थी-निर्धारिती की आय में वापस जोड़ा गया।

6.6.पीड़ित होने के कारण, प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली के समक्ष एक अपील का नेतृत्व किया। निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के अपने मामले में आयकर आयुक्त (अपील) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 27 सितंबर, 2007 के आदेश के माध्यम से यह दोहराया गया कि निर्धारिती के वार्षिक सकल राजस्व के आधार पर गणना की गई वार्षिक लाइसेंस शुल्क अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती योग्य राजस्व व्यय होगा।

6.7.उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-राजस्व ने न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अपील की। 24 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने भारती सेल्युलर लिमिटेड के मामले में आई. टी. ए. संख्या 5335 (डी. एल.)/2003 में 29 मई, 2009 के अपने पहले के आदेश के बाद राजस्व की अपील को मूल्यांकन वर्ष 2000-2001 के लिए खारिज कर दिया, जिसके तथ्यों को मामले के तथ्यों के समान माना गया था। इससे व्यथित होकर, राजस्व आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील का नेतृत्व किया।

6.8.उच्च न्यायालय के समक्ष, राजस्व ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कि उत्तरदाताओं को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "टेलीग्राफ अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत निष्पादित समझौते के तहत लाइसेंस दिया गया था। इस समझौते में कहा गया है कि सेलुलर मोबाइल सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए कुछ नियमों और शर्तों पर लाइसेंस दिया गया था। 1999 की दूरसंचार नीति के तहत मूल लाइसेंस में "स्थापना, रखरखाव और संचालन" शब्दों के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लाइसेंस शुल्क की प्रकृति और चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया गया था। जो बदला गया वह केवल गणना की विधि थी। कि निर्धारिती ने 1994 के समझौते के तहत देय लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब वे 1999 की नीति के तहत इस पर विवाद नहीं कर सकते। कि 1994 की नीति के तहत, चौथे वर्ष से, निर्धारिती को प्रति सौ अभिदाताओं के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। एकमात्र परिवर्तन जो इस उपाय में किया गया था, अर्थात्, 1999 की नीति के तहत, राशि को सकल राजस्व के 15 प्रतिशत में संशोधित किया गया था, लेकिन भुगतान की प्रकृति और चरित्र समान था। केवल किशतों में राशि के भुगतान ने पूंजी भुगतान को राजस्व भुगतान में परिवर्तित या परिवर्तित नहीं किया। दूरसंचार सेवाओं के संचालन का अधिकार प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। लाइसेंस की अवधि शुरू होने की तारीख से बीस साल थी और इसलिए खर्च पूंजीगत व्यय की प्रकृति में होता है।

6.9.इसके विपरीत, उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारिती का तर्क था कि 1999 की नीति के तहत देय लाइसेंस शुल्क राजस्व व्यय की प्रकृति का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आय साझा की जाती है और लाइसेंस शुल्क सकल राजस्व पर निर्भर करता है और वार्षिक रूप से देय होता

है। कि 1999 की नीति के तहत नए ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी किए गए थे और उन्हें प्रवेश और संचालन शुरू करने के लिए एक बार के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था और इसके अलावा, वार्षिक टर्न ओवर आधारित लाइसेंस शुल्क देय था। लाइसेंस शुल्क का एकमुश्त भुगतान प्रकृति में पूंजीगत व्यय था लेकिन वार्षिक देय लाइसेंस शुल्क राजस्व व्यय था। यह दूरसंचार के व्यवसाय को बनाए रखने और संचालित करने के लिए एक चालू खर्च था और इसलिए, वाणिज्यिक अर्थ में, वार्षिक भुगतान राजस्व व्यय की प्रकृति में था।

6.10. चूंकि न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया था कि निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क राजस्व व्यय के रूप में उचित रूप से कटौती योग्य था, इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता राजस्व 381 के कहने पर कानून का महत्वपूर्ण सवाल उठाया।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 382

क्या नई दूरसंचार नीति **1999** या **1994** समझौते के तहत देय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, **1933** के तहत उत्तरदाताओं द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय है जिसे अधिनियम की धारा **35** एबीबी के तहत परिशोधन करने की आवश्यकता है?"

उच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां और 19 दिसंबर, 2013 के फैसले में चर्चा किए गए मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

आई. धारा 35 ए. बी. बी. तब लागू होती है जब किसी निर्धारिती द्वारा दूरसंचार सेवाओं के संचालन का अधिकार प्राप्त करने के लिए पूंजीगत प्रकृति का व्यय किया जाता है। यह मायने नहीं रखता कि दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के लिए व्यवसाय शुरू होने से पहले या बाद में खर्च किया गया था या नहीं, लेकिन सामग्री यह है कि भुगतान वास्तव में किया जाना चाहिए। धारा 35 ए. बी. बी. एक ऐसा प्रावधान नहीं है जो लागू होता है और तब प्रभावी होता है जब खर्च स्वयं पूंजीगत प्रकृति का होता है और दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का अधिकार प्राप्त करने या उक्त सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह कि धारा 35 ए. बी. बी. इस प्रश्न को निर्धारित करने और तय करने में मदद नहीं करती है कि क्या 1999 की नीति के तहत या 1994 के समझौते के तहत भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क पूंजी या राजस्व प्रकृति का था।

ii. कि उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय का कोई निर्णय मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर सीधे लागू नहीं था और इसलिए, कई निर्णयों पर विचार करना उपयोगी होगा।

इस न्यायालय का, जिसमें एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, **(1980) 124 आईटीआर 1** ("एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड"); असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी., पश्चिम बंगाल, **(1955) 27 आई. टी. आर. 34** ("असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड"); कृषि आयकर बोर्ड, असम बनाम सिंधुरानी चौधरी, **(1957) 32**

आई. टी. आर. **169** ("सिंधुरानी"); उद्यमशील उद्यम बनाम आयकर उपायुक्त, **(2007) 293** आई. टी. आर. **437** ("उद्यमशील उद्यम")।

iii. उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन अन्य निर्णयों पर ध्यान दिया, जो अपीलार्थी-राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार गलत तरीके से लागू किए गए थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

हाथ में मामला। उक्त निर्णय हैं, जोनास वुडहेड और

सन्स लिमिटेड बनाम. आयकर आयुक्त, **(1997) 224** आईटीआर **342** ("जोनास वुडहेड एंड संस"), सदर्न स्विच गियर लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी., **(1998) 232** आई. टी. आर. **359** ("सदर्न स्विच गियर लिमिटेड"); सी. आई. टी., मद्रास बनाम बेस्ट एंड कंपनी। (प्रा.) लिमिटेड, **(1966) 60** आई. टी. आर. **11** ("बेस्ट एंड कंपनी")।

iv. उपरोक्त सभी निर्णयों पर विचार करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 29 में वर्तमान मामले के तथ्यों को निम्नानुसार समझा:

“29. जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हैं, तो निम्नलिखित स्थिति सामने आती है:

आई. लाइसेंस एक वैधानिक जनादेश के तहत जारी किया गया था और संचालन या व्यवसाय शुरू होने से पहले, सेलुलर टेलीफोन सेवाओं की स्थापना और रखरखाव और संचालन के लिए आवश्यक और अधिग्रहित किया गया था।

ii. लाइसेंस प्रारंभिक स्थापना के लिए था, लेकिन उसके बाद लाइसेंस की अवधि के दौरान सेलुलर टेलीफोन सेवाओं को बनाए रखने और संचालित करने के लिए था।

iii. जो कहा गया था उसके विपरीत, 1994 में निष्पादित लाइसेंस समझौते के तहत भुगतान और देय विचार इस समझ के साथ थे कि केवल दो खिलाड़ी होंगे जिन्हें सर्कल में सेलुलर टेलीफोन सेवा संचालित करने और प्रदान करने का निरंकुश अधिकार होगा। इसलिए, भुगतान में प्रतिस्पर्धा को रोकने या व्यवसाय को तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धा से बचाने का तत्व था।

iv. 1994 के समझौते के तहत, लाइसेंस शुरू में 10 साल के लिए था जिसे सरकार/प्राधिकरण के विवेक पर एक साल या उससे अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता था।

v. 1994 लाइसेंस किसी तीसरे पक्ष को या उप-लाइसेंस के माध्यम से या साझेदारी में निर्दिष्ट या हस्तांतरणीय नहीं था। कंपनी में तीसरे पक्ष को शेयरों के हस्तांतरण या जारी करने के संबंध

में कोई शर्त नहीं थी।vi. 1994 के समझौते के तहत, लाइसेंसधारी पहले 3 वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।चौथे वर्ष और उसके बाद के लिए, लाइसेंसधारी 383

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 384

रुपये की दर से परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। 5,00,000-प्रति 100 अभिदाता या उसके हिस्से के लिए, चौथे से छठे वर्ष के लिए देय न्यूनतम लाइसेंस शुल्क पर एक विशिष्ट सी शर्त के साथ और 7 वें वर्ष के बाद से संशोधित लेकिन इसी तरह की शर्तों के साथ।

vii.नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर या 60 दिनों का नोटिस देकर भुगतान न करने पर किसी भी समय लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

viii.प्राधिकरण ने 60 दिनों का नोटिस देकर जनता के हित में लाइसेंस रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा।

ix.1999 की नीति के तहत, लाइसेंसधारक को सीमित संख्या में ऑपरेटरों के शासन में काम करने के अधिकार को छोड़ना पड़ा और बहुपक्षीय शासन प्रतिस्पर्धा के लिए सहमत होना पड़ा जहां बिना सीमा के अतिरिक्त लाइसेंस जारी किए जा सकते थे।

x. लाइसेंस समझौते की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए वर्तमान शेयरधारिता पर तालाबंदी की अवधि थी, यानी प्रभावी तिथि और यहां तक कि सहायक या धारक कंपनी के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता के हस्तांतरण की भी इस अवधि के दौरान अनुमति नहीं थी।इसमें 1994 के समझौते को 'संशोधित' या स्पष्ट करने का प्रभाव था, जो चुप था।

xi.सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में गणना किया गया लाइसेंस शुल्क 1 अगस्त, 1999 से देय था।यह अस्थायी रूप से लाइसेंसधारी के सकल राजस्व के 15 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था, लेकिन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) की सिफारिश प्राप्त करने के बाद लाइसेंस शुल्क के रूप में लिए जाने वाले राजस्व हिस्से की मात्रा के बारे में सरकार के अंतिम निर्णय के अधीन था।

xii.31 जुलाई, 1999 को देय ब्याज और पूर्ण रूप से परिसमापन क्षति सहित बकाया राशि का कम से कम 35 प्रतिशत 15 अगस्त, 1999 को या उससे पहले भुगतान किया जाना था। बकाया राशि के भुगतान की तिथियां निर्दिष्ट की गई थीं।

xiii.31 जुलाई, 1999 तक के पिछले बकाया के साथ-साथ परिसमापन किए गए नुकसान का भुगतान 1999 की नीति में निर्धारित 31 जनवरी, 2000 या उससे पहले किया जाना था।

[2023] 13 एस सी आर।

xiv.1999 की नीति के तहत लाइसेंस की अवधि प्रभावी तिथि से शुरू होकर 20 साल तक बढ़ा दी गई थी।

xv.वार्षिक आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।इसलिए, सेलुलर टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में संचालन और संचालन जारी रखने के लिए इस हद तक लाइसेंस शुल्क देय था/है।”

v. उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान आंशिक रूप से पूंजी और आंशिक रूप से राजस्व था और यह मानना सही नहीं होगा कि पूरा शुल्क पूरी तरह से पूंजी या राजस्व प्रकृति का था।यह आगे देखा गया कि विचाराधीन लाइसेंसधारियों/मूल्यांकनकर्ताओं को सेलुलर टेलीफोन ऑपरेटरों के रूप में व्यवसाय शुरू करने या शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है; कि व्यवसाय शुरू करने या स्थापित करने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान एक पूर्व शर्त थी।कि यह भुगतान और नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन निर्धारित को दिया गया एक विशेषाधिकार था।तत्काल संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के अनुच्छेद Nos.31 से 36 को निम्नानुसार निकाला गया है:

“31. 1994 के समझौते के तहत लाइसेंस शुल्क ने यह सुनिश्चित किया कि एक सर्कल में केवल दो निजी ऑपरेटर होंगे और इस प्रकार उनके सीमित एकाधिकार की रक्षा की जाएगी और तीसरे पक्ष के निजी खिलाड़ियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया जाएगा। लाइसेंसधारियों का सीमित एकाधिकार सुनिश्चित किया गया था।अनुज्ञप्ति शुल्क में अनुज्ञप्तिधारियों के उक्त अधिकार के प्रति एक तत्व शामिल था।1994 पहले तीन वर्षों के लिए हुए समझौते में अभिदाताओं की संख्या के बावजूद एकमुश्त भुगतान का प्रावधान किया गया था। बाद के वर्षों के लिए न्यूनतम शुल्क भी निर्धारित किया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि लाइसेंसधारक 1994 के समझौते के अनुसार भुगतान करने में असमर्थ थे और 1999 की नीति के तहत, निर्दिष्ट तिथि से पहले पिछले बकाया के लिए एकमुश्त भुगतान करने की आवश्यकता थी।

32. 1994 के समझौते के तहत लाइसेंस के हस्तांतरण या उप-लाइसेंस देने पर भी प्रतिबंध था, लेकिन शेयरधारिता के परिवर्तन पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं था।1999 नीति ने यह सुनिश्चित किया कि शेयरधारिता भी प्रभावी तिथि से 5 साल की अवधि के लिए न बदले।ऊपर पैराग्राफ 15 में लाइसेंस प्राप्त करने के प्रभाव की जांच की गई है।लाइसेंस इस तरह से निर्दिष्ट या हस्तांतरणीय नहीं था, लेकिन शेयर पूंजी को शामिल करने, शेयरों के हस्तांतरण आदि की अनुमति शर्तों के अधीन थी 385

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 386

1999 की नीति में।वाणिज्यिक अर्थों में लाइसेंस सबसे मूल्यवान अधिकार है जो कंपनी के पास है और उसके पास है।इस प्रकार, भुगतान लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो आवश्यक और अनिवार्य है, व्यवसाय की स्थापना के लिए और संचालन या व्यवसाय को जारी रखने और चलाने के लिए पूर्व शर्त है।फिर भी, जैसा कि नीचे देखा गया है, इसे एक बार के प्रवेश शुल्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जो एक व्यक्ति को व्यवसाय स्थापित करने के लिए देना पड़ता है।इसलिए यह पूंजी और राजस्व दोनों के समग्र भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है।

33. लाइसेंस शुल्क भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत लगाया गया था और देय था और अनिवार्य था।समान भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप व्यावसायिक संचालन बंद हो जाएगा या बंद हो जाएगा।1999 की नीति के तहत, देय राशि ग्राहकों से सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित सकल राजस्व के बंटवारे की बात करती है।1994 जैसा कि देखा गया है, समझौते में साझा करने का प्रावधान था, लेकिन न्यूनतम भुगतान की शर्त के साथ।लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने के मामले में, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और लाइसेंसधारी को सेलुलर टेलीफोन सेवा जारी रखने और जारी रखने की अनुमति नहीं थी।इस प्रकार, देय लाइसेंस शुल्क सेलुलर टेलीफोन सेवाओं को बनाए रखने और संचालित करने के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ समान रूप से था।यह एक परिचालन व्यय भी था और भुगतान न करने के परिणामस्वरूप रद्द किया जा सकता है।सहनशीलता के लिए वर्तमान खर्चों की आवश्यकता होती है और यह राजस्व हिस्से पर भुगतान के अधीन है।यह मान लेना या प्रस्तावित करना सही नहीं होगा कि लाइसेंस की अवधि के दौरान पूरा भुगतान, आस्थगित पूंजी भुगतान है।1994 के समझौते या 1999 की नीति के तहत यह इरादा था/नहीं है।इसका उद्देश्य लाइसेंस को बनाए रखने और संचालित करने के लिए सकल आय को साझा करना भी है।

34. इस तरह का लाइसेंस शुल्क संभावना शुल्क, पट्टे के अधिकार के अधिग्रहण के साथ-साथ पट्टे दोनों के समान है, जो रेत/तेंदू के पत्तों आदि को हटाने में सक्षम बनाता है, क्योंकि कुछ भी जीतने या निकालने की आवश्यकता नहीं है।आंशिक भुगतान एक प्रारंभिक निवेश के लिए था जिसे एक निर्धारिती को व्यवसाय स्थापित करने के लिए करना पड़ता था।यह व्यवसाय की स्थापना के लिए एक पूर्व शर्त थी।इसमें तत्व है और इसमें 'संपत्ति' यानी सेलुलर टेलीफोन सेवा स्थापित करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान शामिल है।लेकिन लाइसेंस निर्धारिती को व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रखने, संचालित करने और जारी रखने की अनुमति देता है।लाइसेंस शुल्क का भुगतान निश्चित है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सामग्री और पट्टे के किराए की तरह है जो लाइसेंस का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए समय-समय पर देय होता है।

35. अधिग्रहित लाइसेंस शुरू में 10 साल के लिए था और 1999 की नीति के तहत अवधि को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया था, लेकिन यह स्वयं 1999 की नीति के तहत राजस्व साझाकरण के आधार पर भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क को संपत्ति हासिल करने के लिए किए गए पूंजीगत व्यय के रूप में मानने को उचित नहीं ठहराता है। जैसा कि एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में देखा गया है, स्थायी लाभ परीक्षण की सीमा है और इसे वाणिज्यिक या व्यावसायिक पहलुओं पर विचार किए बिना यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायिक वर्गीकरण के बजाय व्यावहारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण और विचार निर्धारक कारक हैं। राजस्व बंटवारे के आधार पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान सेलुलर टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में व्यवसाय करने के लिए किया जाता है। यह एक सामान्य व्यावसायिक खर्च है।

36. इस तरह से पढ़ें, सरकार/प्राधिकरण द्वारा निर्धारिती को दिया गया लाइसेंस एक पूंजीगत संपत्ति होगी, फिर भी, निर्धारिती को जारी रखने के लिए सकल राजस्व पर वार्षिक आधार पर भुगतान करना होगा, व्यवसाय का संचालन और संचालन करने में सक्षम होने के लिए, यह प्रकृति में राजस्व भी होगा। वार्षिक आधार पर निर्धारित राजस्व साझेदारी भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप संचालन का अधिकार समाप्त हो जाएगा और बदले में निर्धारिती को पूंजीगत संपत्ति की सहायता से व्यवसाय करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। भुगतान न करने से निर्धारिती को सेवाएं प्रदान करने से रोका और रोका जा सकेगा।”

vi. पैराग्राफ 36 में, यह देखा गया था कि सरकार या संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती को दिया गया लाइसेंस एक पूंजीगत संपत्ति होगी और फिर भी, चूंकि निर्धारिती को व्यवसाय का संचालन और संचालन जारी रखने के लिए सकल राजस्व पर वार्षिक आधार पर भुगतान करना पड़ता था, इसलिए यह राजस्व व्यय की प्रकृति में भी होगा। इस प्रकार राय देने के बाद, उच्च न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क को आंशिक रूप से राजस्व और आंशिक रूप से पूंजी के रूप में विभाजित करने का निर्णय लिया और लाइसेंस शुल्क को दो अवधियों में विभाजित किया, यानी 31 जुलाई, 1999 से पहले और बाद में और यह कहा कि लाइसेंस शुल्क जो 31 जुलाई, 1999 तक की अवधि के लिए भुगतान किया गया था या देय था, यानी 1999 की नीति में निर्धारित तिथि को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए और उक्त तिथि को या उसके बाद देय शेष राशि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। इनके कारण 387 थे।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 388

उक्त निर्णय के पैराग्राफ 43 से 46 में निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है:

“43. सेलुलर टेलीफोन सेवा की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए लाइसेंस शुल्क देय था। स्थापना और स्थापना प्रारंभिक वर्षों में हुई और उसके बाद किए गए भुगतान सेलुलर टेलीफोन सेवा के संचालन या रखरखाव के लिए थे। प्रारंभिक परिव्यय और भुगतान, इसलिए, प्रकृति में पूंजी है, जबकि बाद में किए गए परिव्यय और भुगतान सेवा के संचालन और रखरखाव के लिए हैं। 1999 22 जुलाई, 1999 के पत्र के रूप में नीति एक बार के प्रवेश शुल्क को भी

संदर्भित करती है जो प्रभार्य है और जिसकी गणना 31 जुलाई, 1999 तक देय लाइसेंस शुल्क बकाया के रूप में की जानी थी और उसके बाद सकल राजस्व के प्रतिशत हिस्से पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाता था। दूसरों को जारी किए गए नए लाइसेंसों में एक बार का प्रवेश शुल्क और फिर साझेदारी के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी निर्धारित किया गया था। 1999 की नई नीति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने वाली पिछली नीति में बदलाव किया गया और लाइसेंसधारक सीमित संख्या में ऑपरेटरों के शासन में काम करने के अपने अधिकार को छोड़ देते हैं। एक अन्य कारण है कि हम महसूस करते हैं कि 31 जुलाई, 1999 को या उससे पहले की अवधि के लिए देय लाइसेंस शुल्क को पूंजी के रूप में माना जाना चाहिए और उसके बाद राजस्व के रूप में देय राशि, धारा 35 एबीबी को देखते हुए उचित और उचित है। हम उपरोक्त खंड को पहले ही उद्धृत कर चुके हैं। प्रावधान में प्रावधान है कि पूंजीगत प्रकृति के लाइसेंस शुल्क का परिशोधन राशि को लाइसेंस के शेष वर्षों की संख्या से विभाजित करके किया जाएगा। इस प्रकार, लाइसेंस शुल्क की पूंजीकृत राशि को लाइसेंस की अनिश्चित अवधि में कटौती के रूप में विभाजित किया जाना है। इस प्रावधान के तहत बाद के वर्षों में परिशोधन राशि में काफी वृद्धि होगी और पिछले वर्ष में संपूर्ण लाइसेंस शुल्क के साथ-साथ आगे लाई गई परिशोधन राशि को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। एक विशेष समय के बाद, धारा 35 ए. बी. बी. के तहत स्वीकार्य कटौती उक्त वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में निर्धारित द्वारा वास्तविक भुगतान से अधिक होगी। यह आम तौर पर लाइसेंस अवधि की मध्य अवधि के बाद होता है। इसलिए धारा 35 ए. बी. बी. यह सुनिश्चित करती है कि पूंजी भुगतान को अवधि में कटौती के रूप में विधिवत अनुमति दी गई है और एक बार व्यय की अनुमति दिए जाने के बाद, यह राजस्व या कर तटस्थ होगा बशर्ते इस अवधि के दौरान कर की दरें समान रहें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

44. उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 9 पर आई. टी. ए. संख्या मुख्य रूप से परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क से संबंधित है, जिसे 1999 की नीति के तहत साझा किया जाना है, जबकि हचिसन एस्सार लिमिटेड के खिलाफ आई. टी. ए. संख्या 417/2013 एफ. आई. 1994 के समझौते के तहत चौथे वर्ष के लिए देय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क की अवधि से संबंधित है।

45. इसका प्रभाव यह है कि हम 1999 की नीति के अनुसार कार्यकाल के संदर्भ में लगभग 20 प्रतिशत खर्च को पूंजी प्रकृति के रूप में मान रहे हैं, जबकि यदि हम 1994 के समझौते को लागू करते हैं, तो हम सेलुलर व्यवसाय की स्थापना या स्थापना के लिए देय अवधि के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत खर्च को मानेंगे। जब तक 1999 की नीति उत्तरदाताओं-मूल्यांकनकर्ताओं के मामले में लागू की गई, तब तक सेलुलर टेलीफोन व्यवसाय शुरू हो चुका था और चल रहा था। 1999 की नीति में लाइसेंस की अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल करने का प्रभाव था, लेकिन प्रभावी तिथि से। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसका प्रभावी रूप से मतलब है कि पहले चार वर्षों में भुगतान किए गए पूरे लाइसेंस शुल्क को पूंजी प्रकृति के रूप में माना जाता है,

यानी सेलुलर टेलीफोन व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया गया खर्च, जबकि 5 साल के बाद से साल-दर-साल आधार पर देय शेष व्यय को सेलुलर टेलीफोन व्यवसाय चलाने और संचालित करने के लिए राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

46. हालाँकि, हम हुथिसन एस्सार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके इस तर्क के समर्थन में दिए गए दो निर्णयों पर चर्चा करना चाहेंगे कि 31 जुलाई, 1999 से पहले भी परिवर्तनीय शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह 4 वर्ष था और निर्धारिती का तर्क है कि इस वर्ष 1994 के समझौते के अनुसार भी न्यूनतम गारंटी के अधीन राजस्व बंटवारे के आधार पर भुगतान किया जाना था। निर्धारिती के विद्वान वकील ने सी. आई. टी. बनाम शारदा मोटर्स इंडस्ट्री लिमिटेड (ऊपर) पर भरोसा किया था। उक्त मामले में जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड (उपरोक्त) को यह अभिनिर्धारित करने के लिए संदर्भित किया गया था कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। राजस्व सदर्न स्विच गियर लिमिटेड बनाम पर निर्भर था। सी. आई. टी. (1998) 232 आई. टी. आर. 359 (एस. सी.), लेकिन उक्त निर्णय को इस आधार पर अलग किया गया कि एकमुश्त रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और न्यायाधिकरण द्वारा इसके 25 प्रतिशत को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि यह पूंजी भुगतान था। शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में, प्रति टुकड़े की गणना की गई उत्पादित वस्तुओं की मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाना था। हालाँकि, यह एकमात्र आधार प्रतीत नहीं होता है कि भुगतान को 389 क्यों माना गया

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 390

राजस्व व्यय। अदालत ने अन्य तथ्यों पर भरोसा किया था जो उसी पैराग्राफ 3 में देखे गए हैं यानी भुगतान व्यवसाय चलाने के लिए किया गया था। विभाजन और भुगतान का सवाल व्यवसाय स्थापित करने के लिए नहीं किया गया था। सी. आई. टी. बनाम मोदी रेवलॉन (पी.) लिमिटेड (2012) में 26 टैक्समैन। 133 (दिल्ली), इस उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कहा कि इस अवधि में विकसित परीक्षणों ने 'एक बार और सभी के लिए' भुगतान और अधिक संरचित दृष्टिकोण की प्रयोज्यता को अस्वीकार कर दिया है जो कई कारकों को ध्यान में रखेगा जैसे कि लाइसेंस की अवधि; क्या लाइसेंस ने आगे के अधिकार बनाए; क्या गोपनीय जानकारी के उपयोग के लिए प्रतिबंध था; क्या लाभ एक बार और हमेशा के लिए हस्तांतरित किए गए थे; क्या लाइसेंस की समाप्ति के बाद, योजनाओं और चित्रों को वापस किया जाना था, आदि। जैसा कि ऊपर माना और देखा गया है, यह प्रकृति और उद्देश्य है जिसके लिए भुगतान किया जाता है जो भुगतान की प्रकृति को निर्धारित करता है। उक्त मामले में, यह देखा गया कि निर्धारिती को दिखाने या ज्ञान निहित करने का सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था और इसलिए, निर्धारिती को कोई स्थायी लाभ नहीं मिला। इस प्रकार, रॉयल्टी भुगतान को प्रकृति में राजस्व माना जाता था।”

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया गया था:

“47. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मद संख्या 1 से 9 में ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया गया है:

(i) लाइसेंस शुल्क के लिए किया गया व्यय आंशिक रूप से राजस्व और आंशिक रूप से पूंजी है। 31 जुलाई, 1999 तक देय लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए और 1 अगस्त, 1999 के बाद राजस्व बंटवारे के आधार पर लाइसेंस शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए।

((ii) पूंजीगत व्यय अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. के अनुसार कटौती के योग्य होगा।

48. हचिसन एस्सार प्राइवेट लिमिटेड के मामले में राजस्व द्वारा आई. टी. ए. सं. 417/2013 की अपील 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष 1999-2000 से संबंधित है। यह 31 जुलाई, 1999 की अवधि से पहले की अवधि के लिए है। उपरोक्त चर्चा के अनुसार, 31 जुलाई, 1999 को या उससे पहले देय लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

और उसके बाद देय लाइसेंस शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 21 अगस्त, 2013 के आदेश में दर्ज इस अपील में सुनवाई के लिए स्वीकार किए गए कानून के प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में और प्रतिवादी निर्धारिती के खिलाफ दिया जाना है।”

6.11. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 19 दिसंबर, 2013 के अपने फैसले में उपरोक्त तर्क और निष्कर्ष पर पहुंचने से व्यथित होकर, जिसके बाद दिल्ली, बॉम्बे और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

प्रस्तुतियाँ:

7. हमने राजस्व की ओर से भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.), श्री एन. वेंकटरमन और प्रतिवादी-मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजय वोहरा, श्री अरविंद दातार और विद्वान वकील श्री सचित जॉली को सुना है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ-राजस्व:

7.1. ज्ञात ए. एस. जी. ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का 19 दिसंबर, 2013 का निर्णय गलत है क्योंकि उसने लाइसेंस शुल्क के भुगतान को विभाजित करने की मांग की है ताकि यह माना जा सके कि प्रारंभिक चार वर्षों में भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क को

पूँजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार परिशोधन किया जाना चाहिए, जबकि पाँचवें वर्ष के बाद से वार्षिक आधार पर देय शुल्क, निर्धारिती के सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में, राजस्व/व्यावसायिक व्यय के रूप में माना जाता था। इसे आगे इस प्रकार तर्क दिया गया: आई. कि भुगतान की अनुसूची आयकर कानून के तहत लेनदेन को फिर से परिभाषित नहीं कर सकती है, विशेष रूप से जब इस न्यायालय ने समय-समय पर निर्धारित किया था कि भुगतान की अनुसूची, चाहे वह एकमुश्त हो या आवधिक, आयकर कानून के तहत इसके वर्गीकरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण नहीं है। एक ही उद्देश्य के लिए भुगतान (ओं), यानी लाइसेंस शुल्क का भुगतान, आंशिक रूप से पूँजी के रूप में और आंशिक रूप से प्रकृति में राजस्व के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, कृत्रिम रूप से एक भाग को प्रवेश शुल्क के रूप में और शेष, वार्षिक रूप से देय, जब दोनों प्रकार का भुगतान लाइसेंस शुल्क के लिए था।

ii. कि जब प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं ने 1994 391 के तहत पूँजीगत व्यय के रूप में वार्षिक रूप से भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क का विधिवत परिशोधन कर दिया है।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 392

जहां तक बाद के वर्षों के लिए परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का संबंध है, लाइसेंस व्यवस्था के साथ-साथ 1999 की नीति के तहत प्रवेश शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं था। संबंधित वर्ष में वार्षिक सकल राजस्व के आधार पर वार्षिक रूप से किए जाने वाले परिवर्तनीय भुगतान भी लाइसेंस शुल्क के लिए थे। इसलिए, एक नई व्यवस्था में प्रवास करने पर इसके कर व्यवहार में बदलाव नहीं हो सकता था, जिसमें भुगतान की प्रकृति को संरक्षित करते हुए केवल भुगतान अनुसूची को संशोधित किया गया था।

iii. प्रवेश शुल्क या वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान, मूल रूप से केवल टेलीग्राफ प्रणाली की स्थापना, रखरखाव या संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि उपरोक्त में से कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है, या कम भुगतान किया जाता है, तो टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 4 सरकार को विचार के खिलाफ लाइसेंस देने के लिए अधिकृत करती है। इसलिए, प्रवेश शुल्क के साथ-साथ वार्षिक लाइसेंस शुल्क दोनों धारा 4 के तहत प्रभार्य 'प्रतिफल' के दायरे में शामिल हैं। इसलिए, लाइसेंस शुल्क को दो घटकों में विभाजित किया जाना चाहिए, अर्थात्, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रवेश शुल्क और लाइसेंस के संचालन के लिए परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इस तरह के विखंडन की न तो वैधानिक रूप से अनुमति है और न ही लाइसेंस समझौते में निर्धारित किया गया है।

iv. अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. का उल्लेख करते हुए, जो दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के परिशोधन की अनुमति देता है, यह तर्क दिया गया कि उक्त प्रावधान "दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का कोई अधिकार प्राप्त करने" के लिए किए गए भुगतान के संबंध में लागू होता है, चाहे ऐसा भुगतान "व्यवसाय शुरू

होने से पहले या उसके बाद पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किया गया हो।" उपरोक्त अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, भुगतान का तरीका और तरीका अप्रासंगिक हो जाता है। जब तक भुगतान लाइसेंस शुल्क के लिए है, तब तक इस तरह से किया गया खर्च "पूंजीगत व्यय की प्रकृति में" होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 35 एबीबी के तहत परिकल्पित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

v. यह अभिव्यक्ति "या तो व्यवसाय के संचालन से पहले या उसके बाद" अधिनियम की धारा 35 एबीए में भी पाई जाती है जो स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार से संबंधित है, धारा 35 एबीबी के समान जो दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के लाइसेंस से संबंधित है। इसलिए विधायी इरादा स्पष्ट है कि ये दोनों अधिकार भुगतान पर केंद्र सरकार से प्राप्त होंगे, और इसके अलावा, अर्जित अधिकारों की प्रकृति को देखते हुए भुगतान आंशिक रूप से एकमुश्त और आंशिक रूप से विलंबित तरीके से होगा।

vi. रिलायंस को संविधान-पीठ के फैसले पर रखा गया था

इस न्यायालय का आदित्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1999) 8 एस. सी. सी. 97 ("आदित्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड") को

इस बात पर जोर देते हुए कि इसमें निर्धारित कानून यह है कि जब तक भुगतान पूंजीगत व्यय के लिए है, तब तक यह मायने नहीं रखता है कि इसका भुगतान एकमुश्त किया जाता है या आवधिक भुगतान के रूप में, या दोनों के संयोजन के रूप में। कि भुगतान का तरीका व्यय की प्रकृति की पहचान करने में निर्धारक नहीं होगा, यानी कि यह पूंजी है या नहीं।

vii. कि असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय ने स्पष्ट किया है कि व्यय का उद्देश्य और उद्देश्य उसके स्वरूप को निर्धारित करेगा, जबकि भुगतान के स्रोत और तरीके का कोई परिणाम नहीं होगा।

viii. जोनास वुडहेड एंड संस, सर्जन के मामलों का उल्लेख करते हुए

स्विच गियर लिमिटेड और बेस्ट एंड कंपनी, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में संदर्भित किया गया है, यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त मामलों पर निर्भरता गलत है क्योंकि उक्त मामले किसी एक स्रोत/उद्देश्य से संबंधित नहीं थे जिसके लिए अलग-अलग रूपों में भुगतान किए गए थे। इसके विपरीत, उक्त मामलों में, भुगतान का उद्देश्य विभिन्न विषयों के मामलों में पता लगाया जा सकता था और तदनुसार, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि भुगतान को विभाजित किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किया गया लाइसेंस दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन के

लिए एक ही लाइसेंस है। चूंकि यह विभाज्य अधिकारों के लिए लाइसेंस नहीं है जो विभाज्य भुगतान की कल्पना करता है, लाइसेंस का विभाजन 393

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 394

शुल्क यह मानते हुए कि भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क प्रतिष्ठान और इसलिए, पूंजी के लिए है, जबकि सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क संचालन और रखरखाव के लिए है और इसलिए, राजस्व, कानूनी आधार के बिना है।

iX. रिलायंस को सी. आई. टी. बनाम सी. आई. टी. मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था।

जालान ट्रेडिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड, (1985) 4 एस. सी. सी. 59 ("जालान ट्रेडिंग")

क.) यह प्रस्तुत करने के लिए कि उक्त मामले में इस न्यायालय के पास व्यवसाय करने के अधिकार के लिए लाभ साझा करने के रूप में वार्षिक भुगतान पर विचार करने का अवसर था। कि उक्त मामले में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 75 प्रतिशत लाभ अंश का वार्षिक भुगतान अभी भी एक ऐसा भुगतान होगा जो पूंजी प्रकृति का था, क्योंकि उसी का भुगतान व्यवसाय करने के अधिकार के लिए असाइनमेंट के विलेख के तहत विचार के रूप में किया गया था। यह कि यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होगा क्योंकि एजीआर पर आधारित वार्षिक भुगतान केवल लाइसेंस शुल्क के लिए है और केवल इसलिए कि इसका भुगतान वार्षिक सकल राजस्व पर किया जाता है, भुगतान को राजस्व व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि राजस्व के नेतृत्व में इन अपीलों को अनुमति दी जाए और 19 दिसंबर, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के बाद दिल्ली, बॉम्बे और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों के विवादित फैसलों को दरकिनारा कर दिया जाए और यह घोषित किया जाए कि वार्षिक भुगतान पूंजीगत व्यय की प्रकृति का है। 7.2. इसके विपरीत, 2016 की सिविल अपील संख्या 11130 में प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अजय वोहरा ने 19 दिसंबर, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय मामले और कानून के तथ्यों की सही सराहना के आधार पर पारित किया गया था और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। इसे आगे इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था:

आई. यह कि उक्त प्रावधान और खर्चों के परिशोधन के तरीके को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि यह केवल तभी लागू होगा जब निम्नलिखित संचयी शर्तों को पूरा किया जाए:

(क) व्यय प्रकृति में पूंजी है।

[2023] 13 एस सी आर।

ख) दूरसंचार सेवाओं के संचालन के अधिकार के अधिग्रहण पर एक निर्धारिती द्वारा व्यय किया जाता है;

ग) खर्च वास्तव में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है।

इस प्रकार, धारा 35 ए. बी. बी. के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि विचाराधीन व्यय पूंजी प्रकृति का होना चाहिए और लाइसेंस प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, जो निर्धारिती को दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का अधिकार देता है।

ii. कि वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं ने वर्ष 1994 में लाइसेंस प्राप्त किया था और उसके बाद दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की थी और दूरसंचार सेवाओं का संचालन शुरू किया था। एफ. आई. एक्स. ई. डी. व्यवस्था के तहत लाइसेंस शुल्क का भुगतान, यानी 1999 की नीति में स्थानांतरण से पहले, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए था, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसलिए, 31 जुलाई, 1999 तक के लाइसेंस शुल्क का परिशोधन किया गया और अधिनियम की धारा 35 एबीबी के संदर्भ में इसकी अनुमति दी गई। दूसरी ओर, 1 अगस्त, 1999 से देय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क ए. जी. आर. का प्रतिशत है। यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं है क्योंकि यह दूरसंचार सेवाओं के संचालन का अधिकार प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं किया जाता है। उक्त सेवाओं को उत्तरदाताओं द्वारा पहले से ही एक लाइसेंस के आधार पर संचालित किया जा रहा था जो वर्ष 1994 में प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क दूरसंचार सेवाओं के संचालन के अधिकार को जारी रखने के लिए था, जो पहले से ही प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा संचालित और प्रदान किए जा रहे थे।

iii. 1999 की नीति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त नीति ने लाइसेंस की शर्तों में गुणात्मक परिवर्तन करके एक आदर्श बदलाव किया है। इसने एक बार के प्रवेश शुल्क और परिवर्तनीय राजस्व हिस्से के भुगतान पर नए खिलाड़ियों के प्रवेश की सुविधा प्रदान की। नीति दस्तावेज दूरसंचार के संचालन के अधिकार को जारी रखने के लिए एक ओर एक बार के शुल्क, जो कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भुगतान है, और दूसरी ओर परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क, जो राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर आवर्ती आधार पर भुगतान किया जाता है, के बीच के अंतर पर प्रकाश डालता है और उस पर जोर देता है।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 396

सेवाएँ। इसलिए, 31 जुलाई 1999 के बाद लाइसेंस प्राप्त करने वाले नए प्रवेशक द्वारा भुगतान किए जाने वाले एकमुश्त प्रवेश शुल्क को अधिनियम की धारा 30 एबीबी के तहत परिशोधन

किया जाना आवश्यक है, जबकि राजस्व हिस्से के रूप में देय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क स्वीकार्य व्यावसायिक व्यय या राजस्व कटौती होगी।

iv. कि 1999 की नीति ने न केवल भुगतान के तंत्र को बदल दिया है, बल्कि परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बदले में 29 नवंबर 1994 के मूल समझौते के माध्यम से पहले से प्राप्त लाइसेंस के तहत अर्जित अधिकारों को भी संशोधित किया है। लाइसेंस की अवधि दस से बढ़ाकर बीस वर्ष कर दी गई; लाइसेंस शुल्क को दो भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात्, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क और लाइसेंस जारी रखने के लिए भुगतान किया गया परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क। इसके द्वारा मूल समझौते के तहत प्रदान किए गए विचार का पूरा रंग बदल दिया गया था। कि, चूंकि प्रत्येक क्षेत्र में खिलाड़ियों या संचालकों की संख्या का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया गया था, इस तथ्य के साथ कि परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाना था, ताकि दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का अधिकार जारी रखा जा सके, इसलिए प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं को कोई स्थायी लाभ नहीं मिल रहा था। न तो कोई एकाधिकार अधिकार था, न ही लाइसेंस वैध रहेगा और अनिश्चित काल तक बना रहेगा। लाइसेंस तभी तक वैध रहेगा जब तक परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का वार्षिक भुगतान किया जाता है। v. अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. के प्रावधान वर्ष 1996 में पेश किए गए थे। उस समय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क की अवधारणा मौजूद नहीं थी। उक्त प्रावधान को परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क पर लागू करने से बेतुके परिणाम मिलेंगे, जो विधानमंडल का इरादा नहीं है।

vi. 1 अगस्त, 1999 से परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान "दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का कोई अधिकार प्राप्त करने" के लिए नहीं है, जो 1994 में लाइसेंस प्राप्त करने और आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना के अनुसार निर्धारित द्वारा निहित और शोषण किया जा रहा था।

vii. इसके अलावा, 1 अगस्त, 1999 से भुगतान किए गए परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को "लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान" के रूप में नहीं माना जा सकता है, ताकि यह अधिनियम की धारा 35 एबीबी के दायरे में आए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. को वर्तमान मामले में परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क के परिशोधन की आवश्यकता के लिए आकर्षित नहीं किया जाएगा, क्योंकि:

क) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं है;

ख) ऐसा भुगतान "दूरसंचार सेवाओं के संचालन का कोई अधिकार प्राप्त करने" के लिए नहीं किया जाता है;

ग) ऐसा भुगतान "लाइसेंस प्राप्त करने के लिए" नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. के अप्रयोज्य होने के बारे में उच्च न्यायालयों के निर्णय को बरकरार रखा जाए, और इन अपीलों को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाए।

7.3.2016 की सिविल अपील संख्या 11131 और 2021 की 153 में कुछ प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद पी. दातार ने श्री अजय वोहरा की दलीलों को अपनाया और आगे निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

आई. यह कहना गलत होगा कि वार्षिक लाइसेंस शुल्क जो राजस्व आय के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाता है, अधिकार प्राप्त करने और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाता है। यह कहना बेतुका है कि हर साल, प्रत्येक दूरसंचार लाइसेंसधारी अधिकार प्राप्त करता है और लाइसेंस प्राप्त करता है। अधिकार प्राप्त करना और लाइसेंस प्राप्त करना एक बार की घटना है और लाइसेंस प्राप्त करने का खर्च हमेशा पूंजीगत व्यय होता है। अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. लेन-देन के इस पहलू को शामिल करती है।

ii. कि वार्षिक लाइसेंस शुल्क, भले ही लाइसेंस शुल्क के रूप में जाना जाता है, संक्षेप में, वर्ष दर वर्ष दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए किया जाने वाला खर्च है। इस तरह का व्यय राजस्व अर्जित करने के लिए वार्षिक रूप से किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप वार्षिक राजस्व व्यय होता है। खनन, तेल अन्वेषण आदि विभिन्न क्षेत्रों में एकमुश्त राशि के भुगतान पर लाइसेंस प्राप्त किए जाते हैं। यह खर्च खनन, तेल अन्वेषण आदि में शामिल होने के लिए अधिकार प्राप्त करने और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए है। इसके बाद, निकाले गए खनिजों या पेट्रोलियम की मात्रा के आधार पर वार्षिक राशि का भुगतान किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि सादृश्य से, एक बार का प्रवेश शुल्क 397

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 398

मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा भुगतान किया गया और सभी नए प्रवेशकों द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क पूंजीगत व्यय था जिसके परिणामस्वरूप अधिकारों का अधिग्रहण और लाइसेंस प्राप्त हुआ। हालाँकि, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, जो संबंधित वर्ष में ए. जी. आर. के अनुसार भिन्न होता है, अर्जित राजस्व पर वार्षिक रूप से लगाया जाता था और इसके परिणामस्वरूप वार्षिक राजस्व व्यय होता है।

iii. मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए।

बनाम सी. आई. टी., (1973) 3 एस. सी. सी. 143 (मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड), यह था प्रस्तुत किया कि उक्त मामले में, निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय को विभाजित किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चीनी के निर्माण के लिए एकाधिकार अधिकारों के

अधिग्रहण के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि पूंजीगत व्यय की प्रकृति में थी, जबकि वार्षिक आधार पर भुगतान की गई रॉयल्टी राजस्व व्यय थी। उस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त मामले में निर्धारित सिद्धांत सीधे मामले पर लागू होगा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एकमुश्त प्रवेश शुल्क का भुगतान किया जाता है और इसलिए यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में है; जबकि, वार्षिक लाइसेंस शुल्क लाइसेंस के संचालन और लाभ अर्जित करने के लिए है, इसलिए, वही राजस्व व्यय है।iv. कि सी. आई. टी. बनाम सारदा बाइंडिंग वर्क्स में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया था।

(1976) 102 आई. टी. आर. 187 (सारदा बाइंडिंग वर्क्स) जिसमें

मद्रास उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया और कहा कि अधिकार प्राप्त करने के लिए एकमुश्त भुगतान पूंजीगत व्यय होगा, जबकि वार्षिक आय या लाभ के आधार पर रॉयल्टी के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि राजस्व व्यय होगी। कि वर्तमान मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान रॉयल्टी के भुगतान के समान होगा क्योंकि यह वार्षिक कारोबार से संबंधित है और इसलिए यह राजस्व प्रकृति का होगा।

v. यह स्वयंसिद्ध रूप से अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि 'वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क' नाम स्वयं यह इंगित करेगा कि वार्षिक परिवर्तनीय अनुज्ञप्ति शुल्क भी पूंजीगत संपत्ति, अर्थात् अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया गया था और इसलिए, अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. के तहत इसका परिशोधन किया जाना था। नामकरण का मतलब यह नहीं है कि लाइसेंस वार्षिक रूप से प्राप्त किया जाता है या लाइसेंस वार्षिक रूप से प्राप्त किया जाता है। यह राशि संचालन के लिए किया गया खर्च है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

दूरसंचार लाइसेंस और राजस्व या लाभ अर्जित करें। इस संबंध में, सुंदरम वित्त में इस न्यायालय के आदेश पर भरोसा रखा गया था।

लिमिटेड बनाम। केरल राज्य, (1966) 2 एस. सी. आर. 828 यह प्रस्तुत करने के लिए कि किसी विशेष अभिव्यक्ति का उपयोग लेन-देन की प्रकृति का निर्णायक नहीं है।

vi. यह कि जालान ट्रेडिंग कंपनी में इस न्यायालय के फैसले पर अपीलकर्ता-राजस्व द्वारा भरोसा किया जाना चाहिए, वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मामले के विपरीत, उक्त मामले में कोई एकमुश्त भुगतान नहीं किया गया था। इस समझौते में ही शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत व्यवसाय करने के अधिकार के आवंटन के लिए भुगतान करने का प्रावधान था। उक्त प्रतिफल के भुगतान का उद्देश्य या उद्देश्य व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से था। हालांकि, वर्तमान मामले में, वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंस प्राप्त

करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि दूरसंचार लाइसेंस के संचालन और राजस्व या लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। इसलिए, जालान ट्रेडिंग कंपनी में इस न्यायालय का निर्णय अपने तथ्यों पर बदल जाता है।

7.4.2022 की सिविल अपील संख्या 4902 में प्रत्यर्थी-कर निर्धारकों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सचित जॉली ने विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजय वोहरा और श्री अरविंद पी. दातार की दलीलों को अपनाया और आगे इस प्रकार तर्क दिया:

आई. केवल इसलिए कि दूरसंचार विभाग परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने के कारण लाइसेंस को रद्द कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के शुल्क का भुगतान लाइसेंस के अधिग्रहण के लिए है। अभिदाताओं के के. वाई. सी. का रखरखाव न करने जैसी लाइसेंस की अन्य शर्तों के उल्लंघन से भी लाइसेंस रद्द हो सकता है। वास्तव में, किसी भी एक वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान से न तो कोई नई संपत्ति का अधिग्रहण होता है और न ही कोई स्थायी लाभ होता है। इसके अलावा, परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का लाभ, यदि कोई हो, केवल एक वर्ष तक सीमित है जिससे भुगतान संबंधित है। इसलिए, इसे पूंजीगत व्यय या पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किए गए व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ii. यह कि अपीलार्थी द्वारा जिस व्याख्या का प्रचार करने की इच्छा की गई थी, उसका परिणाम पूरी तरह से बेतुका होगा, जिसमें धारा 35 ए. बी. बी. के तहत कटौती किसी दिए गए वर्ष में निर्धारिती द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान से अधिक होगी। यह पहलू 399

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 400

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में इस मामले की सही सराहना की थी और तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित व्याख्या धारा 35 ए. बी. बी. को बाद के वर्षों में परिशोधन राशि में काफी वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण प्रभाव देगी और पिछले वर्ष, लाए गए, परिशोधन राशि के साथ पूरे लाइसेंस शुल्क को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि एक निश्चित समय के बाद, धारा 35 ए. बी. बी. के तहत स्वीकार्य कटौती उस वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में निर्धारिती द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान से अधिक होगी।

इस संदर्भ में, इस निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी

सी. आई. टी., बेंगलूर बनाम में न्यायालय। जे. एच. गोटला, ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1698 से

यह तर्क देते हुए कि यह एक स्थापित कानून है कि एक ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए जो एक बेतुका परिणाम की ओर ले जाती है और ऐसी व्याख्या को अधिक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के लिए रास्ता देना चाहिए ताकि कानून को उसका वांछित परिणाम दिया जा सके।

iii. उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ, यह कहा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय विस्तृत और उचित है। यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी सिद्धांत के विपरीत नहीं है और इसलिए हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। यह प्रार्थना की गई थी कि राजस्व के नेतृत्व में की गई अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई असंवेदनशीलता नहीं है।

तर्कों का जवाब:

8. जवाब के माध्यम से, विद्वान ए. एस. जी., श्री एन. वेंकटरमन ने अपनी दलीलों को दोहराते हुए यह भी तर्क दिया कि मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड में इस अदालत के फैसले और शारदा बाइंडिंग वर्क्स में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर श्री दातार ने इस दावे को साबित करने के लिए भरोसा किया कि एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के उसी स्रोत को आंशिक रूप से पूंजी के रूप में माना जा सकता है और आंशिक रूप से राजस्व वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं-मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता के लिए नहीं आएगा। इस संबंध में आगे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था:

आई. यह कि श्री दातार द्वारा उपरोक्त दोनों मामलों में, व्यय के एक ही स्रोत को आंशिक रूप से पूंजी के रूप में और आंशिक रूप से राजस्व व्यय के रूप में विभाजित नहीं किया गया था। इसके विपरीत दोनों में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उन निर्णयों में, इस न्यायालय ने व्यय के दो अलग-अलग घटकों की जांच की और एक को पूंजी और दूसरे को राजस्व प्रकृति का माना।

ii. कि सारदा बाइंडिंग वर्क्स में तथ्य यह थे कि विचाराधीन समझौते में दो अलग-अलग पहलुओं के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी: प्रथम, प्रति वर्ष Rs.5000 की निश्चित राशि पर विचार करने के लिए चंदामामा प्रकाशन का व्यवसाय चलाने का अधिकार; दूसरा, व्यापार के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत के बराबर बिक्री पर रॉयल्टी। उच्च न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि कारोबार के आधार पर वार्षिक भुगतान का व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान के साथ कोई संबंध नहीं था, जिसका भुगतान भी हर साल Rs.5000 पर किया जाता था। हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रवेश शुल्क के साथ-साथ एजीआर के प्रतिशत के रूप में देय वार्षिक लाइसेंस शुल्क, दोनों एक ही उद्देश्य के लिए हैं, यानी दूरसंचार ऑपरेटर सेवाओं को जारी रखने के लिए लाइसेंस का अधिग्रहण।

iii. इसी तरह, मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के मामले में, दो अलग-अलग भुगतान किए गए थे, जो दो अलग-अलग विषय मामलों से संबंधित थे। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि निर्मित चीनी की मात्रा के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान एकाधिकार अधिकार प्राप्त करने के

उद्देश्य से नहीं था। उक्त मामले में, दो स्पष्ट रूप से स्पष्ट उद्देश्य थे जिनके लिए एकमुश्त भुगतान और रॉयल्टी का भुगतान किया गया था। हालांकि, वर्तमान मामले में, प्रवेश शुल्क के साथ-साथ वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान का उद्देश्य एकल है, यानी दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार प्राप्त करना और बनाए रखना। उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, श्री एन. वेंकटरमण ने आग्रह किया कि यह पीठ राजस्व के नेतृत्व में अपील की अनुमति दे सकती है।

विचार के लिए बिंदु:

9. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर, निम्नलिखित बिंदु हमारे विचार के लिए सामने आएं:

आई. क्या 1999 की नीति के तहत दूरसंचार विभाग को उत्तरदाताओं-निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्रकृति में राजस्व है 401

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 402

और क्या अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए, या, यह पूंजी प्रकृति का है और तदनुसार अधिनियम की धारा 35 एबीबी के तहत परिशोधन की आवश्यकता है?

ii. क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क को दो अवधियों, अर्थात् 31 जुलाई, 1999 से पहले और उसके बाद, में विभाजित करके लाइसेंस शुल्क को आंशिक रूप से राजस्व और आंशिक रूप से पूंजी के रूप में विभाजित करने में सही था और तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया कि 31 जुलाई, 1999 तक की अवधि के लिए भुगतान या देय लाइसेंस शुल्क, अर्थात् 1999 की नीति में निर्धारित तिथि को पूंजी के रूप में माना जाना चाहिए और उक्त तिथि को या उसके बाद देय शेष राशि को राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए?

iii. कौन सा आदेश?

वैधानिक ढाँचा:

10. पूंजीगत व्यय की विशेषता पर अधिनियम की वैधानिक योजना और संरचना इस प्रकार है:

10.1. अधिनियम की धारा 32 मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान करती है जो प्रकृति में पूंजी हैं और मूल्यहास के तरीके और तरीके को निर्धारित करती हैं। धारा 32 (1) (i) पहचान मूर्त परिसंपत्तियों की सूची है और धारा 32 (1) (ii) अमूर्त परिसंपत्तियों का एक समूह है जिसमें लाइसेंस शामिल हैं। धारा 32 (1) के स्पष्टीकरण 3 में 'परिसंपत्तियों' को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् मूर्त और अमूर्त। लाइसेंसों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पहचाना जाता है और इसलिए वे पूंजी प्रकृति के होते हैं।

10.2. कोई भी पूंजीगत संपत्ति अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में मूल्यहास योग्य है, जब तक कि विशेष रूप से कहीं और नहीं निपटाया जाता है। पूंजी परिसंपत्तियों के मूल्यहास के अपवादों में से एक परिशोधन है। धारा 35 ए, 35 एबी, 35 एबीए और 35 एबीबी अपवादों का एक समूह है जिसमें संबंधित धाराओं में निर्दिष्ट पूंजी परिसंपत्तियों का परिशोधन उसमें निर्धारित तरीके और तरीके से किया जाना है।

10.3. परिशोधन मूल्यहास का एक रूप है, हालांकि, दोनों के बीच का अंतर यह है कि मूल्यहास के मामले में, एक संपत्ति का मूल्य उत्तरोत्तर कम किया जा सकता है, और विचाराधीन संपत्ति की जीवन प्रत्याशा से पहले भी समाप्त हो सकता है, जबकि, परिशोधन के मामले में, संपत्ति का मूल्य उत्तरोत्तर कम हो जाता है, जो अधिकार की अपेक्षित समय सीमा के अनुरूप होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

10.4. अधिनियम के प्रावधानों का एक संक्षिप्त अवलोकन जो एक निर्धारित विधि के रूप में परिशोधन का प्रावधान करता है, निम्नानुसार है:

आई. अधिनियम की धारा 35 ए पेटेंट अधिकारों या कॉपीराइट के अधिग्रहण पर किए गए खर्च के परिशोधन का प्रावधान करती है जो अमूर्त संपत्ति हैं।

ii. अधिनियम की धारा 35 एबी जानकारी के अधिग्रहण के मामले में परिशोधन की विधि निर्धारित करती है।

iii. अधिनियम की धारा 35 ए. बी. ए. स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने पर किए गए व्यय के परिशोधन की विधि निर्धारित करती है। iv. अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के परिशोधन का प्रावधान करती है।

11. इस मोड़ पर, अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. (1) को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो निम्नानुसार है:

“35 एबीबी। दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए लाइसेंस के लिए व्यय।—

(1) दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के लिए व्यवसाय के प्रारंभ से पहले या उसके बाद किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए किसी भी व्यय के संबंध में, जिसके लिए वास्तव में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भुगतान किया गया है, इस धारा के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, प्रत्येक प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए, ऐसे व्यय की राशि के उचित अंश के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -(i) "सुसंगत पिछले वर्ष" का अर्थ है -

(क) ऐसे मामले में जहां दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के लिए व्यवसाय शुरू होने से पहले वास्तव में लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाता है, पिछले वर्ष जिसमें ऐसा व्यवसाय शुरू हुआ था।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 404

(बी) किसी अन्य मामले में, पिछले वर्ष से शुरू होने वाले पिछले वर्ष जिसमें वास्तव में लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाता है, और बाद के पिछले वर्ष या वर्ष जिसके दौरान लाइसेंस, जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है, लागू होंगे।

((ख) "उचित अंश" से वह अंश अभिप्रेत है जिसका अंश एक है और जिसका भाजक सुसंगत पिछले वर्षों की कुल संख्या है;

(iii) "भुगतान वास्तव में किया गया है" का अर्थ है व्यय का वास्तविक भुगतान, चाहे वह पिछले वर्ष हो जिसमें व्यय के लिए देयता निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखांकन की विधि के अनुसार की गई थी।" (2) जहां लाइसेंस हस्तांतरित किया जाता है और हस्तांतरण की आय (जहां तक वे पूंजीगत राशियों से युक्त हैं) अनुमत नहीं रह गए खर्च से कम होती है, तो ऐसे व्यय के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो हस्तांतरण की आय से घटाकर, उस पिछले वर्ष के संबंध में दी जाएगी जिसमें लाइसेंस हस्तांतरित किया गया है।

(3) जहां लाइसेंस का पूरा या कोई हिस्सा हस्तांतरित किया जाता है और हस्तांतरण की आय (जहां तक वे पूंजीगत राशियों से युक्त हैं) अनुमत न किए गए खर्च की राशि से अधिक हो जाती है, तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए खर्च और अनुमत न किए गए ऐसे खर्च की राशि के बीच के अंतर से अधिक अतिरिक्त राशि उस पूर्व वर्ष में व्यवसाय के लाभ और लाभ के रूप में आयकर के लिए प्रभार्य होगी जिसमें लाइसेंस हस्तांतरित किया गया है। स्पष्टीकरण।—जहां अनुज्ञप्ति किसी ऐसे पूर्ववर्ष में अंतरित किया जाता है जिसमें व्यवसाय अब अस्तित्व में नहीं है, इस उप-धारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि व्यवसाय उस पूर्ववर्ष में अस्तित्व में है।

(4) जहां लाइसेंस का पूरा या कोई हिस्सा हस्तांतरित किया जाता है और हस्तांतरण की आय (जहां तक वे पूंजीगत राशियों से युक्त हैं) अनुमत खर्च की राशि से कम नहीं है, ऐसे व्यय के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उप-धारा (1) के तहत उस पूर्व वर्ष के संबंध में जिसमें लाइसेंस हस्तांतरित किया गया है या किसी बाद के पूर्व वर्ष या वर्षों के संबंध में।

(5) जहां अनुज्ञप्ति का एक भाग पिछले वर्ष में अंतरित किया जाता है और उप-धारा (3) लागू नहीं होती है, वहां उप-धारा (1) के तहत अनुमत की जाने वाली कटौती, जो कि अनुमत नहीं रह गए खर्च के लिए है, इस प्रकार की जाएगी -

(क) हस्तांतरण की आय को (जहां तक वे पूंजीगत राशियों से युक्त हैं) अनुमत न किए गए शेष व्यय से घटाना; और (ख) शेष को प्रासंगिक पिछले वर्षों की संख्या से विभाजित करना जो पिछले वर्ष की शुरुआत में समाप्त नहीं हुए हैं, जिसके दौरान लाइसेंस हस्तांतरित किया गया है।

(6) जहां समामेलन की किसी योजना में समामेलन करने वाली कंपनी समामेलन करने वाली कंपनी (जो एक भारतीय कंपनी है) को लाइसेंस बेचती है या अन्यथा हस्तांतरित करती है, -

((i) उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान समामेलन कंपनी के मामले में लागू नहीं होंगे; और

((ii) इस धारा के प्रावधान, जहां तक हो सके, समामेलित कंपनी पर लागू होंगे जैसा कि उन्होंने समामेलित कंपनी को आवेदन किया होगा यदि समामेलित कंपनी ने लाइसेंस हस्तांतरित नहीं किया था।

(7) जहां, विलयन की योजना में, विलयित कंपनी परिणामी कंपनी (एक भारतीय कंपनी होने के नाते) को लाइसेंस बेचती है या अन्यथा हस्तांतरित करती है, -

((i) अविलयित कंपनी के मामले में उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान लागू नहीं होंगे; और

((ii) इस धारा के प्रावधान, जहां तक हो सके, परिणामी कंपनी पर लागू होंगे जैसा कि उन्होंने अविलयित कंपनी को आवेदन किया होता यदि उसने लाइसेंस हस्तांतरित नहीं किया होता।

(8) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए कटौती का दावा किया जाता है और उस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी व्यय के संबंध में अनुज्ञात किया जाता है, वहाँ उप-धारा 405 के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 406

(1) उसी पूर्ववर्ष या किसी पश्चात्कर्ती पूर्ववर्ष के लिए धारा 32 की धारा।

11.1. अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. भारत में दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संस्थाओं द्वारा किए गए खर्च के उपचार को नियंत्रित करती है। यह प्रावधान ऐसे खर्चों के कर उपचार को संबोधित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे आयकर ढांचे के अनुरूप हों। 1 अप्रैल 1996 से प्रभावी होने के साथ, यह प्रावधान दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के किसी भी अधिकार के अधिग्रहण के लिए किए गए पूंजीगत व्यय के परिशोधन का प्रावधान करता है, भले ही ऐसी लागत इस तरह के व्यवसाय के शुरू होने से

पहले या उसके बाद की हो।जिन वर्षों के लिए लाइसेंस लागू है, उन वर्षों में लागत को समान किशतों में चुकाने की अनुमति है।परिशोधन उस वर्ष से शुरू होता है जिसमें ऐसा व्यवसाय शुरू होता है (जहां ऐसा व्यवसाय शुरू होने से पहले ऐसी लागत खर्च की जाती है) या उस वर्ष से जिसमें वास्तव में ऐसी लागत का भुगतान किया जाता है, चाहे निर्धारिती द्वारा इस तरह के व्यय के लिए लेखांकन की कोई भी विधि अपनाई गई हो।

11.2.अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. लागू होने के लिए, अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. (1) में निर्दिष्ट निम्नलिखित संचयी शर्तों को पूरा करना है:

सबसे पहले, खर्च पूंजी की प्रकृति का होना चाहिए।

दूसरा, दूरसंचार सेवाओं के संचालन के अधिकार के अधिग्रहण के उद्देश्य से एक निर्धारिती द्वारा खर्च किया जाना चाहिए।

तीसरा, खर्च को वास्तव में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

इस प्रकार, धारा 35 ए. बी. बी. के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि विचाराधीन व्यय पूंजी प्रकृति का होना चाहिए और एक लाइसेंस प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए जो निर्धारिती को दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का अधिकार देता है।अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. संचालित होती है और तब प्रभावी होती है जब खर्च स्वयं पूंजीगत प्रकृति का होता है और दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए किया जाता है या उक्त सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, इस धारा के उद्देश्य के लिए एक स्पष्टीकरण के माध्यम से "प्रासंगिक पिछले वर्षों", "उचित अंश" और "वास्तव में भुगतान किया गया है" की परिभाषाएं दी गई हैं।उप-धारा (2) से (5) तक सौदा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जब लाइसेंस हस्तांतरित किया जाता है तो तदनुसार की जाने वाली कटौती के साथ और हस्तांतरण की आय (जहां तक वे पूंजीगत राशियों से युक्त हैं) अनुमत न रहते हुए किए गए व्यय से कम या उससे अधिक होती है।उप-धारा (6) से (7) ऐसी स्थिति से निपटती है जहां समामेलन की योजना में, विलयन आदि के बारे में कि धारा 35 ए. बी. बी. की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान कैसे लागू नहीं होंगे, लेकिन इस धारा के प्रावधान, जहां तक हो सके, समामेलित कंपनी या अविलयित कंपनी पर लागू होंगे, जैसा कि उन्होंने समामेलित कंपनी को आवेदन किया होगा यदि बाद वाली ने लाइसेंस हस्तांतरित नहीं किया था या अविलयित कंपनी को, यदि बाद वाली ने, जैसा भी मामला हो, लाइसेंस हस्तांतरित नहीं किया था।उप-धारा (8)

में कहा गया है कि जहां उप-धारा (1) के तहत किसी भी पिछले वर्ष के लिए कटौती का दावा किया जाता है और उस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यय के संबंध में अनुमति दी जाती है, वहां उसी पिछले वर्ष या किसी बाद के पिछले वर्ष के लिए धारा 32 की उप-धारा (1) के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3. अधिनियम की धारा 35 ए. बी. बी. (1) के मुख्य पहलुओं को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

((i) व्यय का उद्देश्य और प्रकृति-पूंजीगत व्यय

दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से।

((ii) खर्चों के परिशोधन का तरीका-प्रत्येक संबंधित वर्ष के लिए।

पिछले वर्षों में, ऐसे व्यय की राशि के उचित अंश के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी।

((iii) प्रावधान की प्रयोज्यता के लिए संतुष्ट की जाने वाली शर्तें -

((क) व्यय पूंजीगत होना चाहिए।

(ख) दूरसंचार सेवाओं के संचालन के अधिकार के अधिग्रहण के उद्देश्य से एक निर्धारिती द्वारा व्यय किया जाना चाहिए; (ग) उक्त व्यय दूरसंचार सेवाओं के संचालन के लिए व्यवसाय शुरू करने से पहले या उसके बाद किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है; (घ) व्यय वास्तव में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

407

12. चूंकि 1999 की दूरसंचार नीति के तहत दूरसंचार विभाग को उत्तरदाताओं-मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क टेलीग्राफ अधिनियम के बल पर लगाया और एकत्र किया गया है, इसलिए उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान तत्काल संदर्भ के लिए यहां निकाले गए हैं:

“4. तारों के संबंध में विशेष विशेषाधिकार और लाइसेंस देने की शक्ति:-

(1) भारत के भीतर, केंद्र सरकार को तारों की स्थापना, रखरखाव और काम करने का विशेष विशेषाधिकार होगा: बशर्ते कि केंद्र सरकार ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतानों पर विचार करते हुए, जो वह समझती है, किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से में टेलीग्राफ स्थापित करने, बनाए रखने या काम करने के लिए लाइसेंस दे सकती है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, स्थापना, रखरखाव और कार्य करने की अनुमति दे सकती है -

(क) भारतीय क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर और भारत या भारतीय क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर या ऊपर विमानों पर ताररहित तारों का, और

((ख) भारत के किसी भी भाग में ताररहित तारों के अलावा अन्य तारों का होना।

स्पष्टीकरण।-- इस उप-धारा के तहत लाइसेंस देने के लिए किए गए भुगतान में सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए जिम्मेदार ऐसी राशि शामिल होगी जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति को टेलीग्राफ प्राधिकरण को सौंप सकती है।

408

इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी भी शक्ति का टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा प्रयोग ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा जो केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, लागू करने के लिए सोचे।”

(3) कोई भी व्यक्ति जिसे उप-धारा (1) के पहले परंतुक के तहत भारत के किसी भी हिस्से में टेलीग्राफ स्थापित करने, बनाए रखने या काम करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, वह किसी भी व्यक्ति की पहचान करेगा जिसे वह अपनी सेवाएं प्रदान करता है -

(क) आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के तहत प्रमाणीकरण; या

(बी) आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के तहत ऑफ-इन-वेरिफिकेशन; या

(ग) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 4 के तहत जारी किए गए पासपोर्ट का उपयोग; या

(घ) किसी अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या पहचान के तरीकों का उपयोग जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस ओर से अधिसूचित किया जा सकता है।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक के तहत भारत के किसी भी हिस्से के भीतर तार स्थापित करने, बनाए रखने या काम करने का लाइसेंस दिया गया है, वह किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत प्रमाणीकरण का उपयोग

कर रहा है जिसे वह अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को उप-धारा (3) के खंड (बी) से (डी) के तहत पहचान के अन्य तरीकों को भी उपलब्ध कराएगा।

(5) उप-धारा (3) के तहत पहचान के तरीकों का उपयोग उस व्यक्ति की स्वैच्छिक पसंद होगी जिसकी पहचान की जानी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।

(6) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के लिए, उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है, तो न तो उसकी मूल बायोमेट्रिक जानकारी और न ही व्यक्ति की आधार संख्या संग्रहीत की जाएगी।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 410

409

(7) उप-धारा (3), (4) और (5) में निहित कुछ भी केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुपालन के लिए आगे के सुरक्षा उपायों और शर्तों को निर्दिष्ट करने से नहीं रोकेगा, जिसे वह अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में उप-धारा (1) के पहले परंतुक के तहत लाइसेंस दिया गया है।

स्पष्टीकरण।-- "आधार संख्या" और "मुख्य बायोमेट्रिक जानकारी" शब्दों के वही अर्थ होंगे जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (ए) और (जे) में दिए गए हैं।XXX XXX

“8. लाइसेंस रद्द करना:- केंद्र सरकार, किसी भी समय, धारा 4 के तहत दिए गए किसी भी लाइसेंस को उसमें निहित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर, या उसके तहत देय किसी भी प्रतिफल के भुगतान में चूक पर रद्द कर सकती है।”

XXX XXX

“भाग IV

सजाएँ

20. अनधिकृत टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव या काम करना:-

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए या उस धारा के तहत बनाए गए नियमों द्वारा अनुमति के अलावा भारत के भीतर टेलीग्राफ स्थापित करता है, बनाए रखता है या काम करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा, यदि टेलीग्राफ एक वायरलेस टेलीग्राफ है, तो कारावास जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या फाइने, या दोनों के साथ, और किसी अन्य मामले में, एक फाइने के साथ जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में निहित कुछ भी नहीं होने पर, बेतार तार के संबंध में इस धारा के तहत दिए गए प्रावधान उक्त संहिता के प्रयोजनों के लिए जमानती और गैर-संज्ञेय होंगे।

(3) जब कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो जिस न्यायालय के समक्ष वह दोषी ठहराया जाता है, वह निर्देश दे सकता है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जिस तार के संबंध में अपराध किया गया है, या ऐसे तार का कोई हिस्सा सरकार को जब्त कर लिया जाए।”

“20 ए. लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन:- यदि लाइसेंस धारक

धारा 4 के तहत दिए जाने पर उसके लाइसेंस में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और एक और जुर्माने से जो हर सप्ताह के लिए पांच सौ रुपये तक हो सकता है, जिसके दौरान शर्त का उल्लंघन जारी रहता है।”

“21. अनधिकृत तारों का उपयोग:- अगर कोई व्यक्ति,

यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण होने पर कि कोई तार स्थापित किया गया है या उसका रखरखाव किया गया है या काम किया गया है; इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, ऐसे तार द्वारा कोई संदेश प्रेषित या प्राप्त करता है, या कोई आकस्मिक सेवा करता है, या ऐसे तार द्वारा प्रसारण के लिए कोई संदेश देता है या उसके द्वारा भेजे गए किसी भी संदेश के वितरण को स्वीकार करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पचास रुपये तक हो सकता है।”

12.1. टेलीग्राफ अधिनियम वह मूल कानून है जिसके तहत टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव या काम करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार को टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव और काम करने का विशेष विशेषाधिकार होगा। धारा 4 (1) के परंतुक से संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से में टेलीग्राफ स्थापित करने, बनाए रखने या काम करने के लिए ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतान पर विचार करने के लिए लाइसेंस दे सकती है जैसा वह सोचती है। 12.2. टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 8 केंद्र सरकार को किसी भी समय उसकी धारा 4 के तहत दिए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द करने की अनुमति देती है, जिसमें निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या उसके तहत देय किसी भी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाता है।

12.3. टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 20 में घोषणा की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए टेलीग्राफ स्थापित करता है, उसका रखरखाव करता है या काम

करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 20 ए और 21 लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन और अनधिकृत टेलीग्राफ के उपयोग के परिणामों से संबंधित है। 12.4. टेलीग्राफ अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का केवल अवलोकन निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डालेगा:

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 412

411

आई. केंद्र सरकार टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रावधान के तहत लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर लाइसेंस देकर टेलीग्राफ की स्थापना, रखरखाव या काम करने के लिए लाइसेंस दे सकती है।

ii. केंद्र सरकार, धारा 8 के तहत, विचार के भुगतान में चूक के आधार पर टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द कर सकती है।

iii. टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 या धारा 4 के तहत जारी लाइसेंस की शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर कारावास और/या जुर्माना लगाया जाएगा।

13. अब हम 1994 की नीति के तहत किए गए लाइसेंस समझौते की शर्तों और नई दूरसंचार नीति, 1999 व्यवस्था में मौजूदा लाइसेंसधारियों के स्थानांतरण की शर्तों का उल्लेख करेंगे, यह जांचने के लिए कि क्या लाइसेंस शुल्क की प्रकृति और चरित्र में परिवर्तन किया गया था।

13.1. तैयार संदर्भ के लिए, भारती सेल्युलर लिमिटेड के पक्ष में 29 नवंबर, 1994 का एक नमूना लाइसेंस समझौता नीचे निकाला गया है। इस समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रत्येक उत्तरदाता के साथ समझौते की तारीख अलग-अलग हो सकती है लेकिन शर्तें समान हैं:

“भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत लाइसेंस समझौता

यह समझौता 29 नवंबर, 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत और 15 वीं मंजिल, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 पर पंजीकृत मेसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड और वन पार्ट के दूरसंचार विभाग (जिसे लाइसेंसकर्ता कहा जाता है) के निदेशक (टी. एम.-IX) के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति के बीच हुआ। (इसके बाद जिसे अनुज्ञापिधारी कहा जाता है, उस अभिव्यक्ति को जब तक इस संदर्भ के प्रतिकूल द्वारा बाहर नहीं रखा जाता है, तब तक इसे अन्य भाग के व्यवसाय में इसके उत्तराधिकारी को शामिल करने के लिए माना जाएगा। जबकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 की उप धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 1985 को भारत के जी. एस. आर. 806 राजपत्र, भाग II, धारा 3 (i) द्वारा टेलीग्राफ प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया गया है) को अपनी शक्तियां सौंप दीं।

[2023] 13 एस सी आर।

और जबकि लाइसेंसधारी के अनुरोध के अनुसरण में प्राधिकरण ने यहां संलग्न अनुसूची "ए" में दिए गए क्षेत्रों में अभिदाता के अंतिम कनेक्शन (जिसे इसके बाद सेवा कहा जाता है) तक सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए इसके बाद दिखाई देने वाले नियमों और शर्तों पर लाइसेंसधारी को लाइसेंस देने पर सहमति व्यक्त की है और लाइसेंसधारी इसके बाद दिखाई देने वाले नियमों और शर्तों पर इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह समझौता इस प्रकार है:

1. पारस्परिक समझौतों के साथ-साथ अनुसूची 'सी' के संदर्भ में अग्रिम रूप से देय लाइसेंस शुल्क और लाइसेंसधारी की ओर से पालन/निष्पादित किए जाने वाले सभी नियमों और शर्तों के अवलोकन और/या उचित प्रदर्शन पर विचार करते हुए, लाइसेंसधारी इसके द्वारा लाइसेंसधारी को यहां संलग्न अनुसूची 'सी' में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर अनुसूची 'ए' में दिए गए क्षेत्रों में ग्राहक के अंतिम कनेक्शन तक सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा स्थापित करने, बनाए रखने और संचालित करने के लिए लाइसेंस देता है।
2. लाइसेंस शुरू में 10 साल की अवधि के लिए दिया जाता है जिसे प्राधिकरण के विवेक पर एक बार में एक साल या उससे अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार पर सहमत हो, बशर्ते कि लाइसेंसधारी चूक में न हो या उसने लाइसेंस के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया हो। देय लाइसेंस शुल्क इस लाइसेंस की अनुसूची "सी" शर्त 19 में दिया गया है।
3. यह लाइसेंस भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
4. जब तक कि इसके बाद दिखाई देने वाले विषय या संदर्भ में अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता है, समझौते का मुख्य भाग और निविदा दस्तावेजों सहित यहां संलग्न सभी अनुसूचियां इस समझौते का हिस्सा और अंश बनेंगी, बशर्ते कि इस समझौते की मिश्रित शर्तों और यहां की अनुसूचियों की शर्तों के मामले में निविदा दस्तावेजों पर हावी होगा।
5. इस समझौते में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुसूची "सी" भाग-I में क्रमशः सौंपा गया है।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 414

6. अनुज्ञप्तिधारक को ग्राहकों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय स्पष्ट रूप से सेवा की विशिष्टताओं को इंगित करना चाहिए। 7. सेवा के ग्राहकों से लिया जाने वाला अधिकतम शुल्क यहाँ संलग्न अनुसूची "बी" में दिया गया है। अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकरण की मंजूरी के बिना कम शुल्क ले सकता है।

8. लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले लाइसेंसधारी द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी यहाँ संलग्न अनुसूची "डी" में दी गई है। 9. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के तहत अपने अधिकारों को किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा या अनुज्ञप्ति के किसी भी विषय से संबंधित उप-अनुज्ञप्ति और/या साझेदारी के लिए कोई समझौता किसी तीसरे पक्ष को पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं करेगा अर्थात् कोई उप-पट्टा/साझेदारी/तीसरे पक्ष का हित नहीं बनाया जाएगा। 10. 72 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली सेवा में व्यवधान के मामले में, लाइसेंसधारी द्वारा सेवा के उपयोगकर्ताओं को उचित छूट दी जाएगी। प्राधिकरण के पास, चूक के मामले में, कोई भी जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित है जैसा कि वह मान सकता है।

11. प्राधिकरण किसी भी समय उसमें निहित किसी भी नियम और शर्त के उल्लंघन पर या 60 दिनों का नोटिस देकर उसके तहत देय किसी भी प्रतिफल के भुगतान में चूक करने पर लाइसेंस को रद्द कर सकता है।

12.1 लाइसेंसधारी को नेटवर्क में किसी भी एन्क्रिप्शन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

12.2 अनुज्ञप्तिधारक को प्राधिकरण को हर तिमाही नियमित रूप से और प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अभिदाताओं की सूची प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

12.3 प्राधिकरण या उसके प्रतिनिधि के पास एम. एस. सी. के साथ-साथ बिना कोई पूर्व सूचना दिए निगरानी, निरीक्षण आदि के लिए लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सुविधा तक पहुंच होगी।

13. पक्षकारों द्वारा आगे यह सहमति और घोषणा की जाती है कि यहाँ पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, कि

(i) लाइसेंस गैर-अनन्य आधार पर जारी किया जाता है। प्राधिकरण के पास उसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सेवा संचालित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(ii) प्राधिकरण के पास किसी भी समय अनुसूचियों "ए", "बी", "सी" और "डी" के तहत आने वाले लाइसेंस के नियमों और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि प्राधिकरण

की राय में आम जनता के हित में या टेलीग्राफ के उचित संचालन के लिए या सुरक्षा विचार पर ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

(iii) प्राधिकरण के पास 60 दिनों का नोटिस देकर जनता के हित में किसी भी समय लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

(iv) लाइसेंस में कहीं और निहित कुछ भी होने के बावजूद प्राधिकरण का निर्णय अनिवार्य होगा।

(v) प्राधिकरण के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध या कम तीव्रता वाली टकराव जैसी स्थितियों की स्थिति में लाइसेंसधारी की पूरी सेवाओं और नेटवर्क को अपने नियंत्रण में लेने या लाइसेंस को रद्द करने/समाप्त करने/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है।

गवाह के रूप में जहां पार्टियों ने इस समझौते को अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

हस्ताक्षरित और वितरित

के लिए और उसकी ओर से

भारत के राष्ट्रपति "

(हम पर जोर दें)

13.2.जिन शर्तों पर लाइसेंस दिया गया था, वे लाइसेंस समझौते की अनुसूची ए और अनुसूची बी में निर्धारित की गई थीं। लाइसेंस शुल्क का भुगतान निम्नलिखित शर्तों में किया गया था:

“लाइसेंस शुल्क का भुगतान

19.1 प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए लाइसेंसधारी द्वारा देय लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:-

के लिए लाइसेंस शुल्क

सेवा क्षेत्र प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष (करोड़ रुपये में)

बॉम्बे

3 6

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 416

12 415

दिल्ली

2 4

8

कलकत्ता

1.5 3

6

मद्रास

1 2

4

4 वर्ष और उसके बाद

@ रु. 5 लाख (पांच लाख) प्रति 100 (एक सौ) ग्राहक या उसका हिस्सा; नीचे दिखाए गए न्यूनतम के अधीन:-

न्यूनतम लाइसेंस शुल्क

चौथा से छठा

वर्ष सातवां (वर्ष के लिए) वर्ष के बाद (वर्ष के लिए)

सेवा क्षेत्र

हर साल)

हर साल)

(Rs.in करोड़)

बॉम्बे

18

24

12

16

दिल्ली

कलकत्ता

क) पहले तीन वर्षों के लिए एकमुश्त लाइसेंस शुल्क लेने के उद्देश्य से, वर्ष को बारह महीने के रूप में माना जाएगा, जो सेवाओं के चालू होने की तारीख या लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 12 महीने पूरे होने की तारीख से शुरू होता है, जो भी पहले हो। ख) अनुज्ञप्ति शुल्क लेने के उद्देश्य से चौथा वर्ष तीसरे वर्ष के पूरा होने से लेकर 31 मार्च तक की अवधि होगी। इसलिए चौथे वर्ष के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क की गणना वास्तविक दिनों की संख्या के संदर्भ में की जाएगी। इसके बाद, लाइसेंस शुल्क लगाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और शेष अवधि, यदि कोई हो, के रूप में वर्ष का हिस्सा होगा।

ग) जैसा कि ऊपर पैरा 19.1 में दर्शाया गया है, चौथे वर्ष से लाइसेंस शुल्क की गणना के उद्देश्य से, प्रत्येक महीने के अंत में अभिदाताओं की संख्या को वर्ष के सभी महीनों के लिए जोड़ा जाएगा और पूर्ण किए गए महीनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा।

XXX

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(च) प्रति सौ अभिदाताओं या उनके हिस्से के लिए पांच लाख रुपये की दर रुपये की इकाई कॉल दर पर आधारित है। 1. 10. चौथे वर्ष के बाद, जैसा कि खंड 19.1 (घ) में कहा गया है, प्रचलित इकाई कॉल दर के आधार पर पांच लाख रुपये की दर को संशोधित किया जाएगा। संशोधन इस तरह के संशोधन से पहले की अवधि के दौरान इकाई दर में कुल वृद्धि के 75 प्रतिशत तक सीमित होगा।”

समझौते में आगे कहा गया है:

“ 19.2 कमीशन/सेवाओं के प्रावधान की तारीख से तीन साल पूरे होने पर; प्राधिकरण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के रूप में लाइसेंसधारी के सेलुलर नेटवर्क से प्रदान की जाने वाली अन्य सभी सेवाओं के लिए किराये, हवाई समय शुल्क से सकल राजस्व के हिस्से को प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

19.3 ऊपर निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क में रेडियो फ्रीक्वेंसी के उपयोग के लिए संचार मंत्रालय (डब्ल्यू. पी. सी.) की डब्ल्यू. पी. सी. शाखा को देय लाइसेंस शुल्क शामिल नहीं है, जिसे डब्ल्यू. पी. सी. द्वारा निर्धारित दरों पर और उसके द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार (शर्त 20) लाइसेंसधारी द्वारा अलग से भुगतान किया जाएगा।”

13.3.1994 की नीति व्यवस्था के तहत लाइसेंस समझौते की प्रमुख विशेषताओं को निम्नानुसार गिना जा सकता है:

आई. लाइसेंस को किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए सक्षम बनाया गया था।

ii. लाइसेंस दस साल की अवधि के लिए दिया गया था, जिसे लाइसेंसकर्ता यानी केंद्र सरकार के विवेक पर पांच साल या उससे अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता था, जब तक कि इसे पहले समाप्त नहीं किया जाता।

iii. समझौते के पैराग्राफ 19 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, अभिदाताओं की संख्या की परवाह किए बिना, पहले तीन वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क की निश्चित राशि का भुगतान किया जाना था और ऐसी राशि सालाना वृद्धि के अधीन थी।

iv. चौथे वर्ष के बाद से, भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क की राशि, ऐसे ग्राहकों से लाइसेंसधारी द्वारा अर्जित राजस्व की परवाह किए बिना, ग्राहकों की संख्या पर निर्भर थी, जो निर्धारित न्यूनतम के अधीन थी।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 418

417

v. लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने का परिणाम लाइसेंस समझौते की समाप्ति थी।

vi. 1994 की नीति के अनुसार, बाजार में एकाधिकार बनाए रखने की शर्त को लाइसेंस समझौते में औपचारिक रूप दिया गया था।

vii. लाइसेंस असंबद्ध था।

13.4. इसके बाद, 1999 की नीति को लागू करने के उद्देश्य से, दूरसंचार विभाग द्वारा 27 जुलाई, 1999 को पत्र जारी किए गए, जिसमें मौजूदा लाइसेंसधारियों को 1999 की नीति में स्थानांतरित करने के लिए पैकेज का प्रस्ताव किया गया था। यह कहा गया था कि इसमें निर्धारित शर्तों को पूरी तरह से एक पैकेज के रूप में स्वीकार किया जाना है। प्रवास की शर्तों की स्वीकृति के अनुसार, मूल लाइसेंस समझौते में संशोधन किया गया था। संशोधनों का प्रमाण देने वाले नमूना पत्र के प्रासंगिक भागों को नीचे दिया गया है:

“भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग (वी. ए. एस. सेल)

संचर भवन,

20, अशोका रोड,

नई दिल्ली-110001

नंबर 842-47/2000-VAS/वॉल्यूम। IV

तारीख: 29 जनवरी, 2001

को।

मेसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड

डी-184, ओ. के. एच. एल. ए. औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110 020।

विषय:- दिल्ली में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस समझौता संख्या 842-1893-TM दिनांकित 29.11.1994 में संशोधन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

नई दूरसंचार नीति-1999 (एन. टी. पी.-99) की राजस्व साझाकरण व्यवस्था की ओर पलायन के परिणामस्वरूप मेट्रो सेवा क्षेत्र

साहब,

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, सं. 842-153/99-VAS (वॉल्यूम। V) (पं.) दिनांक 22.7.1999 नई दूरसंचार नीति-1999 के तहत राजस्व साझाकरण व्यवस्था में स्थानांतरण के लिए, लाइसेंस समझौते को प्रतिस्थापित किया जाएगा और लाइसेंस समझौते में कुछ भी निहित होने के बावजूद 1.8.1999 से प्रभावी अधिनियम के साथ निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

(i) लाइसेंसधारी 01.08.1999 के बाद सीमित संख्या में ऑपरेटरों के शासन में काम करने के अधिकार को त्याग देगा और एक बहुआयामी शासन में काम करेगा, जिसका अर्थ है कि लाइसेंसधारी सेवा क्षेत्र में बिना किसी सीमा के सेवा के लिए अतिरिक्त लाइसेंस जारी कर सकता है जहां लाइसेंसधारी कंपनी सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान कर रही है। (ii) लाइसेंस शुल्क: 1.8.1999 से प्रभावी होने पर, देय लाइसेंस शुल्क लाइसेंसधारी कंपनी के सकल राजस्व के हिस्से के रूप में निर्धारित प्रतिशत के बराबर होगा। अनंतिम रूप से लाइसेंसकर्ता ने सकल राजस्व का 15 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क के रूप में लगाया है और वर्तमान में इस उद्देश्य

के लिए सकल राजस्व का अर्थ लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी कंपनी का कुल राजस्व होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी. एस. एन. एल.)/एम. टी. एन. एल. या किसी अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता को भुगतान किए गए पी. एस. टी. एन. संबंधित कॉल शुल्क और (ख) सरकार की ओर से लाइसेंसधारी द्वारा अपने ग्राहकों से एकत्र किया गया सेवा कर या शुल्क।

सरकार निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करने के बाद, इस उद्देश्य के लिए राजस्व हिस्सेदारी की मात्रा के बारे में अंतिम निर्णय लेगी:

((ग) अनुज्ञप्ति की अवधि: अनुज्ञप्ति की अवधि मौजूदा अनुज्ञप्ति समझौते की प्रभावी तिथि से बीस वर्ष होगी जब तक कि उसमें बताए गए कारणों से इसे समाप्त नहीं किया जाता है। यदि 19 वें वर्ष के दौरान अनुरोध किया जाता है तो लाइसेंसकर्ता लाइसेंस की अवधि 419 से बढ़ा सकता है।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर एक बार में 10 साल की अवधि के लिए प्रभावी तिथि विस्तार देने के संबंध में लाइसेंसकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) माइग्रेशन पैकेज की स्वीकृति ली जाएगी और सभी मौजूदा विवादों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में माना जाएगा, चाहे वे माइग्रेशन पैकेज से संबंधित हों या नहीं। उक्त अवधि के लिए लाइसेंसधारी द्वारा बाद की किसी भी तारीख में कोई विवाद या मतभेद नहीं उठाया जाएगा।”

(जोर दिया गया)

13.5. इसके बाद, डी. ओ. टी. ने 1 अगस्त, 1999 से लाइसेंस समझौते में और संशोधन किए। 25 सितंबर, 2001 के एक नमूना पत्र के प्रासंगिक भाग जो संशोधनों का प्रमाण देते हैं, निम्नानुसार निकाले गए हैं:

“भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग (वी. ए. एस. सेल)

संचर भवन,

20, अशोका रोड,

नई दिल्ली-110 001

तिथि 25 सितंबर, 2001

No.842-47/2000-VAS (वॉल्यूम। IV) (भाग) से

मेसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड

डी-184, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020।

विषय:दिल्ली में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए लाइसेंस समझौता संख्या 842-18/93-TM दिनांक 29.11.1994 में संशोधन

420

नई दूरसंचार नीति-1999 (एन. टी. पी.-99) की राजस्व साझाकरण व्यवस्था में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र।

उपरोक्त लाइसेंस समझौते के 29 जनवरी, 2001 के संशोधन और विशेष रूप से पैरा (ii) की निरंतरता में, लाइसेंस शुल्क और डब्ल्यू. पी. सी. शुल्क की मात्रा पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति को सुरक्षित रखते हुए; लाइसेंसकर्ता एतद्द्वारा उक्त शक्ति के अनुसरण में निम्नलिखित निर्णय लेता है जो लाइसेंस समझौते या उपरोक्त बताए गए संशोधन में जो कुछ भी निहित और वर्णित है उसे संशोधित और प्रतिस्थापित करेगा।

(i) 1 अगस्त, 1999 से आपके द्वारा समायोजित सकल राजस्व (ए. जी. आर.) के 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ii) इसके अलावा सेलुलर लाइसेंस एन. टी. पी.-99 व्यवस्था में परिवर्तन की कट-ऑफ तिथि (1.8.1999) से स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करेंगे, जो डब्ल्यू. पी. सी. शुल्क के लिए ए. जी. आर. के 2 प्रतिशत के राजस्व हिस्से के आधार पर होगा, जिसमें सेलुलर स्पेक्ट्रम के उपयोग का रॉयल्टी भुगतान 4.4 मेगाहर्ट्ज + 4.4 मेगाहर्ट्ज तक और सेलुलर मोबाइल हैंडसेट और सेलुलर मोबाइल बेस स्टेशनों के लिए लाइसेंस शुल्क और वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग (डब्ल्यू. पी. सी.) द्वारा निर्धारित विवरणों के अनुसार वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण रखने के लिए भी शामिल है। कोई भी अतिरिक्त बैंड चौड़ाई, यदि उपलब्धता और औचित्य के अधीन आवंटित की जाती है, तो राजस्व हिस्से के रूप में अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क आकर्षित करेगा (आमतौर पर) 1 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व हिस्सा यदि आवंटित बैंडविड्थ 6.2 मेगाहर्ट्ज तक है + 6.2 मेगाहर्ट्ज 4.4 मेगाहर्ट्ज + 44 मेगाहर्ट्ज का स्थान है)।”

(जोर दिया गया)

13.6.1999 की नीति में स्थानांतरण के बाद लाइसेंस की शर्तों में किए गए प्रासंगिक गुणात्मक परिवर्तनों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 422

	एस. एल. नहीं। विभेदन के लिए मापदंड	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994	नई दूरसंचार नीति, 1999
1	बी. ई. एम. ए. डी. ई. बी. वाई. टी. एच. ई. ऑपरेटर को भुगतान का विवरण:	आई. पहले तीन वर्षों के लिए नियत लाइसेंस शुल्क; अर्थात्। एफ. आर. ओ. एम. टी. एच. ई. एफ. ओ. यू. आर. टी. एच. वाई. ई. आर. ओ. एन. डब्ल्यू. ए. आर. डी. एस., टी. एच. ई. एम. ओ. यू. एन. टी. ओ. एफ. लाइसेंस शुल्क बी. ई. पी. ए. आई. डी., डब्ल्यू. ए. एस. डी. ई. पी. ई. एन. डी. एन. एस. की संख्या एस. यू. बी. एस. सी. आर. आई. आर. एस., आई. आर. ई. एस. पी. ई. सी. टी. आई. वी. ई. ली. सी. ई. एन. सी. ई. एफ. रोम द्वारा राजस्व खाते में ऐसे अभिदाता, पी. आर. ई. एस. सी. आर. आई. बी. डी. न्यूनतम के अधीन	आई. मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा भुगतान किया गया एकमुश्त प्रवेश शुल्क और सभी नए प्रवेशकों द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क; ii. एजीआर के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाने वाला परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क।
2	एक वृत्त में अनुमत प्रचालक की अधिकतम संख्या	दो।	कोई पाबंदी नहीं
3	लाइसेंस की वैधता	10 वर्ष, विस्तार के अधीन।	20 वर्ष, विस्तार के अधीन।

4	प्रचालक का अधिकार/लाइसेंस का हस्तांतरण	लाइसेंस गैर-निर्दिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय था।	लाइसेंस के हस्तांतरण में ढील दी गई थी।
---	--	--	--

14. ऊपर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा, हमारे विचार में, प्रकृति और प्रकृति का विवरण देने वाले प्रासंगिक मामले कानून की विस्तृत समीक्षा के साथ शुरू होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय की विशेषताएँ और उनकी पहचान करने के लिए परीक्षण।

14.1. विवादित आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय का कोई निर्णय मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर सीधे लागू नहीं था और इसलिए, इस न्यायालय के कई फैसलों पर विचार किया, जिनका हम नीचे उल्लेख करेंगे:

(क) शुरुआत में, हम अपनी चर्चा की शुरुआत इन टिप्पणियों से करते हैं -

इस न्यायालय ने अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी., (1989) 3 एस. सी. सी. 329 ("एलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड") जिसमें विचाराधीन लेनदेन है।

यह निर्धारिती द्वारा अपने मौजूदा संयंत्र में पेनिसिलिन की उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी वित्तीय संस्थान के साथ एक समझौते के तहत किए गए एकमुश्त भुगतान के संबंध में था। उक्त लेन-देन की प्रकृति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने संकेत दिया कि "अनंत विभिन्न स्थितियों में

विभिन्नताएँ जिनमें पूंजीगत व्यय क्या है और राजस्व क्या है, की अवधारणा उत्पन्न होती है, मामलों की व्यापकता में भी, पर्याप्त रूप से सटीक और यथोचित रूप से व्यापक, किसी भी सामान्य नियम को तैयार करना "संभव नहीं" है।

सीमांकन की कोई भी स्पष्ट रेखा बनाएँ। इस न्यायालय ने आगे कहा कि कोई एकल निश्चित मानदंड नहीं है जो स्वयं यह सीमांकन करता है कि कोई विशेष परिव्यय पूंजी है या राजस्व। इसलिए, "हमेशा के लिए एक बार" परीक्षण के साथ-साथ "स्थायी लाभ" का परीक्षण निर्णायक नहीं हो सकता है। नतीजतन, समझौते के विभिन्न नियम और शर्तें, समझौते के तहत एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त लाभ, समझौते के तहत निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए और फिर यह तय करना होगा कि इस प्रकार किए गए भुगतान का पूरा या एक हिस्सा पूंजीगत व्यय है या राजस्व व्यय।

इस न्यायालय ने कहा कि अदालतों ने विदेशी वित्तीय संस्थान से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर एक नया व्यवसाय शुरू करने जैसे विभिन्न परीक्षणों को लागू किया है; पेटेंट या

ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए कंपनी का अनन्य अधिकार जो उसे विदेशी वित्तीय संस्थान से प्राप्त होता है; कंपनी द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थान को किया गया भुगतान, चाहे वह एक निश्चित समय के लिए हो या कुछ आकस्मिकताओं पर निर्भर हो; समझौते के पूरा होने के बाद भी उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी का उपयोग करने का अधिकार; विदेशी वित्तीय संस्थान से प्राप्त तकनीकी जानकारी के कारण काफी हद तक स्थायी लाभ प्राप्त करना, भुगतान चाहे "हमेशा के लिए एक बार" किया गया हो या उत्पाद के सकल कारोबार के प्रतिशत से सह-संबंधित विभिन्न किशतों में किया गया हो, 423

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 424

आदि अंततः यह पता लगाने के लिए कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय या भुगतान पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है और अदालत के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यह करता है, तो इसे पूंजीगत व्यय माना जाना चाहिए। यह भी देखा गया कि कोई भी एकल निश्चित मानदंड अपने आप में निर्धारक नहीं होगा और इसलिए, व्यवसाय की बदलती आर्थिक वास्तविकताओं और स्थितिजन्य विविधताओं की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, समझौते के विभिन्न खंडों की जांच की जानी चाहिए।

वास्तव में, इस प्रश्न के संबंध में कि क्या निर्धारिती द्वारा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी वित्तीय संस्थान के साथ एक समझौते के तहत किए गए "हमेशा के लिए" भुगतान, अपने मौजूदा संयंत्र में पेनिसिलिन की उपज बढ़ाने के लिए इस शर्त के साथ कि उक्त जानकारी को कैसे विश्वसनीय रखा जाए, कटौती के लिए स्वीकार्य गठित व्यावसायिक व्यय, इस न्यायालय ने प्रत्यावेदन में कहा। एम. एन. वेंकटाचलिया, जे. (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अभिनिर्धारित किया कि "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना करने में, अधिनियम की धारा 37, जैसा भी मामला हो, व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय किए गए किसी भी व्यय की कटौती को सक्षम बनाती है। यह तथ्य कि व्यय की एक वस्तु पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई है, कर के लिए प्रभार्य आय की गणना में इसके भत्ते को हकदार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, व्यय पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं होना चाहिए।

(ख) एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड में, जो सवाल उठा वह यह था कि क्या करघे के घंटों की बिक्री को पूंजी रसीद की प्रकृति में माना जाना था और इसलिए कर योग्य नहीं था। लेन-देन में एक जूट मिल को कुछ शर्तों के अधीन विचार के लिए करघों के घंटों को दूसरे को स्थानांतरित करना शामिल था। उक्त मामले में यह देखा गया कि पूंजीगत व्यय एक स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए होगा, लेकिन जब वाणिज्यिक अर्थ में लाभ प्राप्त करने की बात आती है, तो स्थायी लाभ परीक्षण को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। उक्त मामले में, एक और परीक्षण अपनाया गया था, अर्थात्, फाइज्ड और सर्कुलेटिंग कैपिटल टेस्ट। यह देखा गया कि करघों की खरीद परिसंचारी पूंजी (श्रम, कच्चा माल, बिजली आदि) की तरह नहीं थी, बल्कि करघों के घंटे

भी चालू पूंजी का हिस्सा नहीं थे। यह देखा गया कि कोई व्यय राजस्व है या पूंजी, यह कानूनी अधिकारों के न्यायिक वर्गीकरण के बजाय व्यावहारिक और व्यावसायिक विचारों पर निर्भर होना चाहिए। कि अपनाया जाने वाला परीक्षण यह था कि क्या व्यय किसी व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आवश्यकता या समीचीनता, अर्थात्, व्यय निर्धारिती के कार्य व्यय का एक हिस्सा था या लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था; क्या स्थायी चरित्र का अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यय आवश्यक था, जिसका अधिकार व्यापार करने के लिए एक शर्त थी, इस पर प्रकाश डाला गया था।

(ग) जहां तक पट्टा समझौतों का संबंध है, असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड में यह न्यायालय, वार्षिक किराए के भुगतान के साथ-साथ सुरक्षा शुल्क के भुगतान पर बीस वर्षों के लिए सीमेंट के निर्माण के लिए खनन पत्थर की खदानों के पट्टे के अधिग्रहण के संदर्भ में, प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए इसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। उक्त मामले में यह देखा गया कि देय प्रतिफल प्रति वर्ष था, लेकिन पट्टे की पूरी या पूरी अवधि के लिए था और यह निर्धारिती को बाहरी लोगों से मुक्त व्यवसाय करने का अधिकार देता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यय कार्यशील या परिचालन व्यय का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूंजीगत परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए था। (घ) सिंधुरानी में, कृषि भूमि के निपटान के लिए विचार के रूप में भावी किरायेदार द्वारा मकान मालिक को की गई गैर-आवर्ती प्रकृति की सलामी या एकमुश्त भुगतान और मकान मालिक और किरायेदार संबंध को पूर्व भुगतान किए गए कुछ अधिकारों के साथ अलग होना किराए की प्रकृति में नहीं माना जाता था और इस प्रकार पूंजी भुगतान। यह अभिनिर्धारित किया गया कि भुगतान भूमि के उपयोग के लिए नहीं था, बल्कि निर्धारिती द्वारा भूमि का उपयोग करने के लिए था। सलामी का किराया अग्रिम रूप से नहीं दिया जाता था।

(ङ) उद्यमशील उद्यमों में, इस न्यायालय ने पिंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पिंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उल्लेख करने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। सी. आई. टी., (1960) 40 आई. टी. आर. 67 (एस. सी.) ("पिंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड"); गोटेन लाइम बनाम सी. आई. टी., (1999) 239 आई. टी. आर. 718 ("गोटेन लाइम") और आदित्य मिनरल्स प्रा. लिमिटेड को यह रखने के लिए

रॉयल्टी या किराए के भुगतान और जहां पट्टे के प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान एक बार में या किश्तों में किया गया था, के बीच अंतर है। रॉयल्टी या किराया एक राजस्व व्यय है जबकि पट्टे के प्रीमियम का भुगतान या तो एक बार में या किश्तों में एक पूंजीगत व्यय होगा। 14.2. उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तीन अन्य निर्णयों पर ध्यान दिया

गया, जो अपीलार्थी-राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार गलत तरीके से मामले में लागू किए गए थे। इनका उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है:

(क) जोनस वुडहेड एंड संस में सवाल यह था कि क्या तकनीकी 425 के लिए विदेशी कंपनी को रॉयल्टी के रूप में भुगतान किए गए सकल राजस्व का 25 प्रतिशत

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 426

उत्पादों के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना से संबंधित जानकारी/जानकारी, पूंजीगत व्यय था। यह मुद्दा कई कारकों पर निर्भर करता था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या निर्धारिती ने पूरी तरह से एक नया व्यवसाय स्थापित किया था, या क्या तकनीकी ज्ञान उस उत्पाद की बेहतरी के लिए था जो पहले से ही उत्पादित किया जा रहा था; क्या यह मौजूदा व्यवसाय का एक हिस्सा था या एक नया व्यवसाय?; क्या समझौते की अवधि समाप्त होने पर, निर्धारिती को विदेशी कंपनी से प्राप्त योजनाओं, चित्रों आदि को वापस देना आवश्यक था या उत्पादों का निर्माण जारी रख सकता था? उक्त मामले में मूल्यांकन अधिकारी ने रॉयल्टी के रूप में भुगतान की गई राशि का 25 प्रतिशत पूंजी के रूप में माना था और शेष राशि को राजस्व व्यय के रूप में माना गया था।

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया था, वह यह था कि क्या उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करना सही था कि जोनस वुडहेड एंड संस को रॉयल्टी के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि का 25 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था और इसलिए मूल्यांकन वर्षों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं था।

यह देखा गया कि यह प्रश्न ऊपर बताए गए कई कारकों और समझौते के विभिन्न नियमों और शर्तों के निर्माण के संचयी प्रभाव पर निर्भर करेगा; क्या निर्धारिती ने अपनी पूंजी में आने वाले लाभ प्राप्त किए हैं जिसके लिए भुगतान किया गया था या नहीं।

उक्त मामले में समझौते के विभिन्न खंडों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विदेशी वित्त आयोग के साथ समझौता निर्धारिती द्वारा एक नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए था और विदेशी वित्त आयोग ने न केवल जानकारी और तकनीकी जानकारी प्रदान की थी, बल्कि कारखाने की स्थापना में भी मूल्यवान सेवाएं प्रदान की थीं और समझौते की समाप्ति के बाद भी, निर्धारिती पर उत्पाद का निर्माण जारी रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए, यह मानना मुश्किल था कि किया गया पूरा भुगतान केवल एक राजस्व व्यय था क्योंकि भुगतान रॉयल्टी के रूप में आय के उत्पादों के सकल कारोबार की दरों के एक निश्चित प्रतिशत पर किया जाना आवश्यक था। केवल यही इसे राजस्व व्यय नहीं बना सका। इसलिए, उठाए गए प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में दिया गया और दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया।

ख) सदर्न स्विच गियर लिमिटेड में, इस न्यायालय ने इस निर्णय को रद्द कर दिया

मद्रास उच्च न्यायालय, जिसमें देय रॉयल्टी को विभाजित किया गया था और 25 प्रतिशत

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

इसे इस आधार पर पूंजी भुगतान या व्यय के रूप में माना जाता था कि विशेष रूप से भारत में कुछ वस्तुओं के निर्माण के अधिकार को निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी से सुरक्षित एक स्वतंत्र अधिकार के रूप में लिया जाना चाहिए और यह अधिकार स्थायी प्रकृति का था।

(ग) बेस्ट एंड कंपनी में, प्रतिवादी निर्धारिती व्यवसाय कर रहा था और उसके पास असंख्य एजेंसियां थीं और एक एजेंसी को रद्द करने के कारण मुआवजा प्राप्त किया गया था और सवाल यह था कि क्या उक्त मुआवजा पूंजी या राजस्व रसीद प्रकृति का था; क्या किसी एजेंसी की समाप्ति से उसमें प्राप्तकर्ता ने एक कमाई संपत्ति खो दी थी और ऐसी संपत्ति के विनाश के लिए भुगतान किया गया मुआवजा एक पूंजी रसीद थी और इसलिए कर के लिए उत्तरदायी नहीं था। के. सुब्बा राव। जे. (जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश तब थे) ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि यह प्रश्न कि क्या किसी निर्धारिती द्वारा एजेंसी के नुकसान के लिए प्राप्त मुआवजा एक पूंजी रसीद है या राजस्व रसीद प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब दिया जाता है, विशेष रूप से, क्या किसी एजेंसी का नुकसान व्यवसाय के दौरान एक सामान्य घटना थी या क्या यह एक स्थायी संपत्ति के नुकसान के बराबर है जिसके कारण कमाई उपकरण या संरचना के पूरे या एक हिस्से को विस्थापित करने वाला एक अवशोषित सदमा होता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि किसी विशेष एजेंसी का नुकसान व्यवसाय के लिए आकस्मिक था, तो प्राप्त मुआवजा एक राजस्व रसीद होगी, लेकिन यदि यह एक स्थायी संपत्ति के नुकसान के लिए प्राप्त मुआवजा था, तो यह एक पूंजी रसीद होगी। लेकिन इसके लिए, व्यवसाय का पिछला इतिहास और एजेंसी का सापेक्ष महत्व खो गया और उक्त एजेंसी के नुकसान के बाद व्यवसाय की स्थिति की विभाग द्वारा जांच की जानी चाहिए। उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, उक्त मामले के तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें सहायक दक्षिण भारत में एक सुस्थापित और लंबे समय से चली आ रही कंपनी थी जिसने अलग-अलग लाइनों में असंख्य एजेंसियों को लिया था और ऐसी एक एजेंसी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (एक्सपोर्टर्स) लिमिटेड, ग्लासगो से ली गई थी। जब यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि उक्त एजेंसी का नुकसान इतना बड़ा था कि एजेंसी का व्यवसाय विस्थापित हो गया था, तो उक्त मामले के तथ्यों पर विचार करने पर, इस न्यायालय ने कहा कि निर्धारिती द्वारा उक्त एजेंसी का नुकसान केवल एक सामान्य व्यापारिक नुकसान था और इसे प्राप्त आय राजस्व रसीद थी।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 428

एक अन्य प्रश्न जिस पर विचार किया गया था, वह यह था कि क्या निर्धारिती द्वारा प्रतिबंधात्मक वाचा के बदले में प्राप्त मुआवजा एक पूंजी रसीद थी। यह देखा गया कि गैर-प्रतिस्पर्धा खंड एजेंसी की समाप्ति के बाद लागू हुआ और यह निर्धारिती द्वारा किया गया एक स्वतंत्र दायित्व था कि वह एक विशिष्ट अवधि के लिए उसी क्षेत्र में नए एजेंट के साथ प्रतिस्पर्धा न करे और इसलिए, प्राप्त मुआवजा प्रतिबंधात्मक वाचा के लिए जिम्मेदार था और एक पूंजी रसीद थी और इसलिए कर के लिए आकलन योग्य नहीं था।

बहुमत निर्णय ने उक्त प्रश्न का उत्तर यह देखते हुए दिया कि किसी एजेंसी को रद्द करने पर मुआवजा प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर पूंजी और राजस्व दोनों हो सकता है और क्या रद्द करने से कमाई के उपकरण या संरचना को भौतिक, वित्तीय, वाणिज्यिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रभावित किया गया था। उक्त मामले में, प्राप्त मुआवजे को राजस्व रसीद माना गया था क्योंकि प्रतिवादी निर्धारिती के पास अलग-अलग लाइनों में असंख्य एजेंसियां थीं और उसने अन्य लाइनों में व्यवसाय जारी रखने के लिए केवल एक को छोड़ दिया था। एक एजेंसी का नुकसान, यह देखा गया, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में था और सामान्य व्यवसाय का एक हिस्सा था, इसलिए, मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि प्रकृति में राजस्व थी। साथ ही, यह स्वीकार किया गया कि एक विशिष्ट अवधि के लिए एक प्रतिबंधात्मक वाचा के कारण भुगतान/प्राप्त मुआवजा, जिस पर निर्धारिती ने प्रतिस्पर्धी एजेंसी को नहीं लेने का बीड़ा उठाया था, एक पूंजी रसीद थी और इसलिए, कर योग्य नहीं थी।

14.3. अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड में, तथ्यों पर, यह देखा गया था

कि उद्यम के कुछ क्षेत्रों में प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी में सुधार मौजूदा व्यवसाय के पूरक थे और यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि यह एक नए या नए उद्यम के बराबर है। यह कि आगे की परिस्थिति कि समझौता पहले से ही निर्धारिती के स्थापित व्यवसाय की पंक्ति में एक उत्पाद से संबंधित था और एक नए उत्पाद से संबंधित नहीं था, यह इंगित करता है कि जो निर्धारित किया गया था वह मौजूदा व्यवसाय के संचालन में सुधार था और इसकी प्रभावशीलता और लाभप्रदता निर्धारिती के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के क्षेत्र से नहीं हटाई गई थी।

उपरोक्त संदर्भ में, यह माना गया था कि व्यय राजस्व व्यय की प्रकृति में था न कि पूंजीगत व्यय। यह भी कहा गया कि न्यायाधिकरण के समक्ष यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि आशु रचना का क्षेत्र मौजूदा व्यवसाय का हिस्सा नहीं था या संपूर्ण मौजूदा व्यवसाय का हिस्सा नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

एक कंपनी, मेजी द्वारा आपूर्ति किए गए पेनिसिलिन के उच्च उपज देने वाले उपभेदों की नई उप-संस्कृतियों के दोहन के संबंध में निर्धारिती के मौजूदा संयंत्र में पेनिसिलिन के वाणिज्यिक

उत्पादन के लिए विनिर्माण संचालन अप्रचलित या अनुचित हो गया था और केवल नए जैव-संश्लेषक स्रोत की शुरुआत के लिए पूरी तरह से नए और अलग प्रकार के संयंत्र और मशीनरी के निर्माण और चालू करने की आवश्यकता थी।

14.4. एक अन्य मामला जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में चर्चा की गई है और जिस पर अपीलकर्ता-राजस्व द्वारा भरोसा किया गया है, वह है पिंगले इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उक्त मामले में, बहुमत के फैसले में कहा गया कि उसमें विचाराधीन भुगतान दीर्घकालिक पट्टे और पत्थरों की खान का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था और पट्टे को निर्धारिती को बता दिया गया था जिसे पत्थरों को निकालना था और उन्हें स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में परिवर्तित करना था। कि खर्च एक पूंजीगत संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए किया गया था, जिससे निष्कर्षण के बाद, पत्थरों को स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया जा सकता था। भुगतान, हालांकि आवधिक, वास्तव में, न तो किराया था और न ही रॉयल्टी, बल्कि उसके व्यापार के लिए स्थायी लाभ की पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने के लिए किशतों में एकमुश्त भुगतान था। मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने खर्च को पूंजी खाते के रूप में माना। तथ्यों पर, यह देखा गया कि निर्धारिती ने उसमें **Rs.96,000/-** का डाउन पेमेंट किया था और पट्टे के अधिग्रहण के लिए शेष राशि के लिए आसान शर्तों के लिए कहा था। शेष राशि का भुगतान हर महीने किया जाता था लेकिन यह महीने-दर-महीने अधिकार के अधिग्रहण के लिए नहीं था। इस अदालत के अनुसार "यह वास्तव में पूरी राशि थी जिसे उसकी सुविधा के लिए छोटे भुगतानों में काटा गया था।" इसलिए, इस राशि को एक व्यावसायिक व्यय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हर महीने होने वाले खर्च को पत्थरों की खरीद पर खर्च के रूप में नहीं लिया जाना था, बल्कि जागीर पर पूरे दायित्व के निर्वहन के रूप में लिया जाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि छह गाँवों में स्थित खदान से कुछ खदानों से पत्थरों की खुदाई के लिए पट्टा लिया गया था।

निर्धारिती ने उन छह गाँवों के क्षेत्र में सीमेंट का निर्माण नहीं करने और किसी अन्य व्यक्ति को पत्थर खोदने की अनुमति नहीं देने का बीड़ा उठाया था। पट्टा अनन्य अधिकार और एकाधिकार की प्रकृति का था। किशत के किसी भी चूक के मामले में, ठेकेदार को एक महीने के नोटिस के बाद अनुबंध की फिर से नीलामी की जाएगी, जो किसी भी कमी के लिए जिम्मेदार होगा लेकिन उसे किसी भी अतिरिक्त राशि का लाभ नहीं मिलेगा।

14.5. लर्नड ए. एस. जी. ने भी जालान ट्रेडिंग कंपनी के फैसले पर भरोसा किया। उक्त मामले में, एक विनिर्माण कंपनी ने अपनी एकमात्र बिक्री एजेंसी **429** दी।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] **430**

असाइनमेंट के विलेख के तहत एक समझौते द्वारा नवीनीकरण के अधिकार के साथ दो साल के लिए जालान ट्रेडिंग कंपनी। समझौते का लाभ निर्धारिती को उसके लाभ और कमीशन, पारिश्रमिक और उक्त समझौते या किसी अन्य समझौते के तहत प्राप्त अन्य धन के **75** प्रतिशत के भुगतान पर सौंपा गया था। इसमें निर्धारिती ने एक व्यावसायिक कटौती के रूप में संबंधित

मूल्यांकन वर्ष में अपने लाभ के 75 प्रतिशत के भुगतान का दावा किया। सवाल यह था कि क्या भुगतान राजस्व व्यय था या पूंजीगत व्यय। तथ्यों के आधार पर यह देखा गया कि उसमें निर्धारिती एक नई कंपनी थी और उसने अनुबंध के तहत अपने वार्षिक शुद्ध लाभ के 75 प्रतिशत के भुगतान पर समझौते के नवीनीकरण के अधीन दीर्घकालिक आधार पर व्यवसाय करने का अधिकार हासिल कर लिया था। सवाल यह था कि क्या निर्धारिती ने पूंजीगत संपत्ति अर्जित की थी और इसलिए, भुगतान अधिनियम की धारा 10 (2) (vii) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं था। समनुदेशन विलेख के खंडों पर विचार करने पर, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त समझौते के तहत भुगतान किए गए लाभ और कमीशन के 75 प्रतिशत का भुगतान पूंजीगत व्यय की प्रकृति का था और यह अधिनियम के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं था।

14.6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दातार ने चार निर्णयों पर भरोसा किया जिन पर हम नीचे चर्चा करेंगे:

(क) त्रावणकोर शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम। आय-कर आयुक्त, (1966) 62 आई. टी. आर. 566 (एस. सी.) (त्रावणकोर शक्कर और रसायन)

), तथ्य यह थे कि त्रावणकोर सरकार द्वारा संचालित तीन उपक्रमों को एक समझौते के तहत एक कंपनी द्वारा ले लिया गया था जिसमें तीन उपक्रमों की संपत्तियों को सरकार द्वारा नई कंपनी को बेचने पर सहमति व्यक्त की गई थी। तीनों उपक्रमों की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नकद प्रतिफल का भुगतान किया जाना था और वार्षिक शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत भी सरकार को दिया जाना था, जो अधिकतम ₹1,000/- के अधीन था। बाद में समझौते की शर्तों में संशोधन करके उक्त 20 प्रतिशत को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। सवाल यह था कि क्या उक्त भुगतान अधिनियम की धारा 10 के तहत स्वीकार्य था। उच्च न्यायालय ने माना कि यह राशि एक पूंजीगत व्यय है। तथापि, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन भुगतान निम्नलिखित कारणों से राजस्व व्यय की प्रकृति में था:

i) भुगतान एक अनिश्चित अवधि के लिए था और इसके साथ समय की कोई सीमा नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(ख) भुगतान वार्षिक लाभ से संबंधित था जो अपीलार्थी-कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों से देय था और जिसका परिसंपत्तियों के पूंजी मूल्य से कोई संबंध नहीं था और;

iii) भुगतान किसी भी तरह से तीनों उपक्रमों के खरीद मूल्य के हिस्से के रूप में पक्षों के बीच सहमत किसी भी निश्चित राशि से संबंधित या जुड़ा हुआ नहीं था।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को न केवल संबंधित दस्तावेजों से बल्कि आसपास की परिस्थितियों से भी एकत्र किया जाना चाहिए।

(ख) मेसर्स देवीदास विठ्ठलदास एंड कंपनी बनाम सी. आई. टी., बॉम्बे सिटी, (1972) 3 एस. सी. 457, (1972) 184 आई. टी. आर. 277 (एस. सी.) (देवीदास विठ्ठलदास)

और कंपनी) यह न्यायालय एक चल रहे व्यवसाय के अधिग्रहण के संबंध में प्रश्न पर विचार कर रहा था और क्या, व्यवसाय की सद्भावना का अधिग्रहण एक पूंजी संपत्ति के अधिग्रहण के बराबर होगा और खरीद मूल्य एक पूंजीगत व्यय होगा। इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या इससे कोई अंतर पड़ेगा कि क्या प्रतिफल का भुगतान एकमुश्त में किया जाता है, या एक बार में, या किश्तों में, एक निश्चित अवधि में वितरित किया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां अधिग्रहण स्वयं सद्भावना का नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करने के अधिकार के लिए है, खर्च एक राजस्व व्यय होगा। यह भी देखा गया कि यदि भुगतान रॉयल्टी की प्रकृति का है तो इसे राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। यह मानने का मुख्य कारण कि लेन-देन सद्भावना की बिक्री के बराबर नहीं था, यह था कि भुगतान की अवधि और साथ ही प्रतिफल की राशि भी अनिश्चित थी क्योंकि वे व्यवसाय के लाभ में वृद्धि और गिरावट पर निर्भर करते थे। उक्त मामले में, यह 3 के बहुमत द्वारा देखा गया था: 1 के बीच अंतर करने में

पूँजी और राजस्व व्यय, अदालतों ने अलग-अलग मामलों में अलग-अलग परीक्षण लागू किए हैं। फिर भी, यह माना जाता है कि उनमें से कोई भी अपने आप में निर्णायक नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर किसी न किसी तरह से निर्धारण किया जाना चाहिए।

हालांकि, सी. जे. सीकरी ने अपनी असहमति में तर्क दिया कि किसी भी पूंजीगत संपत्ति के खरीद मूल्य के भुगतान का तरीका 431 में पूंजी भुगतान को राजस्व भुगतान में परिवर्तित नहीं कर सकता है।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 432

विक्रेता के हाथ। भुगतान का तरीका विक्रेता के हाथों में रसीद के चरित्र को प्रभावित कर सकता है लेकिन जहां तक विक्रेता का संबंध है, जो स्पष्ट रूप से एक पूंजी भुगतान है उसे राजस्व भुगतान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, बहुमत का मानना था कि लेन-देन बिक्री के बराबर नहीं है और व्यवसाय की सद्भावना के उपयोग के लिए प्रतिफल का भुगतान जो अनिश्चित है और प्रत्येक वर्ष कंपनी द्वारा अर्जित लाभ पर निर्भर करता है, एक राजस्व व्यय हो सकता है।

(ग) श्री दातार द्वारा सारदा बाइंडिंग कार्यों पर भी रिलायंस को रखा गया था। उक्त मामले में, बुक बाइंडर और प्रकाशक के रूप में व्यवसाय करने वाले एक पंजीकृत निकाय ने "बी" के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत उसने 5,000/- रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय राशि और प्रत्येक वर्ष के व्यवसाय के शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत के बराबर राशि पर विचार करने के लिए एक

प्रकाशन संस्था का व्यवसाय चलाने का अधिकार प्राप्त किया था। निर्धारिती ने उक्त राशि का दावा व्यावसायिक व्यय के रूप में किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां विचाराधीन लेन-देन व्यवसाय की खरीद के बराबर है, वहां आंशिक रूप से वार्षिक राशि के रूप में भुगतान किया गया प्रतिफल और आंशिक रूप से उक्त व्यवसाय से निर्धारिती द्वारा अर्जित लाभ के एक निश्चित प्रतिशत पर आवधिक भुगतान को पूरी तरह से पूंजी भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है। देय निश्चित वार्षिक राशि एक पूंजी भुगतान था, लेकिन भविष्य में अर्जित लाभ के आधार पर जो राशि अनिश्चित थी, उसके आवधिक भुगतान को प्रकृति में पूंजी के रूप में नहीं माना जा सकता था। उक्त मामले में, आयकर, सुर कर और लाभ कर के कानून पर व्हीटक्राफ्ट के ग्रंथ से निम्नलिखित उद्धरण उद्धृत किया गया था, जिसमें तीन प्रकार के मामले जहां खरीद मूल्य का समय-समय पर या किश्तों में भुगतान किया जा सकता है और उनके बीच अंतर के बिंदु उद्धृत किए गए थे:

“सबसे पहले, ऐसे मामले हैं जहां सभी भुगतानों को प्राप्तकर्ता की आय के रूप में माना जाना चाहिए और दाता भुगतान पर कर की कटौती करने और अपनी कुल आय की गणना में कटौती करने का हकदार है। दूसरा, ऐसे मामले हैं जहां सभी भुगतानों को पूंजी के रूप में माना जाता है और न तो प्राप्तकर्ता के लिए कर योग्य होते हैं और न ही दाता की कुल आय की गणना में कटौती योग्य होते हैं। तीसरा, ऐसे मामले हैं जहाँ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

भुगतान को आय सामग्री और पूंजी सामग्री में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि पहला भाग कर योग्य और कटौती योग्य हो जबकि दूसरा नहीं है।”

तथ्यों पर, पहले के मामले को तीसरी श्रेणी के तहत आने वाले मामले के रूप में वर्गीकृत किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भुगतान पूंजी है या राजस्व, इस प्रश्न पर प्रत्येक मामले के तथ्यों और भुगतान की वास्तविक प्रकृति के संबंध में विचार किया जाना चाहिए, दस्तावेजों और आसपास की सभी परिस्थितियों से महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ पता लगाया जाना चाहिए कि मूल दायित्व की प्रकृति, भुगतान जारी रखने की अवधि, क्या वे कुछ पूंजी राशि की किश्तों के रूप में व्यक्त किए गए हैं या नहीं और क्या प्रावधान, यदि कोई है, तो परिवर्तन के लिए किए गए हैं।

इसके अलावा, इस प्रश्न को तय करने में चार परीक्षण, कि क्या कोई विशेष व्यय स्वीकार्य है या नहीं, भी उसी ग्रंथ से उद्धृत किए गए थे। उक्त उद्धरण इस प्रकार है:

“सामान्य तौर पर, हालांकि, यह तय करने के लिए कि क्या एक व्यापारी के कुछ विशेष खर्च को ध्यान में रखा जाना चाहिए, प्राप्ति के संबंध में विचार किए जाने वाले चार परीक्षणों को लागू किया जाना चाहिए। पहला, क्या व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यापार के उद्देश्यों के लिए

निर्धारित किया गया है? यदि नहीं, तो इसे बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, क्या राजस्व का व्यय पूंजीगत प्रकृति का नहीं है? जब तक यह राजस्व प्रकृति का नहीं होगा तब तक इसे बाहर रखा जाएगा। तीसरा, क्या कर की कटौती की जा सकती है और भुगतान पर उसे बरकरार रखा जा सकता है? यदि ऐसा है तो इसे हटा दिया जाएगा। अंत में, क्या आयकर अधिनियम का कोई अन्य विशेष प्रावधान है जो भुगतान को लाने या खाते से बाहर रखने की अनुमति देता है या इसकी आवश्यकता होती है?"

इसलिए, उक्त मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि भुगतान राजस्व चरित्र के थे और ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं था जो भुगतान को पूंजी चरित्र के रूप में प्रस्तुत करने में अदालत को उचित ठहराए। भुगतान उन लाभों के संदर्भ में किया गया था जो अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार से संबंधित थे। भुगतान किसी भी विशिष्ट संपादित राशि से संबंधित नहीं थे जिस पर पक्षों द्वारा व्यवसाय के खरीद मूल्य के रूप में सहमति व्यक्त की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय ने बरकरार रखा। (घ) श्री दातार ने मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया है। उक्त मामले में तत्कालीन 433 द्वारा लाइसेंस दिया गया था।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 434

उदयपुर राज्य के शासक ने चीनी के निर्माण के लिए जो निर्धारिती के लाभ के लिए बत्तीस वर्षों तक चलने वाला एकाधिकार था। शर्तों में से एक यह थी कि उक्त आदेश की तारीख से बत्तीस साल की अवधि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चीनी कारखाना शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक अन्य शर्त यह थी कि कारखाने में निर्मित चीनी पर रॉयल्टी ली जानी चाहिए। कोई अन्य कर नहीं लिया जाना था। एकाधिकार के अनुदान के बाद, मेवाड़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक एक सीमित कंपनी को हटा दिया गया और कंपनी ने एक कारखाना स्थापित करने के लिए कदम उठाए, आवश्यक मशीनरी प्राप्त की और इसे स्थापित किया। कारखाने के पूरा होने के बाद, वित्तीय कठिनाइयों के कारण उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका। नतीजतन, दो अन्य व्यक्तियों के साथ कंपनी से अट्ठाईस वर्षों की अनिर्णित अवधि के लिए उसके द्वारा रखे गए सभी अधिकारों और परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत के भुगतान के विचार में व्यवसाय चलाने के लिए एक समझौता किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष दो विवाद उत्पन्न हुए, अर्थात् - (i) एकाधिकार अधिकारों के लिए उसमें अपीलार्थी द्वारा किए गए भुगतानों की कटौती से संबंधित और (ii) कंपनी द्वारा निर्मित चीनी की कीमत की रॉयल्टी के राज्य को भुगतान से संबंधित। एकाधिकार अधिकारों के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान की अस्वीकृति के सवाल की चुनौती को छोड़ दिया गया था। एकमात्र अन्य प्रश्न यह था कि अपीलार्थी द्वारा उत्पादित चीनी की कीमत पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान एकाधिकार अधिकारों से संबंधित था और इसलिए पूंजीगत व्यय पर विचार किया गया था।

यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा उत्पादित चीनी की कीमत पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी के भुगतान का अनुदान के तहत प्रदत्त एकाधिकार के लिए संदर्भित भुगतान से कोई संबंध नहीं था। यह देखा गया कि उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, किया गया व्यय, यानी निर्मित चीनी

पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी भुगतान का भुगतान एक राजस्व व्यय था, जबकि प्राप्त एकाधिकार अधिकारों के संबंध में किया गया भुगतान पूंजीगत प्रकृति का था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

वर्तमान मामले में ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों की प्रयोज्यता की जांच बाद में की जाएगी।

15. विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न लेन-देनों के वर्गीकरण को रेखांकित करने वाला एक सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

एस. एल. नहीं।	उद्धरण	विचाराधीन लेन-देन	इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वर्गीकरण:	आर ई ए एस ओ एन एस एफ ओ आर वर्गीकरण:
1	ए एस ए एम बी ई एन जी ए एल सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, (1955) 27 आईटीआर 34 (एससी)। डब्ल्यू ई एस टी बी ई एन जी ए एल, (1955) 217 आई. टी. आर. 34 (एस. सी.)।	निर्धारिती द्वारा सीमेंट के निर्माण के लिए खदान पत्थर की खदानों का पट्टा, बीस साल की अवधि के लिए, वार्षिक किराए के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए सुरक्षा शुल्क के भुगतान पर।	सी ए पी आई टी ए एल व्यय	यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यय कार्य या परिचालन व्यय का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने के लिए था। ई. एक्स. पी. एन. डी. आई. टी. यू. आर. ए. एस. को एक पूंजीगत व्यय माना जाता था, हालांकि यह प्रति वर्ष देय था, क्योंकि यह निर्धारिती को बाहरी लोगों द्वारा निर्बाध रूप से व्यवसाय करने का अधिकार देता था।
2	एम. ई. एम. बी. ई. आर. ओ. एफ. ए. जी. आर. आई. सी. यू. एल. यू. आर. ए. एल. आयकर, असम बनाम असम। सी एन डी एच यू आर यू आर ए एन आई, (1957) 32	कृषि भूमि के निपटान के लिए संभावित टी. एन. एन. टी. टी. एच. ई. एल. एन. डी. एल. ओ. आर. डी. ए. एस. सी. ओ. एन. एस. आई. डी. ई. आर. ए. टी. आई. एन.	सी ए पी आई टी ए एल व्यय	यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसा भुगतान किराए की प्रकृति में नहीं था, बल्कि पूंजीगत व्यय की प्रकृति में मकान मालिक-किरायेदार संबंध के प्रभाव में आने से पहले किया गया था।

	आई टी आर 169 (एससी)।	द्वारा बनाया गया एल. यू. एम. पी.- एस. यू. एम. पी. ए. वाई. मी. एन. टी. (एन. ओ. एन.-आवर्ती)।		
--	-------------------------	---	--	--

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

435

[बी. वी. नागरत्ना, जे.] 436

3	पिंगले इंडस्ट्रीज एल. टी. डी. बनाम. आयकर की धारा 40 आई. टी. आर. 67 (एस. सी.)।	एल. यू. एम. पी.-एस. यू. एम. राशि, देय आई. एन. आई. एन. एस. टी. ए. एल. एम. ई. एन. टी. एस. एफ. ओ. आर. ए. सी. क्यू. यू. आर. आई. एन. जी. ई. एक्स. सी. यू. वी. ई. एकाधिकार अधिकार कुछ खदानों के लिए।	सी ए पी आई टी ए एल व्यय	कि पट्टाधारी ने दीर्घकालिक पट्टा के माध्यम से पत्थर निकालने का अधिकार प्राप्त किया था और पट्टा निर्धारिती को भूमि का एक हिस्सा दिया गया था। पट्टे को एक पूंजीगत संपत्ति माना जाता था, जिसे स्टॉक-इन- ट्रेड में परिवर्तित किया जा सकता था।
4	आयकर आयुक्त, यू. पी. बनाम एम. देवी जूट मिल्स लिमिटेड, (1965) 57 आई. टी. आर. 36 (एस. सी.)	करघा-घंटे की बिक्री पर निर्धारिती।	पूँजी रसीद	टी. एच. ए. टी. एच. ई. एस. यू. आर. पी. एल. यू. एस. एल. ओ. एम.-एच. ओ. यू. आर. एस. डब्ल्यू. आर. ई. का निपटान एस. एस. ई. एस. ई. एन. डी. एन. ओ. द्वारा किया जाता है। यह स्वामित्व बनाए रखते हुए अतिरिक्त उपयोगकर्ता द्वारा करघों के घंटों के दोहन का मामला नहीं था। इसलिए करघों की बिक्री द्वारा प्राप्त रसीद

				को पूंजीगत रसीद माना जाना चाहिए।
5	आर. बी. एस. ई. टी. एच. एम. ओ. एल. सी. एच. ए. एन. डी. सुगनचंद बनाम। आयकर आयुक्त, दिल्ली, (1973) 3 एस. सी. सी. 257।	बीस साल की अवधि के लिए अभ्रक खनन अधिकारों के लिए पी. आर. ओ. एस. पी. ई. सी. टी. आई. एन. जी. लाइसेंस शुल्क और टी. एन. डी. ई. आर. एम. ओ. एन. वाई.	पूँजीगत व्यय	लाइसेंस शुल्क के उस 1/20 वें हिस्से का वार्षिक आधार पर राजस्व के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। कि विचाराधीन पट्टा एक लंबी अवधि के लिए था; भुगतान की गई राशि अभ्रक को निकालने और हटाने और इसे सतह पर लाने के लिए स्थायी प्रकृति का अधिकार प्राप्त करने के लिए थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

6	सी. आई. टी., बॉम्बे बनाम जालान ट्रेडिंग कंपनी, (1985) 4 एस. सी. सी. 59.	75 % पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. एस. एच. ए. आर. ई., पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. एस. एच. ए. आर. ई., पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. एस. एच. ए. आर. ई., पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. एस. एच. ए. आर. ई., पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. एस. एच. ए. आर. ई., पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. एस.	सी ए पी आई टी ए एल व्यय	यह बताया गया था कि पूरे व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार था और इस अधिकार को प्राप्त करने के विचार के रूप में हर साल 75 प्रतिशत का लाभ हिस्सा देने पर सहमति बनी थी। तथ्य यह है कि लेन-देन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप से भुगतान किया जाता था।
---	---	---	-------------------------	---

		एच. ए. आर. ई., पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. एस. एच. ए. आर. ई., पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. एस. एच.		
7	सी. ओ. एम. एम. आई. एस. आई. ओ. एन. ई. आर. आई. एन. को. एम. ई. टी. ए. एक्स. वी. एस. बी ओ एम बी ए वाई बर्मा ट्रेडिंग सी ओ आर पी ओ ए टी एन, (1986) 161 आई. टी. आर. 386 (एस. सी.)।	वन पट्टा में निर्यात अधिकारों के समर्पण के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल पर, जहां निर्धारिती को रॉयल्टी पर उन्हें निकालने और हटाने का अधिकार था।	सी ए पी आई टी ए एल व्यय	कि भुगतान प्रो. टी. बनाने वाले उपकरण यानी पूंजीगत परिसंपत्ति के नसबंदी के लिए था। यह केवल एक नए रूप में लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया गया था, लेकिन इसे निर्धारिती के लाभ बनाने के उपकरण की संरचना करने और व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था।
8	आदित्य मिनरल्स पी वी टी। एल टी डी. वी. एस. आयकर की धारा, (1999) 239 आई. टी. आर. 817।	पंद्रह वर्षों के लिए अग्रिम किराया का भुगतान किया जाना है, जिसकी गणना रु। 35/- प्रति माह, भूमि के पट्टे के लिए एक आरवाई उद्देश्यों के लिए।	सी ए पी आई टी ए एल व्यय	कि निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया किराया जमा की प्रकृति का था और प्रत्येक महीने के किराए के साथ समायोज्य था। चूंकि पट्टे की पूरी अवधि के लिए किराया अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था, इसलिए खर्च पूंजीगत व्यय होगा। रिलायंस को पिंगले इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर रखा गया था।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

437

[बी. वी. नागरत्ना, जे.] 438

9	ई एन टी ई आर पी आर आई एस आई एन जी ई एन टी ई आर पी आर आई एस ई एस वी एस। आयकर की धारा 293 आई. टी. आर. 437 (एस. सी.)।	खनन पट्टेदार द्वारा पी. आर. ओ. पी. ओ. आर. टी. आई. एन. टी. ई. एल. एस. एफ. आर. ओ. आर. ई. एक्स. टी. आर. ए. सी. टी. आई. एन. जी. एम. आई. एन. आर. ए. एल. एस. एफ. आर. ओ. एम. खनिज भूमि के रूप में भुगतान किया जाता है।	सी ए पी आई टी ए एल व्यय	यह खनिजों को निकालने का पट्टा अधिकार नहीं है।
10	मेसर्स गोटेन लाइम एस. वाई. एन. डी. सी. ए. टी. ई. वी. एस. आयकर, (1966) 59 आई. टी. आर. 718 (एस. सी.)।	किसी निश्चित क्षेत्र में खनन पट्टा/उत्खनन के अधिकारों के बदले निर्धारिती द्वारा प्रति वर्ष रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	कि पट्टा केवल चूना पत्थर की खुदाई के लिए था और अचल संपत्ति में कोई अन्य अधिकार नहीं बनाए गए थे। यह कि रॉयल्टी का भुगतान स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए भुगतान नहीं था, बल्कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भुगतान था और इसलिए, राजस्व व्यय की प्रकृति में था।
11	सी ओ एम आई एस आई ओ एन आर ऑफ आई एन सी ओ एम ई टैक्स बनाम बेस्ट एंड कंपनी। (प्रा.) लिमिटेड (1966) 60 आईटीआर 11 (एससी)।	सी. ओ. एम. पी. ई. एन. एस. ए. टी. आई. ओ. एन. आर. ई. सी. ई. वी. ई. डी. बी. वाई. टी. एच. ई. एस. ई. एस. ई. ओ. एन. ए. सी. सी. यू. एन. टी. एफ. अपनी एजेंसियों में से एक को रद्द करना।	आर ई वी ई एन यू ई रसीद	कि निर्धारिती के पास अलग-अलग लाइनों में असंख्य एजेंसियां थीं और उसने अन्य लाइनों में केवल ओ. एन. ई., टी. ओ. सी. ओ. एन. टी. आई. एन. यू. ई. बस को छोड़ दिया था। एजेंसी का नुकसान व्यवसाय के सामान्य क्रम में था और सामान्य व्यवसाय का एक हिस्सा था, इसलिए मुआवजे के रूप में प्राप्त

				राशि प्रकृति में राजस्व थी।
--	--	--	--	--------------------------------

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

12	त्रावणकोर शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम आयुक्त आई. एन. सी. ओ. एम. ई.-टी. ए. एक्स., (1966) 62 आई. टी. आर. 566 (एस. सी.)।	त्रावणकोर सरकार द्वारा संचालित तीन उपक्रमों का अधिग्रहण करने पर निर्धारिती द्वारा सरकार को दिए जाने वाले वार्षिक शुद्ध लाभ के 20 प्रतिशत का भुगतान, जिसका भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाना था।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	कि भुगतान एक अनिश्चित अवधि के लिए किया जाना था और इससे जुड़ी समय की कोई सीमा नहीं थी; भुगतान उस वार्षिक लाभ से संबंधित था जो अपीलार्थी-कंपनी पर बकाया था और जिसका परिसंपत्तियों के पूंजी मूल्य से कोई संबंध नहीं था।
13	आयकर विभाग, बॉम्बे सिटी I बनाम सी. आई. बी. ए. इंडिया लिमिटेड, (1968) 69 आई. टी. आर. 692 (एस. सी.)	निर्धारिती द्वारा शुद्ध विक्रय मूल्य के 6 प्रतिशत की दर से स्विस् कंपनी को एम. ए. एन. यू. एफ. ए. सी. टी. यू. आर. आई. एन. जी. और प्रोसेस एस. आई. एन. जी. ओ. एफ. पी. आर. ओ. डी. यू. सी. टी. एस. से संबंधित सूत्र, वैज्ञानिक सी. डेटा, कार्य नियम और प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करने पर स्विस् कंपनी की प्रयोगशालाओं में खोज और विकास किया जाता है।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	कि निर्धारिती कंपनी के पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए समझौते की अवधि के लिए भी हकदार नहीं बना। कि निर्धारिती के पास केवल समझौते की सीमित अवधि के लिए स्विस् कंपनी के पेटेंट और ट्रेडमार्क तक व्यापार और पहुंच का लाइसेंस था। कि एससे सी ने स्थायी प्रकृति की कोई संपत्ति या लाभ प्राप्त नहीं किया।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

14	जब्बार (एम. ए) बनाम आयकर विभाग, आंध्र प्रदेश, (1968) 68 आईटीआर 493 (एससी)।	उत्खनन के लिए ग्यारह महीने के अल्पकालिक पट्टे के लिए किया गया भुगतान और एस. ए. एन. डी. डब्ल्यू. एच. आई. सी. एच. को नदी के तल की सतह पर रखा गया था।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	यह कि पट्टा एक छोटी अवधि के लिए था और निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय किसी परिसंपत्ति पर या स्थायी प्रकृति के अधिकार से संबंधित नहीं था, बल्कि केवल रेत के रूप में व्यापार में स्टॉक प्राप्त करने के लिए था।
15	लक्ष्मीजी शुगर मिल्स कं. प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1972) 82 आईटीआर 376 (एससी)।	ई. पी. ई. एन. डी. आई. टी. यू. आर. ई. एन. सी. यू. आर. ई. डी. ओ. का निर्माण और विकास विभिन्न प्रकार के गन्ना पी. आर. ओ. डी. यू. एन. जी. केंद्रों और चीनी कारखानों का निर्माण और विकास।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	टी. एच. ए. टी. एच. ई. एस. ए. आई. डी. ई. एक्स. पी. ई. एन. डी. यू. आर. ई. डब्ल्यू. ए. एस. आई. एन. सी. यू. आर. ई. डी. एफ. ओ. आर. टी. ई. का उद्देश्य निर्धारिती को परिवहन में आसानी प्रदान करना और एफ. ए. सी. आई. एल. टी. ए. टी. आई. एन. जी. टी. ई. निर्धारिती का व्यवसाय। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ऐसी सड़कों के बिना, निर्धारिती व्यवसाय करने में असमर्थ होगा। इसलिए, व्यय आईएनसीयूआरआरईडीएमईआरईएलवाईएफओआरसी

				ओएमएमईआरसी आईएल समीचीनता थी।
--	--	--	--	------------------------------------

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

16	देवीदास विठ्ठलदास एंड कंपनी बनाम सी. आई. टी., बी. ओ. एम. बी. ए. वाई. सी. आई. टी. वाई. (1972) 3 एस. सी. सी. 457।	क्रय मूल्य (लाभ के प्रतिशत के रूप में), एक चल रहे व्यवसाय के अधिग्रहण पर भुगतान किया जाता है, व्यवसाय की सद्भावना का उपयोग करने के अधिकार के लिए विचार के रूप में।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	यह कि लेन-देन सद्भावना की बिक्री के बराबर नहीं था, भुगतान की राशि के साथ-साथ प्रतिफल की राशि भी अनिश्चित थी क्योंकि वे व्यवसाय के लाभ में वृद्धि और गिरावट पर निर्भर करते थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां अधिग्रहण स्वयं सद्भावना का नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करने के अधिकारों के लिए है, रॉयल्टी की प्रकृति में खर्च एक राजस्व व्यय होगा।
17	मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1973) 3 एस. सी. सी. 143।	आई. निर्धारिती द्वारा उदयपुर में चीनी के मालिक को एकाधिकार अधिकारों के लिए किया गया भुगतान; अर्थात्। 2 % आर. ओ. या. एल. टी. वाई. ने उदयपुर राज्य के शासक को ओ. एन. टी. एच. ई. पी. आर. आई.	पूंजीगत प्रकृति के होने पर प्राप्त एकाधिकार अधिकारों के संबंध में किए गए भुगतान पर दो प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान।	चीनी द्वारा निर्मित चीनी की कीमत पर दो प्रतिशत रॉयल्टी के भुगतान का अनुदान के तहत दिए गए एकाधिकार के संदर्भ में भुगतान से कोई संबंध नहीं था।

		सी. ओ. एफ. टी. एच. ई. एस. यू. जी. ए. आर. निर्मित भुगतान किया।		
--	--	---	--	--

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

441

[बी. वी. नागरत्ना, जे.] 442

18	ई एम पी आर ई जे यू टी ई सी ओ। एल टी डी वी एस। आयकर, (1980) 124 आई. टी. आर. 1 (एस. सी.)।	विभिन्न मिलों के बीच एक जी. आर. ई. एम. एन. टी. अनुबंध के तहत करघे की खरीद के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया भुगतान, और प्रति सप्ताह काम के घंटों का आवंटन, प्रत्येक मिल के पूर्ण क्षमता पर काम करने के अधिकार को सीमित करता है।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	करघा घंटों के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान को लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया गया खर्च माना जाता था। किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उसमें से लाभ अर्जित करने के लिए उसके परिव्यय के रूप में यह कहा गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि खर्च लाभ कमाने के उपकरण के संचालन की लागत का एक हिस्सा था और स्पष्ट रूप से राजस्व व्यय की प्रकृति में था।
19	एल. एच. शुगर फैक्ट्री एंड ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, (1980) 125 आई. टी. आर. 293।	कलेक्टर के अनुरोध के अनुसार बांध का निर्माण; ii. निर्धारिती द्वारा अपने कारखाने के आसपास के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए गन्ना डी. ई. वी. ई. एल. ओ. पी. एम.	आई. मैं एक सी. टी. ओ. एफ. जी. ओ. डी. नागरिकता पर भरोसा करता हूं न कि कटौती योग्य व्यय पर। आई आई। आर ई वी ई एन यू ई व्यय	आई. यह कि एक दिन की अवधि में निर्धारिती का योगदान निर्धारिती के व्यवसाय को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा करने के लिए वही दायित्व है और यह केवल अच्छी नागरिकता का एक कार्य था जिसमें

		ई. एन. टी. योजना के तहत सरकार द्वारा व्यय किया जाता है।	कोई कटौती नहीं की जा सकती। ii. निर्धारिती के व्यवसाय के आसपास निर्धारिती के एफ. ए. सी. टी. ओ. आर. वाई. डब्ल्यू. ओ. यू. एल. डी. बी. ई. सी. ओ. एन. एस. आई. आर. ए. बी. एल. वाई. ए. डी. वी. ए. एन. टी. ए. जी. ई. ओ. यू. एस. टी. का निर्माण क्योंकि यह परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।
--	--	---	--

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

			सू गार केन का टी एच ई एफ ए सी टी ओ आर वाई ए एन डी एम ए एन यू एफ ए सी टी यू आर ई डी एस यू जी ए आर ओ यू टी ओ एफ ए सी टी ओ आर वाई में। एच. ई. एन. सी. ई., एस. यू. सी. एच. एक्स. पी. एन. डी. आई. यू. आर. ई. डब्ल्यू. ए. एस. आई. एन. डी. यू. बी. टी. ए. बी. एल. वाई. निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है।
--	--	--	---

20	आयकर बनाम एसोसिएटेड सी. ई. एम. एन. टी. कंपनीज लिमिटेड, (1988) 172 आई. टी. आर. 257 (एस. सी.)।	शाहाबाद को पानी और बिजली की आपूर्ति करने और कारखाने से रेलवे स्टेशन तक सड़क को पक्का करने के लिए राज्य सरकार और नगर पालिका के साथ समझौता। निर्धारिती कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इसने 15 वर्षों के लिए भुगतान से प्रतिरक्षा प्राप्त की।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	यह कि निर्धारिती को पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए नगरपालिका की दरों और करों का लाभ यह होगा कि वह टी. एच. ई. ई. ई. ई. एक्स. पी. ई. एन. डी. यू. आर. ई. डब्ल्यू. एस. ई. एस. ई. सी. यू. आर. आई. एम. यू. एन. एफ. ए. एस. ओ. एल. यू. एन. ओ. आर. आई. एम. यू. एन. आई. टी. एफ. ओ. एम. एल. आई. बी. आई. एल. आई. टी. ओ. पी. ए. वाई. करें। यदि इन देनदारियों का भुगतान किया गया होता, तो भुगतान राजस्व खाते में होता और इसलिए प्राप्त लाभ राजस्व में होता, न कि पूंजी में। खर्च के परिणामस्वरूप निर्धारिती कंपनी की पूंजी परिसंपत्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई और इसके सीएपी में कोई बदलाव नहीं हुआ। खर्च के परिणामस्वरूप जो पाइपलाइनें अस्तित्व में आईं, वे नगर पालिका की थीं।
----	---	--	-------------------------------	--

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

443

[बी. वी. नागरत्ना, जे.] 444

21	एलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, गुजरात (1989) 177 आईटीआर 377 (एससी)।	तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एस. एस. द्वारा एकमुश्त भुगतान किया जाता है कि कैसे अपने मौजूदा संयंत्र में पेनिसिलिन की उपज को इस शर्त के साथ बढ़ाया जाए कि उक्त जानकारी को विश्वसनीय कैसे रखा जाए।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	एफ. आई. आर. एस. टी., टी. एच. ए. टी. एच. ई. ई. एक्स. पी. ई. एन. डी. आई. टी. यू. आर. ई. डब्ल्यू. ए. एस. आई. एन. सी. यू. आर. ई. डी. एफ. ओ. आर. टी. ई. मौजूदा दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय का उद्देश्य, यानी, पेनिसिलिन का निर्माण और मौजूदा व्यवसायों से असंबद्ध या अलग पूरी तरह से नए उद्यम के लिए नहीं; दूसरा, कि तेजी से प्रगति को देखते हुए आई. एन. टी. एच. ई. एफ. ई. एल. डी. ओ. एफ. दवा, एक डिग्री डु रब. आई. एल. ई. डी. ए. डी. की स्थिरता को तकनीकी ज्ञान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से जब यह विशेष अधिग्रहण का मामला नहीं है।
22	जोनास वुडहेड एंड संस। इंडिया लिमिटेड बनाम आयकर की धारा 224 आई. टी. आर. 342 (एस. सी.)।	i. एक संयंत्र की स्थापना के संबंध में केएनओडब्ल्यू-एचओडब्ल्यू और एफओआरएमएटी आईएन में तकनीकी तक पहुँचने की दिशा में किया गया पी ए वाई एमईएनटी; ii. विदेशी आयोग	टी एच ई कॉन्स ओल इडा टी एड पी ए वाई एम ई एन टी एस एम ए डी ई डब्ल्यू ई आर ई ए पी ओ आर टी ओ एन ई डी 2 5% टी एच ई आर ई ओ एफ डब्ल्यू एस को टी एच ई एन ए टी यू	कंपनी के साथ हुए समझौते के तहत, निर्धारिती द्वारा जो स्थापित किया गया था, वह एक नया व्यवसाय था और कंपनी ने न केवल जानकारी और तकनीकी जानकारी प्रदान की थी, बल्कि

		द्वारा निर्धारिती को दी जाने वाली सेवाओं के लिए रॉयल्टी का अधिकार।	आर ई ओ एफ सी पी ए एल ई एक्स पी ई एन डी यू आर ई डब्ल्यू एच आई एल ई 7 5%, पी ए वाई बी एल ई ओ एन एस ई आर वी सी ई एस, डब्ल्यू ए एस एच ई एल डी ओ बी ई आर ई वी एन यू ई व्यय में माना जाता है।	एफ. ए. सी. टोर वाई. इट्स एल. एफ. की स्थापना में मूल्यवान सेवाएं भी प्रदान की थीं। समझौते की समाप्ति के बाद निर्धारिती पर उत्पाद का निर्माण जारी रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था।
--	--	--	---	---

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

23	आयकर आयुक्त बनाम। मद्रास ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (1998) 233 आईटीआर 468 (एससी)।	निर्धारिती द्वारा किसी मौजूदा भवन को ध्वस्त करने और एक नए भवन के निर्माण पर 39 साल के पट्टे के निर्वाह के दौरान, निर्धारिती उस भवन में पट्टेदार बना रहा जो पट्टेदार का था।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	सृजित परिसंपत्ति, यद्यपि स्थायी प्रकृति की थी, निर्धारिती की नहीं थी।
24	होंडा सीएल कार्स इंडिया लिमिटेड बनाम आयकर विभाग, गाजियाबाद (2017) 8 एस. सी. सी. 170.	निर्धारिती द्वारा होंडा कारों के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद की किश्तों में निर्धारिती द्वारा मैसर्स होंडा मोटर्स कंपनी लिमिटेड, जापान को देय एकमुश्त शुल्क, पार्टियों के बीच एक लाइसेंस और तकनीकी ए. एस. आई. एस. टी. ए. एन. सी. ए. जी. आर. ई. एम. एन. टी. के तहत।	राजस्व व्यय	निर्धारिती द्वारा भुगतान होंडा कारों के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि भारत में होंडा कारों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो व्यापार में इसका स्टॉक था। समझौते को इस तरह से तैयार किया गया था कि एक सीमित अवधि के लिए लाइसेंस दिया जाए,

				जिसकी कोई स्थायी प्रकृति नहीं है।
--	--	--	--	-----------------------------------

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड।

445

[बी. वी. नागरत्ना, जे.]

विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों का विवरण, जिन पर भी विचार किया गया है, नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं:

एस. एल. नहीं।	कारण शीर्षक और उद्धरण	विचाराधीन लेन-देन	उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन लेन-देन का वर्गीकरण:	वर्गीकरण के कारण:
1	मोहन मीकिन बी. आर. ई. डब्ल्यू. आर. ई. एस. लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, (1997) 220 आईटीआर 878। (हिमाचल उच्च न्यायालय पी. आर. ए. डी. ई. एस. एच, शिमला)	डिस्टिलरी के काम करने/संचालन के लिए लाइसेंस शुल्क के लिए राज्य को किया गया वार्षिक भुगतान।	सी ए पी आई टी ए एल व्यय	लेकिन इस तरह से प्राप्त लाइसेंस के लिए, निर्धारित आसवन की स्थापना नहीं कर सकता था।
2	आयकर आयुक्त बनाम शारदा बाइंडिंग वर्क्स, (1976) 102 आईटीआर 187 (मद्रास उच्च न्यायालय)	आई. निर्धारित द्वारा किया गया भुगतान, रु। 5000/- प्रति वर्ष 'सी. एच. ए. एन. डी. ए. एम. ए. एम. ए. प्रकाशन' का व्यवसाय चलाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए; ii. Royalty वार्षिक शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत के बराबर बिक्री पर वार्षिक भुगतान किया जाता है।	आई. 'चंदामामा पी. यू. बी. एल. आई. सी. ए. टी. आई. ओ. एन. एस.' का व्यवसाय चलाने के अधिकार के लिए ई. एक्स. पी. ई. एन. डी. यू. आर. ई. एन. सी. यू. आर. ई. डी. को पूंजीगत व्यय माना गया था। ii. रॉयल्टी को राजस्व व्यय की प्रकृति में माना जाता था।	एक अनिश्चित अवधि के लिए व्यवसाय के लाभ के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में गणना किए गए भुगतानों को पूंजी राशि की किश्तों द्वारा भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है। रॉयल्टी का भुगतान निर्धारित के भविष्य के लाभ से संबंधित था और इसका पूंजी राशि के साथ कोई संबंध नहीं था।

446

3	आयकर आयुक्त बनाम सदरन स्विच गियर लिमिटेड, (1984) 148 आई. टी. आर. 272 (मद्रास उच्च न्यायालय) इस न्यायालय द्वारा सदरन स्विच गियर लिमिटेड बनाम सदरन स्विच गियर लिमिटेड मामले में दायर किया गया था। सीआईटी, (1998) 232 आईटीआर 35 (एससी)।	आई. निर्धारिती द्वारा किसी विदेशी कंपनी को तकनीकी सहयोग/तकनीकी सहायता शुल्क का भुगतान; ii. उत्पादों के निर्माण और बिक्री के विशेष विशेषाधिकार के अधिग्रहण के लिए वित्तीय किशतों में देय रॉयल्टी।	i. सहयोग शुल्क को पूंजीगत व्यय माना गया था। ii. रॉयल्टी का 25 प्रतिशत पूंजी प्रकृति का माना जाता था, जबकि 75 प्रतिशत राजस्व व्यय बताया जाता था।	रॉयल्टी का भुगतान करके, निर्धारिती ने उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए एक विशेष विशेषाधिकार प्राप्त किया था। अतः उक्त व्यय को आंशिक रूप से पूंजी और आंशिक रूप से राजस्व माना जाना था। स्थायी प्रकृति के अधिकार के अधिग्रहण से संबंधित रॉयल्टी का मूल्य 25 प्रतिशत अनुमानित किया गया था और इसे पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया था, जबकि शेष को राजस्व व्यय कहा गया था।
4	सी. आई. टी बनाम। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2008) 300 आई. टी. आर. 35 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	राज्य विद्युत बोर्ड (एम. एस. ई. बी.) को एक आर. ए. एन. जी. ई. एम. एन. टी. के हिस्से के रूप में आपूर्ति के लिए एक सेवा लाइन स्थापित करने के लिए निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए सेवा शुल्क, जिसमें केबलों का स्वामित्व एम. एस. ई. बी. के पास रहेगा।	राजस्व व्यय	सेवा लाइनों पर थ निर्धारिती से संबंधित नहीं था, बल्कि एमएसईबी से संबंधित था और निर्धारिती को अपने व्यवसाय को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए निर्धारित किया गया था। इसलिए, इसे राजस्व व्यय माना जाना था।

5	सी. आई. टी. बनाम जे. के. एस. वाई. एन. टी. एच. ई. टी. आई. सी. एस., (2009) 309 आई. टी. आर. 371 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	निर्धारिती द्वारा किसी विदेशी कंपनी की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समझौते के तहत किया गया भुगतान, जिसके तहत निर्धारिती के पक्ष में जानकारी के स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं होगा, और इसे गैर-अनन्य आधार पर प्रदान किया गया था।	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	निर्धारिती ने केवल उस तकनीकी तक "पहुँच" प्राप्त की जो निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित थी, जो किसी गुप्त प्रक्रिया या बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नहीं थी। विचाराधीन उत्पादों को पहले से ही निर्धारिती द्वारा एम. ए. एन. यू. एफ. ए. सी. टी. यू. आर. ई. डी. किया जा रहा था और पता था कि यह केवल निर्धारिती के पी. आर. ओ. एफ. आई. टी. ए. बी. आई. एल. आई. टी. वाई. को कैसे बढ़ाएगा। अतः ई x पी एन डी यू आर ई राजस्व व्यय की प्रकृति में होगा।
6	इन-कम टैक्स बनाम शारदा मंत्रालय, (2009) 319 आई. टी. आर. 109 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	निर्धारिती द्वारा सालाना रॉयल्टी का भुगतान, तैयार किए गए टुकड़ों की संख्या पर, एक को-रियान कंपनी	आर ई वी ई एन यू ई व्यय	चूँकि रॉयल्टी का भुगतान उत्पादित माल की मात्रा पर देय था, इसलिए वही राजस्व व्यय होगा।

		को किया जाता है जिसने तकनीकी जानकारी प्रदान की थी कि कैसे-सेसी को।		
--	--	--	--	--

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

7	सी. आई. टी बनाम। मोदी रेवलॉन प्राइवेट लिमिटेड, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4463 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	रेवलॉन मॉरीशस लिमिटेड को तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के लिए बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में ए. एस. ई. एस. ई. ई. द्वारा वार्षिक रूप से रेवलॉन मॉरीशस लिमिटेड को भुगतान किया जाता है।	राजस्व व्यय	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर ब्रांड का एकमात्र लाइसेंसधारी था, व्यय निश्चित रूप से राजस्व होगा क्योंकि ब्रांड का स्वामित्व रेवलॉन मॉरीशस के पास बना रहेगा। समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले या इसका कोई हिस्सा, या ब्रांड की सद्भावना, निर्धारिती में निहित हो।
---	--	--	-------------	---

16. हम कुछ परीक्षणों को समाप्त करने की दृष्टि से इंग्लैंड में न्यायालयों के कुछ निर्णयों का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिन्हें, हालांकि अति-प्रभावी नहीं माना जाना चाहिए, यह पता लगाने के लिए कुछ व्यापक और सामान्य दिशानिर्देशों का सुझाव दे सकते हैं कि किसी विशेष मामले में परिव्यय को रेखा के किस तरफ उचित रूप से गिराया जा सकता है।

16.1. सिटी ऑफ लंदन कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम शैलियाँ,

(1887) 2 टी. सी. 239 उन मामलों की श्रृंखला का पहला मामला है जहां इंग्लैंड में अदालतों ने पूंजी या राजस्व के रूप में व्यय के वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार किया। बोवेन, एल.

जे. ने मोटे तौर पर संकेत दिया कि "कंपनी के अधिग्रहण" पर परिव्यय पूंजी होगी जबकि "कंपनी को आगे बढ़ाने" में परिव्यय राजस्व होगा।

16.2. वल्लाम्ब्रोसा रबर कंपनी लिमिटेड बनाम किसान, (1910) 5 टी. सी.

529, लॉर्ड डुनेडिन ने देखा कि एक प्रस्ताव को "मोटे तौर पर" कहा जा सकता है, इस आशय के लिए कि पूंजीगत व्यय एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा के लिए खर्च किया जाने वाला है और आय व्यय एक ऐसी चीज है जो हर साल होगी।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 450

449

इस परीक्षण को रोवालट जे. द्वारा ऑन्सवर्थ में अपनाया गया था।

कर) बनाम। विकर्स लिमिटेड, (1915) 3 के. बी. 267 ("विकर्स लिमिटेड") जिसमें यह था

यह देखा गया कि वास्तविक परीक्षा खर्च के बीच थी जो एक बार और हमेशा के लिए किए गए खर्च के विपरीत खर्च की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। हालाँकि, निर्णय के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि जो निर्धारक था वह यह था कि क्या विशेष व्यय को किसी विशेष काम के खिलाफ रखा जा सकता है या क्या इसे समग्र रूप से व्यवसाय की सेवा के लिए एक स्थायी व्यय के रूप में माना जाना था। 16.3. विकर्स लिमिटेड में निर्धारित बाद के दिशानिर्देश ने अक्सर उद्धृत मामले में विस्काउंट केव एल. सी. द्वारा निर्धारित परीक्षण की नींव के रूप में काम किया।

इस विषय पर, ब्रिटिश इंसुलेटेड हेल्सबी केबल्स लिमिटेड बनाम. एथर्टन, (1926)

अधिनियम 205 ("अथर्टन"), जिसमें यह देखा गया था कि जब कोई व्यय न केवल एक बार और हमेशा के लिए किया जाता है, बल्कि व्यापार के स्थायी लाभ के लिए किसी संपत्ति या लाभ को अस्तित्व में लाने की दृष्टि से किया जाता है, तो ऐसा व्यय पूंजी के कारण होने वाली संपत्ति है न कि राजस्व के कारण।

16.4. "व्यापार के स्थायी लाभ" अभिव्यक्ति को आगे इस रूप में समझाया गया था कि इसका अर्थ "शाश्वत" नहीं है, बल्कि "जिस तरह से पूंजी बनी रहती है"।

हेनरीक्सेन बनाम ग्राफ्टन होटल लिमिटेड (1942) 24 टी. सी. में डू पार्क, एल. जे.

453. उक्त मामले में, लॉर्ड ग्रीन ने कहा कि यदि देय राशि राजस्व व्यय की प्रकृति में नहीं है, तो इसे वार्षिक किश्तों में भुगतान करने की अनुमति देकर ऐसा नहीं किया जा सकता है। एकाधिकार मूल्य के संबंध में किश्तों द्वारा भुगतान में वार्षिक भुगतान की गुणवत्ता या वार्षिक उत्पाद शुल्क लाइसेंस का अनुदान नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग चरित्र के होते हैं।

16.5. हालाँकि, जॉन स्मिथ एंड सन बनाम में विस्काउंट हाल्डेन। मूर, (1921) 12 टी. सी. 266, ने एक और परीक्षण का सुझाव दिया-फिज़ेड या परिसंचारी पूंजी का परीक्षण। स्थिर पूंजी

वह होती है जिसे मालिक अपने कब्जे में रखते हुए लाभ में बदल देता है; परिसंचारी पूंजी वह होती है जिससे निर्धारिती उत्पाद/संपत्ति को अलग करके या हाथ बदलने देकर लाभ कमाता है। हालांकि, उक्त मामले में, यह देखा गया कि परिसंपत्तियों के बीच की सीमांकन रेखा जिसमें से लाभ अर्जित किया गया था और परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के साथ किया गया लाभ, कई मामलों में कम और मुश्किल था।

16.6. इसे मैलेट बनाम स्टेवली कोल एंड आयरन कंपनी (1928) में स्पष्ट किया गया था।

2 के. बी. 405 ("मैलेट") कि जहां खर्च कंपनी के हाथों में उनके मौजूदा व्यवसाय का एक आवश्यक घटक लाने के लिए है, जो महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी व्यवसाय के लिए सहायक है, खर्च को डेबिट किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

परिसंचारी पूंजी के बजाय परिसंचारी पूंजी के लिए, जो व्यवसाय की स्थायी परिसंपत्तियों में नियोजित और डूबी हुई है।

16.7. फाइज़ेड या परिसंचारी पूंजी का परीक्षण भी लॉर्ड द्वारा अपनाया गया था।

एंग्लो-फारसी ऑयल कंपनी बनाम में हैनवर्थ, एम. आर. डेल, (1932) 1 के. बी. 124

("डेल ") जिसमें यह देखा गया था: "मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि यह सवाल कि क्या भुगतान किया गया धन परिसंचारी पूंजी से प्रदान किया जाता है या परिसंचारी पूंजी सटीकता के करीब आती है जैसा कि सुझाव दिया जा सकता है।"

इस सिद्धांत की आगे की व्याख्या में, इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया था: क) व्यय को पूंजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए यदि इसे किसी संपत्ति या लाभ को अस्तित्व में लाने के लिए "एक दृष्टिकोण" के साथ किया जाता है, हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि इसे हमेशा इच्छित परिणाम प्राप्त करना चाहिए ताकि इसे प्रकृति में पूंजी माना जा सके। इस प्रकार एजेंसी समझौता या लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में खर्च की गई राशि पूंजीगत व्यय हो सकती है, हालांकि इच्छित एजेंसी या लाइसेंस अंततः सुरक्षित नहीं हो सकता है।

ख) 'स्थायी' होने का अर्थ है, 'स्थायी पूंजी जिस तरह से बनी रहती है, उस तरह से बनी रहती है' और इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी ऐसे लाभ को दर्शाता है जो इस मायने में बना रहता है कि यह निर्धारिती को कई वर्षों तक राजस्व भुगतान से राहत देता है।

हालांकि, वान डेन बर्गस में, सीमित बनाम। क्लार्क (एच. एम. इंस्पेक्टर)

करों की), (1935) 19 टी. सी. 390, लॉर्ड मैकमिलन ने स्थायी लाभ की परीक्षा की ओर रुख किया और शुल्क की परीक्षा के संबंध में आपत्ति व्यक्त की और

परिसंचारी पूंजी। जहाँ व्यय की प्रकृति से पता चलता है कि जो परिणाम आया है वह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग व्यापार के तरीके में किया जाना है, परीक्षण उपयोगी हो सकता है; लेकिन विभाजन रेखा के करीब के मामलों में, परीक्षण बेकार लगता है।”

16.8. रॉबर्ट एडी एंड संस कोलियरीज में तीसरा परीक्षण प्रस्तावित किया गया था।

लिमिटेड बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त, (1924) 8 टी. सी. 671, जबकि

यह निर्धारित करना कि दिया गया व्यय प्रकृति में पूंजी है या राजस्व: “क्या यह कंपनी के कार्यशील खर्च का हिस्सा है, क्या यह खर्च लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया है? या, दूसरी ओर, क्या यह एक पूंजी परिव्यय है, क्या यह 451 के अधिग्रहण के लिए आवश्यक व्यय है।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 452

संपत्ति या किसी स्थायी चरित्र के अधिकारों का, जिसका कब्जा अपने व्यापार को जारी रखने की एक शर्त है?”

उक्त परीक्षण को टाटा हाइड्रो में प्रिवी काउंसिल द्वारा अपनाया गया था -

इलेक्ट्रिक एजेंसीज लिमिटेड, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, (1937)

एल. आर. 64 आई. एन. डी. ए. पी. 215 जिसमें यह कहा गया था कि जो व्यय सामान्य वाणिज्यिक व्यापार में कार्य व्यय का हिस्सा है, वह पूंजी नहीं बल्कि राजस्व था। यह आगे देखा गया कि निर्धारक प्रश्न होगा

यह माना जाए कि क्या व्यय “कंपनी के कार्यशील खर्चों का एक हिस्सा है; क्या यह खर्च लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया है?”

उक्त मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए, प्रिवी काउंसिल इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भुगतान करने का दायित्व उसमें अपीलार्थियों द्वारा लाभ अर्जित करने के अधिकार और अवसर के अधिग्रहण पर विचार करने के लिए किया गया था, अर्थात्, व्यवसाय के संचालन के अधिकार का, न कि व्यवसाय के संचालन में लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से। इस प्रकार आय अर्जित करने वाली संपत्ति के अधिग्रहण और आय अर्जित करने की प्रक्रिया के बीच अंतर किया गया था। उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण में व्यय पूंजीगत व्यय था और लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया में व्यय राजस्व व्यय था। यह भी देखा गया कि किसी व्यवसाय के अधिग्रहण पर और जब वार्षिक राशि का भुगतान करने का दायित्व लिया जाता है, तो उन वार्षिक राशियों को कर उद्देश्यों के लिए भविष्य के लाभों की गणना में कटौती योग्य नहीं माना जाता है, क्योंकि वे व्यवसाय के अधिग्रहण के लिए विचार का एक हिस्सा हैं।

16.9. सन न्यूजपेपर्स लिमिटेड में भी इसी तरह का दिशानिर्देश व्यक्त किया गया था।

और एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम। संघीय आयुक्त

कराधान, (1938) 61 सी. एल. आर. 337, जिसमें यह कहा गया था कि लाभप्रद विषय की स्थापना, प्रतिस्थापन और विस्तार की दिशा में किए गए व्यय की तुलना कार्य व्यय के निरंतर बकाया से की जानी चाहिए, जिसकी आपूर्ति राजस्व के रिटर्न से लगातार की जानी चाहिए। जबकि व्यय की पहली श्रेणी प्रकृति में पूंजी होगी, बाद वाली श्रेणी राजस्व होगी। यह भी माना गया कि 'स्थायी लाभ' परीक्षण को लागू करते समय 'स्थायी' या 'स्थायी' शब्दों का अर्थ चिरस्थायी नहीं समझा जाना चाहिए। जो अंतर निकाला जाता है वह यह है कि व्यवसाय चलाने में शामिल कम या ज्यादा बार-बार होने वाले खर्च और समग्र रूप से व्यवसाय के लाभ के लिए होने वाले खर्च।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

16.10. न्यायिक द्वारा कुछ पूरक परीक्षण निर्धारित किए गए हैं।

जुब्बलपुर के मोहनलाल हरगोविंद बनाम समिति। आयकर आयुक्त, (1949) एल. आर. 76 आई. एन. डी. ए. पी. 235 जिसमें निर्धारिती ने भुगतान किया था

जंगल से तेंदू के पत्ते खरीदने के लिए, जिसमें प्रवेश और कॉपिसिंग और पोलाडिंग का अधिकार शामिल था। उक्त व्यय विनिर्माण व्यवसाय के लिए कच्चे माल के अधिग्रहण के लिए था और इस प्रकार एक पूंजीगत व्यय था। उक्त मामले में, निर्धारिती एक भुगतान प्राप्त निर्माता था जिसने जंगलों से तेंदू के पत्ते प्राप्त करने के लिए सरकार और अन्य वन मालिकों के साथ अल्पकालिक अनुबंध प्राप्त किए थे। न्यायिक समिति ने माना कि ये अनुबंध, एक व्यावसायिक अर्थ में, उनके व्यवसाय के कच्चे माल में से एक के निर्माताओं को आपूर्ति हासिल करने के उद्देश्य से थे। उन्होंने भूमि या पौधों या पेड़ों पर कोई ब्याज नहीं दिया और इसलिए, इस संबंध में किया गया खर्च पूंजीगत व्यय नहीं था।

17. इंग्लैंड के न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के अध्ययन से पता चलेगा कि निम्नलिखित कारकों ने लेन-देन की प्रकृति निर्धारित करने में उक्त अधिकार क्षेत्र में न्यायालयों का मार्गदर्शन किया है:

i. भुगतान की आवश्यकता: व्यापक अर्थों में, पूंजीगत व्यय एक ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए खर्च की जाने वाली है और आय व्यय एक ऐसी चीज है जो हर साल होगी। हालांकि, जो खर्च 'एक बार और हमेशा के लिए' नहीं है, वह फिर भी पूंजी हो सकता है। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर आवर्ती प्रकृति का व्यय जो परिसंचारी पूंजी के बजाय स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, पूंजी बना रहता है। इसके अलावा, सी. आई. आर. बनाम सी. आई. आर. के अनुसार, एक आउटगोइंग केवल इसलिए पूंजीगत प्रकृति का नहीं रह जाता है क्योंकि यह किश्तों में देय होता है। आदम, (1928) 14 टी. सी. 34. इसलिए यह परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि

क्या भुगतान इस तरह की बार-बार पुनरावृत्ति के रूप में किया जाता है कि यह सामान्य कार्य व्यय का एक हिस्सा है, बोनर

बनाम। बैसेट माइंस लिमिटेड, **(1912) 6 टी. सी. 145.**

ii. व्यय का उद्देश्य: एथर्टन परीक्षण देखता है कि

व्यय का उद्देश्य या उद्देश्य। व्यय को पूंजी बनाने के लिए इसे अधिग्रहण, सुधार या निपटान के लिए खर्च किया जाना चाहिए।

एक पूंजीगत संपत्ति, रॉल्फ बनाम विम्पी वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, **(1989) 62 टी. सी. 399**; टकर बनाम ग्रेनाडा मोटरवे सर्विसेज लिमिटेड, **(1979) 53 टी. सी. 92** ("टकर"); मैलेट, क्रमशः। हालांकि,

व्यय और अधिग्रहण के बीच संबंध, **453**

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] **454**

पूंजी परिसंपत्ति में सुधार या निपटान निकटवर्ती होना चाहिए न कि दूरस्थ। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों को किए गए भुगतान को सद्भावना और इसलिए प्रकृति में पूंजी के अधिग्रहण के लिए किया गया भुगतान नहीं कहा जा सकता है, हालांकि, अच्छी तरह से सेवा देने से कर्मचारियों को अच्छी स्थिति बनाने में मदद मिल सकती है।

सद्भावना, लॉसन बनाम। जॉनसन मैथे पीएलसी., **(1992) 65 टी. सी. 39.**

iii. पहचान योग्य परिसंपत्ति परीक्षण: टकर के अनुसार, एक विशिष्ट सी पूंजी परिसंपत्ति की पहचान करना आवश्यक है जिसके लिए खर्च किया जाता है। जब परिसंपत्ति एक अमूर्त लाभ (लाइसेंस, व्यापार समझौते आदि) होती है तो यह पूछना आवश्यक होगा कि क्या पहचान करने में सक्षम परिसंपत्ति पर्याप्त रूप से पर्याप्त और स्थायी प्रकृति की है जिसे पूंजी के रूप में गिना जा सकता है।

डेल; सी. आई. आर. बनाम कैरन कंपनी, **(1968) 45 टी. सी. 18**; हीदर बनाम पी. ई. कंसल्टिंग ग्रुप लिमिटेड, **(1972) 48 टी. सी. 293.**

iv. आम तौर पर वाणिज्यिक लाभों पर खर्च: व्यय

किसी विशेष व्यापारिक संबंध पर निर्भर वाणिज्यिक लाभों पर केवल तभी पूंजी होने की संभावना है जब एक स्थायी लाभ, जैसे कि संभावित रूप से हानिकारक प्रतिद्वंद्वी को बंद करना, भुगतान द्वारा सुरक्षित है, वॉकर बनाम। संयुक्त क्रेडिट कार्ड

कं., (1982) 55 टी. सी. 617। हालांकि, सामान्य व्यावसायिक सुविधा के लिए किया जाने वाला खर्च (जैसे परिवहन की सुविधा, आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन, एक प्रतियोगी पर अस्थायी लाभ प्राप्त करना आदि)। राजस्व प्रकृति का है, सी. आई. आर. बनाम एनचंगा कॉपर माइन्स, (1964) 1 ऑल ईआर 208 ("एनचंगा कॉपर माइन्स")।

v. लाभ अर्जित करने की संरचना पर व्यय का, यदि कोई हो, प्रभाव:

विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या भुगतान एक नए रूप में लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया था, या निर्धारिती के लाभ बनाने के उपकरण की संरचना के लिए किया गया था। जबकि व्यय की पहली श्रेणी प्रकृति में राजस्व होगी, बाद वाली पूंजी होगी।

18. भारत में शुरुआती निर्णयों में लगभग सार्वभौमिक रूप से जो परीक्षण अपनाया गया था, वह एथर्टन में विस्काउंट केव एल. सी. द्वारा निर्धारित परीक्षण के समान है।

18.1. आयकर आयुक्त, बॉम्बे बनाम सेंचुरी स्पिनिंग, वीविंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी, (1942) 10 आईटीआर सप्लीमेंट।, एमसी।

जे. चागला ने पाया कि भारतीय संदर्भ में सबसे अधिक परिचित कानूनी टचस्टोन एथर्टन के मामले में विस्काउंट गुफा का है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

18.2. बनारसीदास जगन्नाथ में, पुनः (1946) 15 आई. टी. आर. 185, एक पूर्ण

लाहौर उच्च न्यायालय की पीठ ने ऊपर निर्दिष्ट परीक्षणों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय को अलग करने के लिए निम्नलिखित व्यापक परीक्षणों का निष्कर्ष निकाला:

“सार में 'पूंजीगत व्यय' शब्द की अवहेलना करना या पूंजी और राजस्व व्यय के बीच भेदभाव करने के लिए किसी भी सामान्य और संतोषजनक परीक्षण को निर्धारित करना आसान नहीं है। न ही उन सभी निर्णयों का मिलान करना आसान है जो हमारे सामने उद्धृत किए गए थे क्योंकि प्रत्येक मामले का निर्णय इसके विशिष्ट तथ्यों पर किया गया है। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीशों ने समय-समय पर जो कुछ निर्धारित किया है, उससे कुछ व्यापक सिद्धांतों का अनुमान लगाया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं:-

1. खर्च को पूंजी माना जाता है जब इसे किसी व्यवसाय की शुरुआत के लिए, व्यवसाय के विस्तार के लिए या पर्याप्त प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है।

उपकरण:लार्ड सैंड्स इन कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू बनाम ग्रेनाइट सिटी स्टीमशिप कंपनी (1927) 13 टी. सी. 1,14).सिटी ऑफ लंदन कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन बनाम स्टाइल्स ((1887) 2 टी. सी. 239) में, पृष्ठ पर

243, बोवेन, एल. जे. ने पूंजीगत व्यय के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी की:“आप इसका उपयोग अपनी चिंता के उद्देश्य से नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है, अपनी चिंता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, लेकिन आप इसका उपयोग चिंता को प्राप्त करने के लिए करते हैं।”

2. व्यय को पूंजी के लिए उचित रूप से जिम्मेदार माना जा सकता है जब इसे न केवल एक बार और हमेशा के लिए किया जाता है, बल्कि किसी व्यापार के स्थायी लाभ के लिए किसी संपत्ति या लाभ को अस्तित्व में लाने की दृष्टि से किया जाता है:

एथर्टन बनाम ब्रिटिश इंसुलेटेड और हेल्सबी में विस्काउंट केव, एल. सी.

केबल्स लिमिटेड ((1925) 10 टी. सी. 155)।यदि एकमुश्त भुगतान से जो छूट मिलती है वह राजस्व के खिलाफ प्रभार्य वार्षिक व्यावसायिक व्यय है, तो एकमुश्त भुगतान को समान रूप से एक व्यावसायिक व्यय के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन यदि एकमुश्त भुगतान से पूंजीगत संपत्ति आती है, तो यह व्यवसाय को पूरी तरह से दूसरे पायदान पर रखता है।इस प्रकार, यदि श्रम बचत तंत्र का अधिग्रहण किया गया था, तो इस तरह के अधिग्रहण की लागत को यह दावा करके लाभ से नहीं घटाया जा सकता है कि इससे वार्षिक श्रम बिल में राहत मिलती है, व्यवसाय ने एक नई संपत्ति, यानी मशीनरी का अधिग्रहण किया है।'स्थायी लाभ' या 'स्थायी चरित्र' अभिव्यक्तियों को यह स्पष्ट करने के लिए पेश किया गया था कि अर्जित संपत्ति या अधिकार में पर्याप्त स्थायित्व होना चाहिए ताकि इसे पूंजीगत संपत्ति के रूप में माना जा सके।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 456

455

3. चाहे व्यय के उद्देश्य के लिए, किसी भी पूंजी को वापस लिया गया था, या, दूसरे शब्दों में, क्या व्यय करने का उद्देश्य व्यवसाय की पूंजी के रूप में ली गई राशि को नियोजित करना था। एक बार फिर, यह देखा जाना चाहिए कि क्या किया गया व्यय व्यवसाय की वास्तविक पूंजी का हिस्सा था या इसकी परिसंचारी पूंजी का हिस्सा था।स्थिर पूंजी वह है जिसे मालिक अपने कब्जे में रखते हुए लाभ में बदल देता है।परिसंचारी या फ्लोटिंग कैपिटल वह है जिससे वह अलग होकर या उसे मालिकों को बदलने देकर लाभ कमाता है।परिसंचारी पूंजी वह पूंजी होती है जिसे मोड़ दिया जाता है और मोड़ दिए जाने की प्रक्रिया में लाभ या हानि प्राप्त होती है।दूसरी ओर, स्थिर पूंजी उस प्रक्रिया में सीधे शामिल नहीं होती है और इसके द्वारा अप्रभावित रहती है।”

19. यह इस समय उपयोगी हो सकता है कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए और अपनाए गए व्यापक सिद्धांतों/परीक्षणों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाए, यह निर्धारित करते हुए कि क्या दिया गया व्यय पूंजी या राजस्व प्रकृति का है:

आई. पूंजीगत व्यय की पूर्ति व्यापार के स्थायी लाभ के लिए एक परिसंपत्ति को अस्तित्व में लाने की दृष्टि से की जाती है। हालाँकि, यह नियम हर मामले में लागू नहीं होता है। अर्जित लाभ की प्रकृति पर वाणिज्यिक अर्थ में विचार किया जाना चाहिए और केवल तभी जब लाभ पूंजी में हो, तो स्थायी लाभ परीक्षण लागू करके उक्त व्यय पर कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि लाभ में केवल व्यापार संचालन को सुविधाजनक बनाना या व्यापार के प्रबंधन या संचालन को अधिक प्रभावी या लाभदायक रूप से सक्षम करना शामिल है, जबकि वित्तीय पूंजी को अछूता छोड़ते हुए, उक्त व्यय राजस्व खाते में होगा, हालाँकि लाभ एक अनिश्चित अवधि के लिए हो सकता है, एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड के अनुसार। इसलिए, स्थायी लाभ परीक्षण निर्णायक नहीं है और विचाराधीन व्यय से जुड़े लेनदेन के वाणिज्यिक पहलू पर विचार किए बिना यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ii. जहाँ प्रारंभिक परिव्यय या व्यवसाय के विस्तार या उपकरण के पर्याप्त प्रतिस्थापन के लिए व्यय किया जाता है, वह पूंजीगत व्यय है। यदि खर्च व्यवसाय चलाने या इसे चलाने के लिए किया जाता है ताकि लाभ उत्पन्न किया जा सके, यह राजस्व व्यय है, असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड के अनुसार।

इस परीक्षण से जो बात सामने आती है वह यह है कि जो खर्च संबंधित है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

करदाता के व्यवसाय के ढांचे या संरचना या इमारत के लिए पूंजीगत व्यय है।

iii. वित्तीयन और परिसंचारी पूंजी परीक्षण में यह प्रावधान है कि जहां व्यय को निर्धारिती के हाथों में उनके मौजूदा व्यवसाय का एक आवश्यक घटक लाना है, जो महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी व्यवसाय के लिए सहायक है, खर्च को वित्तीयन पूंजी (पूंजी खाते) के बजाय परिसंचारी पूंजी (राजस्व खाते) में डेबिट किया जाना है।

iv. जहां स्थायी संरचना या पूंजी परिसंपत्तियों का कोई विस्तार नहीं है और खर्च अनिवार्य रूप से मौजूदा तंत्र के संचालन या काम करने से संबंधित है, तो ऐसा खर्च राजस्व खाते पर होगा, एम्पायर जूट कंपनी के अनुसार।

लि.

v. यह प्रश्न कि क्या कोई व्यय पूंजी है या राजस्व प्रकृति का है, प्रत्येक मामले में व्यावसायिक आवश्यकता या समीचीनता के संदर्भ में आंका जाना है। विचार करने के लिए पहला पहलू यह है कि क्या व्यय निर्धारिती के कार्य व्यय का एक हिस्सा है या लाभ अर्जित करने का एक हिस्सा है। इसके अलावा, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या स्थायी चरित्र के अधिकार को प्राप्त करने के लिए खर्च आवश्यक था, जिसका कब्जा किसी विशेष व्यापार को जारी रखने के लिए एक पूर्व शर्त है। यदि पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में है और दूसरा प्रश्न संबंधात्मक में है,

तो व्यय निर्विवाद रूप से पूंजीगत प्रकृति का है। इस संदर्भ में, हमारा विचार है कि अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय को अपने विशिष्ट तथ्यों पर बदलना चाहिए।

vi. इस प्रकार, विचार करने योग्य पहलू यह है कि क्या व्यय निर्धारिती के मौजूदा दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के उद्देश्य से किया जाता है, या पूरी तरह से एक नया उद्यम शुरू करने की दृष्टि से किया जाता है। जहां व्यय केवल किसी मौजूदा व्यवसाय की उत्पादकता या लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, निर्धारिती के लाभ बनाने के उपकरण की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना, वही प्रकृति में राजस्व है। अलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड को उपरोक्त आधार पर तय किया गया था।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 458

457

vii. यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में, एक बार और सभी भुगतान के परिणामस्वरूप एक स्थायी लाभ होगा, और न ही यह एक निश्चित नियम है कि आवधिक भुगतान के साथ एक स्थायी लाभ नहीं होगा।

viii. केवल किशतों में राशि का भुगतान पूंजी भुगतान को राजस्व भुगतान में परिवर्तित या परिवर्तित नहीं करता है। इसी तरह, एकमुश्त भुगतान राजस्व व्यय का प्रतिनिधित्व कर सकता है यदि यह परिसंचारी पूंजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, हालांकि भुगतान हमेशा के लिए किया जाता है। इसी तरह, किशतों में किया गया भुगतान पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने के लिए हो सकता है, जिसकी कीमत का भुगतान एक निश्चित अवधि में किया जाता है। इसलिए, जो प्रासंगिक है वह मूल दायित्व की प्रकृति है और क्या किशतों में किया गया बाद का भुगतान इस तरह के मूल दायित्व से संबंधित है या उसका कोई संबंध है या नहीं। जहां बाद के भुगतान, एक ऐसे उद्देश्य के लिए होते हैं जो निर्धारिती के मूल दायित्व से पूरी तरह से अलग है, वही राजस्व व्यय का गठन करेगा। हालांकि, जहां क्रमिक किशतों में से प्रत्येक एक ही दायित्व या उद्देश्य से संबंधित है, संचयी व्यय प्रकृति में पूंजी होगा।

ix. सामान्य सिद्धांत कि पूंजी परिसंपत्ति के निर्माण पर व्यय पूंजी खाते पर होता है, केवल वहीं लागू होता है जहां पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती की होती है। निर्धारिती द्वारा खर्च की गई राशि राजस्व खाते पर कटौती योग्य हो सकती है, भले ही इसके परिणामस्वरूप किसी तीसरे पक्ष द्वारा पूंजीगत संपत्ति का अधिग्रहण हो, एल. एच. शुगर फैक्ट्री और

ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, (1980) 125 आई. टी. आर. 293।

x. विचार करने के लिए एक अन्य प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या व्यय किसी संपत्ति की खरीद के लिए किया गया है, या केवल इच्छित उपयोग की अवधि के लिए एक निश्चित प्रतिफल के भुगतान पर एक निश्चित अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का है, देवीदास

विट्ठलदास एंड कंपनी। जहां संपत्ति नहीं खरीदी गई है या निर्धारिती के पास निहित नहीं है, लेकिन निर्धारिती ने संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो भुगतान राजस्व प्रकृति का होगा।

सी. आई. टी. बनाम। मोदी रेवलॉन प्राइवेट लिमिटेड, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4463 ("मोदी रेवलॉन प्राइवेट लिमिटेड")।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

रॉयल्टी का भुगतान:

20. वर्तमान मामले में, सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में देय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क के वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार करने से पहले, अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान और व्यापक अर्थों में रॉयल्टी के भुगतान के बीच के अंतर को समझना भी आवश्यक है। सबसे सरल तरीके से कहा जाए तो किसी अधिकार के अधिग्रहण का अर्थ होगा खरीदार के स्थायी लाभ के लिए किसी मूल या अमूल संपत्ति की खरीद। जब किसी अधिकार को अर्जित कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि उक्त अधिकार का स्वामित्व खरीदार के पास निहित है। इसके विपरीत, रॉयल्टी का भुगतान किसी अधिकार या संपत्ति का उपयोग करना है। अधिकार या संपत्ति स्वयं उस व्यक्ति या संस्था द्वारा अर्जित नहीं है जो इसका उपयोग करने के लिए अधिकृत है, लेकिन अधिकार के मालिक के पास निहित है। रॉयल्टी के मामले में, भुगतान केवल एक निर्धारित अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जब रॉयल्टी का भुगतान बंद हो जाता है, तो ज्यादातर मामलों में संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार भी बंद हो जाता है। अक्सर, भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की राशि आयकर आयुक्त द्वारा वार्षिक बिक्री पर निर्भर करती है।

बॉम्बे सिटी I बनाम **CIBA इंडिया लिमिटेड, (1968) 69 ITR 692 (SC) ("CIBA इंडिया लिमिटेड")**; मोदी रेवलॉन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड; त्रावणकोर शक्कर और के माध्यम से वार्षिक लाभ

केमिकल्स लिमिटेड; या ऐसा अन्य चर। इसके अलावा, रॉयल्टी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, भुगतान का पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए।

त्रावणकोर शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड; मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड।

20.1. गेटन लाइम में इस न्यायालय का निर्णय अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान और अधिकार या संपत्ति के उपयोग के लिए रॉयल्टी के भुगतान के बीच अंतर करने का प्रयास करते हुए अत्यधिक शिक्षाप्रद है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने एक निश्चित क्षेत्र में चूना पत्थर की खुदाई के अधिकार के बदले में निर्धारिती द्वारा किए गए वार्षिक भुगतान के वर्गीकरण के मुद्दे

पर विचार किया। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इसमें विचाराधीन भुगतान राजस्व व्यय था, तर्क दिया कि भुगतान एक स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि कच्चा माल प्राप्त करने के लिए रॉयल्टी भुगतान था और इसलिए, एक राजस्व व्यय था। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

“हमारी राय है कि वर्तमान मामले में रॉयल्टी भुगतान एक स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान नहीं है; इसका संबंध प्राप्त किए जाने वाले कच्चे माल से है। आम तौर पर, एक खनन पट्टा एक पूंजी राशि भुगतान के लिए प्रदान करता है; लेकिन यह तथ्य कि यहां कोई एकमुश्त भुगतान नहीं है, अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि 459

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 460

खनन पट्टे के तहत किए जाने वाले वार्षिक भुगतान का संबंध लाभ के अधिग्रहण से है। अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए रॉयल्टी के किसी भी हिस्से को प्रीमियम के रूप में कैसे माना जाना चाहिए और खनन पट्टे के अधिग्रहण के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए।”

उपरोक्त उक्ति अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान और रॉयल्टी के भुगतान के बीच के अंतर के पहलू पर स्पष्ट है क्योंकि यह स्पष्ट शब्दों में निर्धारित करता है कि यदि कोई भुगतान किया जाता है, तो स्थायी लाभ या संपत्ति हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार के लिए किया जाता है, तो वही रॉयल्टी होगी। यह स्पष्ट शब्दों में आगे कहा गया है कि जहां कोई भुगतान पूंजीगत संपत्ति (विशेष रूप से उक्त मामले में खनन पट्टा) के अधिग्रहण के लिए संदर्भित नहीं है, लेकिन केवल संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित करता है, वही रॉयल्टी होगी और इसलिए राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

20.2. मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड में इस न्यायालय ने गोटन लाइम के फैसले पर भरोसा करते हुए एक ऐसे लेन-देन पर विचार किया जिसमें निर्धारिती ने भुगतान किया था: (क) उदयपुर में चीनी के निर्माण के लिए एकाधिकार अधिकार प्राप्त करने के लिए एकमुश्त भुगतान; और (ख) उदयपुर राज्य के शासक को निर्मित चीनी की कीमत के 2 प्रतिशत की दर से भुगतान, यह अभिनिर्धारित करता है कि अपीलार्थी द्वारा उत्पादित चीनी की कीमत पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी के भुगतान का अनुदान के तहत प्रदत्त एकाधिकार के लिए संदर्भित भुगतान से कोई संबंध नहीं है और इसलिए, यह राजस्व व्यय की प्रकृति में था।

20.3. रॉयल्टी के रूप में भुगतान का एक अन्य घटक यह है कि ज्यादातर मामलों में, यह संपत्ति के अधिग्रहण के बजाय किसी संपत्ति पर काम करके अर्जित लाभ या बिक्री से संबंधित है और उस पर निर्भर है। इस तरह के आवधिक भुगतान, विशेष रूप से वे जो लाभ के कारोबार पर आधारित हैं और जो किसी भी पूर्व निर्धारित एकमुश्त राशि से संबंधित नहीं हैं, रॉयल्टी के लिए हैं और राजस्व व्यय के रूप में सही ढंग से कटौती योग्य हैं।

20.4.सी. आई. बी. ए. इंडिया लिमिटेड में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि तकनीकी ज्ञान तक पहुंच के अधिकार और विदेशी कंपनी के निरंतर अनुसंधान और अनुभव के फल और इसके पेटेंट और ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए किया गया भुगतान राजस्व खाते पर प्रभार्य होगा। यह प्रदर्शित करेगा कि जहां तकनीकी जानकारी एक पूंजीगत संपत्ति है, वहां भी इसके केवल उपयोग के लिए या ट्रेडमार्क, व्यापार नाम या कुछ वस्तुओं के निर्माण और बिक्री के अधिकार के लिए भुगतान की गई राशि राजस्व व्यय के रूप में स्वीकार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

रॉयल्टी की प्रकृति में क्योंकि भुगतान संपत्ति के उपयोग के लिए किया जाता है न कि उसके अधिग्रहण के लिए। ऐसे मामलों में, रॉयल्टी के भुगतान का उपयोग करने के लिए अधिकृत संपत्ति के पूंजी मूल्य से कोई संबंध नहीं है।

21. हमारे विचार में, इस प्रश्न को निर्धारित करने में निम्नलिखित विचार महत्वहीन हैं, कि क्या भुगतान पूंजीगत संवितरण है या राजस्व व्यय की प्रकृति में है:

i. एकमुश्त और आवधिक भुगतान: अंतर्देशीय क्षेत्र में लॉर्ड ग्रीन

राजस्व बनाम विलियम्स, 11 आई. टी. आर. पूरक। 84 प्रसिद्ध टिप्पणी की,

“एकमुश्त और एकमुश्त के बीच अंतर में कोई जादू नहीं है।

आवधिक राशि "। यह कि व्यय एक आवधिक व्यय है या एकमुश्त भुगतान इसकी प्रकृति निर्धारित करने के उद्देश्य से कोई मायने नहीं रखता है। एकमुश्त भुगतान राजस्व व्यय हो सकता है, उदाहरण के लिए, जब यह वार्षिक राजस्व भुगतानों की एक श्रृंखला के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है; और एक आवर्ती आवधिक भुगतान पूंजीगत व्यय हो सकता है, उदाहरण के लिए जब यह एक पूंजी राशि की किश्तों द्वारा भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, असम बंगाल सीमेंट कंपनी के अनुसार।

लि.

ii. भुगतान का परिमाण: संवितरण का परिमाण इसकी प्रकृति निर्धारित करने के उद्देश्य से महत्वहीन है, क्योंकि, परिमाण

यह एक सापेक्ष शब्द है, प्रेन्डरगास्ट बनाम। कैमरून, 8 आई. टी. आर. सप्लीमेंट। 75 (एचएल)।

iii. लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ: यह कि व्यय की एक वस्तु को किसी संस्था की लेखा पुस्तकों में राजस्व खाते में डेबिट किया जाता है, किसी भी तरह से इसकी प्रकृति का निर्णायक नहीं है। व्यवसाय अक्सर राजस्व खाते में डेबिट करना पसंद करते हैं, जो भुगतान अपनी प्रकृति में पूंजी

खाते में किए जाते हैं। इसके विपरीत, एक निर्धारित व्यय के संबंध में राजस्व कटौती का हकदार हो सकता है जो है -

खातों में पूंजीकृत, इंडिया सीमेंट्स बनाम। आयकर आयुक्त, 60 आई. टी. आर. 52 (अनुसूचित जाति)।

22. यह विचार करते हुए कि क्या व्यय की कोई वस्तु पूंजी या राजस्व प्रकृति की है, हम दोहराते हैं कि किसी को चिंता की प्रकृति, उस चिंता में आमतौर पर अपनाए गए व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम और उस उद्देश्य पर विचार करना चाहिए जिसके साथ व्यय किया जाता है, असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड। न केवल लेनदेन के रूप पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि इसके 461 पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 462

पदार्थ। जहां लेन-देन किसी अनुबंध या अन्य विलेख का रूप लेता है, यह अनुबंध की शर्तों के उचित निर्माण पर निर्भर करता है कि क्या इसके तहत किया गया भुगतान पूंजी संवितरण है या राजस्व व्यय। लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को लेन-देन के व्यावसायिक पहलू पर जोर देकर एकत्र किया जाना चाहिए। बाहर जाने वाली पूंजी क्या है और राजस्व के कारण बाहर जाने वाली पूंजी क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यावहारिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से खर्च की गणना कैसे की जाती है। लेन-देन के इस पहलू को कानूनी अधिकारों के न्यायिक वर्गीकरण के साथ मिलान किया जाना है, यदि कोई हो, तो इस प्रक्रिया में सुरक्षित, नियोजित या समाप्त। 22.1. इसलिए, जो सामग्री है वह भुगतान या विचाराधीन लेनदेन के माध्यम से सुरक्षित किए जाने वाले अधिकार की प्रकृति है। जिस उद्देश्य के लिए व्यय किया जाता है, उसे व्यय को वर्गीकृत करने के किसी भी प्रयास का मार्गदर्शन करना चाहिए। लेन-देन की संरचना या रूप या भुगतान अनुसूची शायद ही लेन-देन की प्रकृति का संकेत देती है। इसलिए, यह स्वयं-सिद्ध रूप से नहीं माना जा सकता है कि एक ऐसा व्यय जिसे मूल रूप से पूंजी प्रकृति का माना जाता है, वास्तव में राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि भुगतान किशतों में संरचित है।

22.2. यह पता लगाने के लिए कि क्या किशतों के रूप में संरचित व्यय पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय की प्रकृति का है, पहले यह आकलन करना होगा कि क्या एकमुश्त या किशतों में किया गया भुगतान पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण या विस्तार से संबंधित है, या इसके विपरीत, लाभ उत्पन्न करने के लिए संपत्ति के काम करने से संबंधित है; क्या पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण या विस्तार के लिए देय प्रतिफल को सुविधा के लिए किशतों में देय छोटी राशियों में काट दिया गया है। पिंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इस न्यायालय का कथन इस संबंध में प्रासंगिक है। उक्त मामले में, बहुमत के फैसले में कहा गया कि उसमें विचाराधीन भुगतान दीर्घकालिक पट्टे और पत्थरों की खान का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, और पट्टे को निर्धारित को बता दिया गया था जिसे पत्थरों को निकालना था और उन्हें स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में परिवर्तित करना था। कि खर्च एक पूंजीगत संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए किया गया था, जिससे निष्कर्षण के बाद, पत्थरों

को स्टॉक-इन-ट्रेड में परिवर्तित किया जा सकता था। भुगतान, हालांकि आवधिक, वास्तव में, न तो किराया था और न ही रॉयल्टी, बल्कि निर्धारिती के व्यापार के लिए स्थायी लाभ की पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने के लिए किशतों में एकमुश्त भुगतान था। इसके अनुसार

अदालत "यह वास्तव में पूरी राशि थी जो उसके लिए छोटे भुगतानों में काट दी गई थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

सुविधा।" इसलिए, इस राशि को एक व्यावसायिक व्यय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हर महीने होने वाले खर्च को पत्थरों की खरीद पर खर्च के रूप में नहीं लिया जाना था, बल्कि जागीर के लिए एक मूल दायित्व के निर्वहन के रूप में लिया जाना था। ये अवलोकन एक ओर राजस्व व्यय और दूसरी ओर किशतों में किए गए पूंजीगत व्यय के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं।

22.3. इसी तरह, जालान ट्रेडिंग कंपनी में, इस न्यायालय ने व्यवसाय करने के अधिकार के लिए असाइनमेंट के विलेख के तहत विचार के रूप में 75 प्रतिशत लाभ अंश के आवधिक भुगतान के वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि वही पूंजीगत व्यय होगा। यह देखा गया कि उसमें निर्धारिती एक नई कंपनी थी और उसने अनुबंध के तहत अपने वार्षिक शुद्ध लाभ के 75 प्रतिशत के भुगतान पर समझौते के नवीनीकरण के अधीन दीर्घकालिक आधार पर व्यवसाय करने का अधिकार हासिल कर लिया था। कि चूंकि निर्धारिती ने एक पूंजी परिसंपत्ति (समनुदेशक का व्यवसाय करने का अधिकार) अर्जित कर लिया था, इसलिए इस तरह के अधिकार को प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान पूंजी प्रकृति का होगा। यह उक्ति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगी कि जब कोई व्यय अपनी मूल पूंजी प्रकृति में होता है, तो न तो यह तथ्य कि उसका भुगतान किशतों में किया गया था, और न ही यह तथ्य कि व्यय की मात्रा निर्धारिती के राजस्व या लाभ पर निर्भर थी, लेनदेन के वर्गीकरण में परिवर्तन की गारंटी देगा।

23. ऊपर चर्चा किए गए उदाहरणों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह कहते हुए अपने विचारों की शुरुआत करना आवश्यक है कि यह शायद अदालतों में सबसे परिचित तर्कों में से एक है (विशेष रूप से व्यय या प्राप्तियों के वर्गीकरण के रूप में किसी मुद्दे से जुड़े मामलों में), कि वर्तमान मामला रेखा के एक या दूसरे पक्ष में आने वाले किसी अन्य मामले से निकट समानता रखता है, और इसलिए उसी तरीके से निर्णय लिया जाना चाहिए। यह विचार लार्ड रैडक्लिफ ई द्वारा एनचंगा कॉपर माइंस में व्यक्त किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि

“पूँजी और आय खातों के बीच व्यय के आवंटन पर विचार करते हुए, सादृश्य से बहस करना लगभग अपरिहार्य है।” इस संदर्भ में,

हमें सही वर्गीकरण की खोज में किसी भी एक उदाहरण पर भरोसा करने और उक्त मामले के तथ्यों और मामले के तथ्यों के बीच समानताओं को आकर्षित करने का प्रयास करने की विषम संस्कृति को उजागर करना चाहिए। हम सोचते हैं कि पहले के मामलों में किए गए प्रस्तावों को, यदि एक अलग मामले पर लागू करने की कोशिश की जाए, जो उन प्रस्तावों के लेखकों के दिमाग में नहीं था, तो बेतुके परिणाम हो सकते हैं।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 464

463

इसके अलावा, यह सामान्य बात है कि किसी निर्णय के शब्दों का अर्थ उसी तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए जैसे किसी कानून में है। इसलिए, उक्त मामले के तथ्यों पर आधारित एक मामले के कथन को दूसरे तथ्य-स्थिति तक विस्तारित करना न तो बुद्धिमानी है और न ही उपयुक्त है, जो प्रतीत होता है कि समान है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह विशेष रूप से तब होता है जब ऐसी कोई मिसाल नहीं होती है जिसे एक समान तथ्य स्थिति में प्रस्तुत किया गया हो, जैसा कि तत्काल मामलों में होता है।

23.1. ऐसी स्थितियों में, समाधान किसी एक उदाहरण में नहीं मिल सकता है। इसे परिस्थितियों के पूरे समूह के कई पहलुओं से प्राप्त करना पड़ता है, जिनमें से कुछ एक दिशा की ओर इशारा कर सकते हैं, जबकि कुछ दूसरी दिशा की ओर। यह सभी मार्गदर्शक कारकों की सराहना है, जो सामान्य व्यावसायिक अर्थ में आधारित हैं, जिन्हें केवल सादृश्य या तुलना के बजाय अंतिम उत्तर प्रदान करना चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण के साथ हम दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ बार में उद्धृत कुछ उदाहरणों के आलोक में मामले के तथ्यों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

23.2. हम राजा के पीठ विभाग के कथन का भी उल्लेख करना चाहते हैं।

अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम। रामसे, 20 टी. सी. 79. तथ्य.

उक्त मामले में यह था कि निर्धारित 15,000 पाउंड के प्राथमिक विचार के लिए एक दंत चिकित्सा अभ्यास खरीदने के लिए सहमत हुआ, बशर्ते कि उसमें वृद्धि या कमी हो। प्राथमिक मूल्य समझौते के आदान-प्रदान पर £5,000 के भुगतान द्वारा और शेष राशि के रूप में, प्रत्येक वर्ष के लिए अभ्यास के शुद्ध लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि के दस वर्षों के भुगतान द्वारा संतुष्ट किया जाना था। यदि दस वर्षों में इस तरह से भुगतान की गई राशि, कुल मिलाकर, प्राथमिक खरीद मूल्य की शेष राशि से अधिक या कम थी, तो उस कीमत को तदनुसार बढ़ाया या कम माना जाना था। प्रत्येक वर्ष किए गए भुगतानों के वर्गीकरण के बारे में एक मुद्दे पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि समझौते के तहत भुगतान की गई वार्षिक राशि पूंजी की किश्तें हैं और राजस्व कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। 23.3. इसी तरह, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जालान ट्रेडिंग कंपनी में इस न्यायालय को व्यवसाय करने के अधिकार के लिए लाभ साझा करने के आधार पर वार्षिक भुगतान के वर्गीकरण से संबंधित मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि 75 प्रतिशत लाभ अंश का वार्षिक भुगतान

निर्धारिती द्वारा समनुदेशकों के व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए किया गया था, इसलिए भुगतान पूंजी प्रकृति का होगा। ऐसा करते हुए, इस न्यायालय ने निर्धारिती के इस तर्क की जांच की कि क्या था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

प्रतिफल के रूप में भुगतान एक पूर्व निर्धारित एकमुश्त राशि नहीं थी, बल्कि लाभ से वार्षिक भुगतान था, इस तरह के भुगतान को राजस्व प्रकृति का माना जाना चाहिए। इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त तर्क को यह सुझाव देते हुए खारिज कर दिया कि जब कोई व्यय अपनी मूल पूंजी प्रकृति में होता है, तो न तो यह तथ्य कि उसका भुगतान किश्तों में किया गया था, न ही यह तथ्य कि व्यय की मात्रा निर्धारिती के राजस्व या लाभ पर निर्भर थी, लेनदेन के वर्गीकरण में परिवर्तन की गारंटी देगा।

यह निर्णय मामले को तय करने में सभी चार पक्षों पर लागू होगा, क्योंकि परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का वार्षिक भुगतान केवल लाइसेंस शुल्क के लिए होता है और केवल इसलिए कि इसका भुगतान एजीआर के आधार पर वार्षिक किश्तों में किया जाता है, भुगतान को राजस्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। लाइसेंस शुल्क के वार्षिक भुगतान के साथ-साथ प्रवेश शुल्क भी एक एकल उद्देश्य से संबंधित है, यानी दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार का अधिग्रहण। यह अधिकार पूंजी परिसंपत्ति की प्रकृति का होने के कारण, अधिकार के अधिग्रहण के लिए किया गया कोई भी भुगतान, चाहे वह एकमुश्त हो या एजीआर पर निर्भर वार्षिक किश्तों में, पूंजी संवितरण की प्रकृति का होगा। 23.4. यह निष्कर्ष पिंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इस न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है, जिसमें 2 के बहुमत से: 1 यह अभिनिर्धारित किया गया कि खदान के पत्थरों को जीतने के लिए दीर्घकालिक पट्टे के अधिग्रहण के लिए भुगतान, हालांकि आवधिक था, न तो किराया था और न ही रॉयल्टी, बल्कि व्यापार के लिए स्थायी लाभ की पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने के लिए किश्तों में एकमुश्त भुगतान था। इस न्यायालय ने यह मानने से इनकार कर दिया कि आवधिक भुगतान पत्थरों की खरीद के लिए थे, लेकिन इसके बजाय यह राय दी कि भुगतान जागीर के लिए एक एकल मूल दायित्व के निर्वहन में थे। इसलिए, यह सामने आता है कि जहां आवधिक भुगतान किसी अधिकार के अधिग्रहण के लिए विचार के रूप में निर्धारिती द्वारा किए गए मूल दायित्व के लिए संदर्भित हैं या उनके साथ कोई संबंध है, तो आवधिक भुगतान पूंजीगत व्यय की प्रकृति में होंगे, इस तथ्य के बावजूद कि वे लाभ, सकल राजस्व या बिक्री के प्रतिशत के रूप में देय हैं।

24. इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में, चूंकि प्रवेश शुल्क के साथ-साथ परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क एक ही स्रोत के लिए पता लगाने योग्य हैं, इसलिए दोनों को पूंजी प्रकृति का माना जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान अलग-अलग तरीके से किया जाता है। हम उस मामले के कानून पर विचार करेंगे जिस पर विद्वान

वरिष्ठ वकील और उत्तरदाता-मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जाना चाहिए, ताकि उसे वर्तमान मामले से अलग किया जा सके।

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

465

24.1. हम सबसे पहले जोनस वुडहेड एंड संस मामले में इस अदालत के फैसले का विज्ञापन करेंगे। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 2 में, किसी भी अस्पष्ट शब्दों में, उक्त मामले में समझौते से उत्पन्न होने वाले दो अंतर्निहित लेन-देनों को शामिल किया गया है; संयंत्र की स्थापना के संबंध में जानकारी और तकनीकी जानकारी से संबंधित पहला लेन-देन और विदेशी एजेंसी द्वारा निर्धारिती को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित दूसरा लेन-देन, दूसरे हिस्से के लिए प्रतिफल रॉयल्टी की प्रकृति में है। इस पृष्ठभूमि में समेकित भुगतान को विभाजित किया गया था और इसका 25 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया था, जबकि सेवाओं पर देय 75 प्रतिशत को राजस्व व्यय माना गया था।

इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उक्त मामले में उपरोक्त अंशों में विभाजन का अभ्यास मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, राजस्व ने सेवाओं के लिए 75 प्रतिशत के विभाजन से संबंधित मामलों पर इस न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता नहीं दी। निर्धारिती ने जिसके खिलाफ अपील की थी, वह समेकित व्यय के 25 प्रतिशत को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में थी। इस न्यायालय के समक्ष केवल निर्धारिती ही अपीलार्थी था। इसलिए, सेवाओं के लिए 75 प्रतिशत के विभाजन के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा उक्त मामले में विचार नहीं किया गया और निर्णय नहीं लिया गया।

हमारा विचार है कि जोनस वुडहेड एंड संस मामले में इस न्यायालय का निर्णय प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता के लिए नहीं आएगा क्योंकि उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा किसी एक अधिकार से संबंधित नहीं था जिसमें इसके लिए किए गए भुगतान को आंशिक रूप से पूंजी और आंशिक रूप से राजस्व माना गया था। उक्त मामले में भुगतान का उद्देश्य दो अलग-अलग विषय मामलों और इसलिए पूंजी और राजस्व व्यय के बीच विभाजन के लिए पता लगाया जा सकता था। हालांकि, वर्तमान मामले में, प्रवेश शुल्क के साथ-साथ परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का पता उसी स्रोत से लगाया जा सकता है।

24.2. इसी तरह, बेस्ट एंड कंपनी में, इस न्यायालय ने दो अलग-अलग लेनदेनों पर व्यय की प्रकृति का फैसला किया, हालांकि किए गए भुगतान प्रकृति में समेकित थे। पहला लेन-देन एजेंसी व्यवसाय की समाप्ति के लिए मूलधन द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे से संबंधित था, जबकि दूसरा गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के लिए किए गए भुगतान के संबंध में था। पहले पहलू पर, अर्थात् एजेंसी के नुकसान के लिए प्राप्त मुआवजे पर, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क्या एजेंसी के नुकसान से पूरी व्यावसायिक संरचना प्रभावित होगी, जिसके परिणामस्वरूप

स्थायी प्रकृति, या, क्या यह व्यवसाय के दौरान एक सामान्य घटना के कारण नुकसान था। यदि यह पहला था, तो यह पूंजी होगी, और यदि यह दूसरा था, तो यह प्रकृति में राजस्व होगा। प्रथम लेन-देन के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि निर्धारिती द्वारा उक्त एजेंसी का नुकसान केवल एक सामान्य व्यापारिक नुकसान था और इसलिए इस संबंध में प्राप्त आय एक राजस्व रसीद थी। गैर-प्रतिस्पर्धा खंड के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह एक प्रतिबंधात्मक वाचा थी और इसलिए यह प्रकृति में पूंजी थी। इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 14 में यह दर्ज किया गया था

स्पष्ट शब्दों में कि "भुगतान किया गया मुआवजा दो अलग-अलग मामलों के संबंध में था, एक पूंजी रसीद और दूसरा राजस्व रसीद के रूप में।" इसलिए, बेस्ट एंड कंपनी एक ऐसा मामला है जहाँ दो

स्वतंत्र लेन-देन पर विचार किया जाता था, जिनमें से एक को पूंजी के रूप में और दूसरे को राजस्व के रूप में रखा जाता था। यह मामला आंशिक रूप से पूंजी और आंशिक रूप से राजस्व होने के समान अधिकार के लिए व्यय का निर्णय नहीं करता था।

24.3. अब हम मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करेंगे।

सदर्न स्विच गियर लिमिटेड के पैराग्राफ 2 में इस अदालत ने याचिका दायर की है।

उच्च न्यायालय के निर्णय में दो अलग-अलग लेन-देन दर्ज किए गए हैं: एक, स्विच गियर उत्पादों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए और दूसरा, आधुनिक विकास को साझा करना और यूनाइटेड किंगडम में कारखाने में आवश्यक कर्मियों को प्रशिक्षित करना था। प्रत्येक £4000 की पाँच किश्तों में देय £20,000 का भुगतान किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 5 में समझौते के खंड 6 का उल्लेख किया गया है जो जानकारी और उसके खंड 7 से संबंधित है, जो कर्मचारियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी की सिफारिश करने और उन्हें कारखाने में प्रशिक्षित करने के अलावा पर्यवेक्षण और निर्देश से संबंधित है। पैराग्राफ 6 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तकनीकी ज्ञान पर व्यय प्रकृति में पूंजी है और इसे 25 प्रतिशत पर विभाजित किया जाना चाहिए और विचार के 75 प्रतिशत से संबंधित प्रदान की गई सेवाएं प्रकृति में राजस्व थीं। जब निर्धारिती ने इस न्यायालय के समक्ष इस निर्णय के खिलाफ अपील का नेतृत्व किया कि तकनीकी ज्ञान पूंजी की प्रकृति का है और इसे 25 प्रतिशत पर विभाजित किया जाना चाहिए, तो अपील खारिज कर दी गई।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि उक्त मामला व्यय के एक स्रोत को विभाजित करने से भी संबंधित नहीं था, आंशिक रूप से पूंजी के रूप में और आंशिक रूप से प्रकृति में राजस्व के रूप में। उक्त मामले में, न्यायालयों ने व्यय के दो अलग-अलग घटकों की जांच की है और एक घटक को पूंजी प्रकृति का माना है जबकि दूसरा राजस्व प्रकृति का है।

24.4. इसके बाद, हम शारदा बाइंडिंग वर्क्स में उन तथ्यों का विज्ञापन करते हैं जिन पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दातार द्वारा भारी निर्भरता रखी गई थी। उक्त मामले से संबंधित समझौते में दो पहलुओं को व्यक्त करने की परिकल्पना की गई है: सबसे पहले, रुपये की निश्चित राशि के भुगतान पर 'चंदामामा प्रकाशन' का व्यवसाय चलाने का अधिकार। 5000/- प्रति वर्ष; दूसरा, वार्षिक शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत के बराबर बिक्री पर वार्षिक रूप से रॉयल्टी का भुगतान किया जाना। उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यवसाय चलाने का अधिकार प्रकृति में पूंजी है, जबकि प्रति वर्ष 10 प्रतिशत लाभ का बंटवारा प्रकृति में राजस्व है। समापन पैराग्राफ में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले कि 10 प्रतिशत लाभ बंटवारा राजस्व व्यय क्यों होगा:

आई. रॉयल्टी के रूप में एक अनिश्चित अवधि के लिए किसी व्यवसाय के लाभ के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में गणना किए गए भुगतान को पूंजीगत राशि की किश्तों द्वारा भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ii. रॉयल्टी का भुगतान निर्धारिती के भविष्य के मुनाफे से संबंधित था और इसका पूंजी राशि के साथ कोई संबंध नहीं था।

उक्त मामले में, इस अधिनियम के स्पष्ट निहितार्थ हैं कि किसी भी निश्चित अवधि के अभाव में किश्तों में रॉयल्टी के भुगतान को व्यापार करने के अधिकार से नहीं जोड़ा जा सकता है। कि रॉयल्टी के भुगतान का पूंजी राशि के साथ कोई संबंध नहीं था। हालांकि, वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि सालाना देय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण, यानी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह प्रवेश शुल्क के साथ-साथ परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान है जो निर्धारिती को उक्त व्यवसाय को जारी रखने में सक्षम बनाता है। अतः उपरोक्त मामला वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होगा।

24.5. श्री दातार ने मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा करने की मांग की है। हालांकि, हम यह नहीं देखते हैं कि यह निर्णय प्रतिवादियों के मामले को कैसे मजबूत करेगा। उक्त मामले में, 05 अप्रैल, 1932 के एक समझौते द्वारा लाइसेंस के अनुदान में दो अलग-अलग पहलुओं पर विचार किया गया: पहला, गन्ने की खेती और चीनी का उत्पादन करने का एकाधिकार अधिकार, और दूसरा, निर्मित चीनी की कीमत पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान। उस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने कहा कि निर्मित चीनी पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान राजस्व व्यय था, जबकि प्राप्त एकाधिकार अधिकारों के संबंध में किया गया भुगतान पूंजीगत प्रकृति का था। यह देखा गया कि सरकार द्वारा निर्मित चीनी की कीमत पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान

[2023] 13 एस सी आर।

उसमें अपीलार्थी का अनुदान के तहत प्रदत्त एकाधिकार के लिए संदर्भित भुगतान के साथ कोई संबंध नहीं था।

उक्त मामले में, इस न्यायालय का कथन इस आशय के लिए स्पष्ट है कि निर्माण पर आधारित रॉयल्टी किसी भी तरह से एकाधिकार अधिकारों के अधिग्रहण से जुड़ी नहीं थी। लेकिन इस तरह की कार्रवाई वर्तमान मामले के तथ्यों में गलत होगी क्योंकि जो भुगतान किया जाता है वह केवल लाइसेंस शुल्क के माध्यम से अधिकार के अधिग्रहण के लिए होता है। इसके अलावा, उक्त मामले में, रॉयल्टी भुगतान को व्यवसाय करने के अधिकार के भुगतान से अलग कर दिया गया था क्योंकि रॉयल्टी का भुगतान करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप, किसी भी तरह से, व्यापार करने के अधिकार को वापस नहीं लिया जा सकता था। चाहे रॉयल्टी का भुगतान किया गया हो या नहीं, व्यापार जारी रखने का अधिकार अनिश्चित बना रहता। रॉयल्टी का भुगतान करने में विफलता, अधिक से अधिक, नागरिक परिणामों का कारण बन सकती थी, लेकिन व्यापार करने के अधिकार को रद्द नहीं किया जा सकता था, जबकि, मामलों के इस समूह में, स्थिति समान नहीं है। मान लीजिए, वार्षिक परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में कोई भी विफलता अनिवार्य रूप से टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 8 के तहत लाइसेंस को रद्द करने का कारण बनेगी। इसके अलावा, उत्तरदाताओं को वैध लाइसेंस के अभाव में एक दिन के लिए भी दूरसंचार सेवाओं का व्यवसाय करने से अक्षम कर दिया जाएगा। उक्त व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार को जारी रखना प्रवेश शुल्क के साथ-साथ परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क दोनों के भुगतान पर निर्भर है। इसलिए, हम मामलों के इस समूह में प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं के पक्ष में रहने के लिए मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के उक्ति पर भरोसा करने में असमर्थ हैं। 25. उपरोक्त चर्चा के आलोक में और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए परीक्षणों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में विस्तृत है, हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क को दो अवधियों में विभाजित करके आंशिक रूप से राजस्व और आंशिक रूप से पूंजी के रूप में विभाजित करने में सही था, यानी 31 जुलाई, 1999 से पहले और बाद में और तदनुसार यह अभिनिर्धारित करते हुए कि 31 जुलाई, 1999 तक की अवधि के लिए भुगतान या देय लाइसेंस शुल्क, यानी 1999 की नीति में निर्धारित तिथि को पूंजी के रूप में माना जाना चाहिए और उक्त तिथि को या उसके बाद देय शेष राशि को राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए।

हम निम्नलिखित कारणों से उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक, निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में देते हैं:

आई. इस न्यायालय के फैसलों पर उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई निर्भरता

जोनास वुडहेड एंड संस एंड बेस्ट एंड कंपनी और निर्णय 469

सदर्न स्विच गियर लिमिटेड में मद्रास उच्च न्यायालय का, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, गलत प्रतीत होता है क्योंकि उक्त मामले किसी एक स्रोत/उद्देश्य से संबंधित नहीं थे, जिसके लिए विभिन्न रूपों में भुगतान किए गए थे। इसके विपरीत, उक्त मामलों में, भुगतान का उद्देश्य विभिन्न विषयों के मामलों में पता लगाया जा सकता था और तदनुसार, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि भुगतान को विभाजित किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किया गया लाइसेंस दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए एक ही लाइसेंस है। चूंकि यह विभाज्य अधिकारों के लिए लाइसेंस नहीं है जो विभाज्य भुगतानों की कल्पना करता है, इसलिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान को आंशिक रूप से पूंजी और आंशिक रूप से राजस्व व्यय के रूप में विभाजित करना बिना किसी कानूनी आधार के है। iii. शायद, उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखा जा सकता था यदि तथ्य ऐसे होते कि भले ही उत्तरदाता-संचालक एजीआर के आधार पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करते, फिर भी वे नेटवर्क स्थापित करने और दूरसंचार व्यवसाय चलाने का अधिकार रखने में सक्षम होते। हालाँकि, इस तरह के अधिकार को टेलीग्राफ अधिनियम की योजना के तहत संरक्षित नहीं किया गया है, जिसका हमने ऊपर विवरण दिया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा किया गया विभाजन टिकाऊ नहीं है।

iii. यह तथ्य कि वार्षिक परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफलता से लाइसेंस रद्द या रद्द हो जाता है, इस कानूनी स्थिति को सही साबित करता है कि वार्षिक परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का भुगतान दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने के अधिकार के लिए किया जाता है। हालांकि लाइसेंस शुल्क का भुगतान अलग-अलग या स्थगित तरीके से किया जाता है, लेकिन भुगतान की प्रकृति, जो स्पष्ट रूप से लाइसेंस की शर्तों से देय है, को फिर से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। केवल भुगतान के तरीके पर विचार करके एक एकल लेनदेन को कृत्रिम तरीके से पूंजी भुगतान और राजस्व भुगतान में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस तरह का वर्णन इस न्यायालय की कानून और निर्णयों की तय स्थिति के विपरीत होगा, जो सुझाव देता है कि केवल किशतों में राशि का भुगतान पूंजी भुगतान को राजस्व भुगतान में परिवर्तित या परिवर्तित नहीं करता है।

iv. यह सामान्य बात है कि जहां एक लेन-देन में दो भागों में भुगतान होते हैं, यानी शुरुआत में किया गया एकमुश्त भुगतान, उसका पालन किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आवधिक भुगतानों द्वारा, दोनों भुगतानों की प्रकृति केवल तभी अलग होगी जब आवधिक भुगतान का निर्धारिती के मूल दायित्व के साथ कोई संबंध नहीं होगा। हालांकि, वर्तमान मामले

में, क्रमिक किश्तें एक ही दायित्व से संबंधित हैं, यानी, एक समग्र रूप से दूरसंचार सेवाओं को स्थापित करने, बनाए रखने और संचालित करने के अधिकार के लिए विचार के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थापित करने के अधिकार के अभाव में दूरसंचार सेवाओं का रखरखाव और संचालन संभव नहीं है। अतः संचयी व्यय को पूँजी की प्रकृति का मानना होगा।

v. इस प्रकार, लाइसेंस प्रदान करके उत्तरदाताओं-मूल्यांकनकर्ताओं को दिया गया समग्र अधिकार, दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन का अधिकार है। उक्त समग्र अधिकार को एक ओर दूरसंचार सेवाओं को स्थापित करने के अधिकार और दूसरी ओर दूरसंचार सेवाओं को बनाए रखने और संचालित करने के अधिकार में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस तरह का विभाजन लाइसेंस समझौते और 1999 की नीति की शर्तों के विपरीत है।

vi. इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1994 की नीति व्यवस्था के तहत भी लाइसेंस शुल्क के भुगतान में दो भाग शामिल थे:

क) लाइसेंस व्यवस्था के पहले तीन वर्षों में एक निश्चित भुगतान; ख) अभिदाताओं की संख्या के आधार पर लाइसेंस व्यवस्था के चौथे वर्ष से एक परिवर्तनीय भुगतान।

यह स्वीकार करने के बाद कि 1994 की नीति व्यवस्था के तहत लाइसेंस शुल्क के अनिवार्य और परिवर्तनीय दोनों घटकों का विधिवत परिशोधन किया जाना चाहिए, 1999 की नीति व्यवस्था के तहत इसे राजस्व व्यय के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं था, जहां तक परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क का संबंध है।

26. 1999 की नीति के अनुसार, एक बहु-लाइसेंस व्यवस्था होनी थी ताकि किसी भी सेवा क्षेत्र में कितने भी लाइसेंस जारी किए जा सकें। इसके अलावा, लाइसेंस पिछली व्यवस्था के अनुसार दस साल के बजाय बीस साल की अवधि के लिए था। 1999 की नीति में स्थानांतरण इस शर्त पर था कि पूरी नीति को एक पैकेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप, 31 जुलाई, 1999 तक की अवधि से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही और विवादों को बंद किया जाना था। यदि 1999 471 की नीति के लिए प्रवास

सी. आई. टी., दिल्ली बनाम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] 472

इसमें निर्धारित या अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया था, फिर 31 जुलाई, 1999 तक भुगतान किए गए सभी लाइसेंस शुल्क को एकमुश्त लाइसेंस शुल्क के रूप में घोषित किया गया था जैसा कि 22 जुलाई, 1999 के संचार में कहा गया था जिसे पूंजीगत व्यय माना गया था। 1999 की नीति के तहत दिया गया लाइसेंस गैर-हस्तांतरणीय और गैर-हस्तांतरणीय था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि लाइसेंस शुल्क के भुगतान में कोई चूक हुई थी, तो साठ दिनों के नोटिस के बाद पूरा लाइसेंस रद्द किया जा सकता था। टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधान

विशेष रूप से इसकी धारा 8 भी इसी आशय के हैं। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, हम मानते हैं कि 1999 की नीति के तहत दूरसंचार विभाग को प्रवेश शुल्क के भुगतान के साथ-साथ उत्तरदाताओं-निर्धारकों द्वारा भुगतान किया गया परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क पूंजीगत प्रकृति का है और अधिनियम की धारा 35 एबीबी के अनुसार इसका परिशोधन किया जा सकता है। हमारे विचार में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए किए गए व्यय को आंशिक रूप से राजस्व और आंशिक रूप से पूंजी के रूप में विभाजित करने के लिए लाइसेंस शुल्क को दो अवधियों, यानी 31 जुलाई, 1999 से पहले और बाद में विभाजित किया और तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया कि 31 जुलाई, 1999 तक की अवधि के लिए भुगतान या देय लाइसेंस शुल्क, यानी 1999 की नीति में निर्धारित तिथि को पूंजी के रूप में माना जाना चाहिए और उक्त तिथि को या उसके बाद देय शेष राशि को राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए। भुगतान के एक ही उद्देश्य के लिए होने की प्रकृति का केवल भुगतान के तरीके या माप में परिवर्तन या उस मामले के लिए वार्षिक आधार पर भुगतान किए जाने के कारण अलग-अलग लक्षण नहीं हो सकते हैं।

27. इसलिए, अंतिम विश्लेषण में, नामकरण और भुगतान का तरीका अप्रासंगिक है। 31 जुलाई, 1999 के बाद का भुगतान 31 जुलाई, 1999 से पहले के भुगतान की निरंतरता है, हालांकि एक परिवर्तित प्रारूप में जो भुगतान के सार को नहीं छीनता है। यह एक अनिवार्य भुगतान है जिसका पता मूलभूत दस्तावेज यानी 1999 की नीति में स्थानांतरण के बाद संशोधित लाइसेंस समझौते से लगाया जा सकता है। भुगतान न करने के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी को व्यापार से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार, यह एक ऐसा भुगतान है जो लाइसेंस के अस्तित्व के साथ-साथ व्यापार के लिए भी स्वाभाविक है। इस तरह के भुगतान को केवल पूंजी के रूप में माना या चित्रित किया जाना चाहिए।

28. परिणामस्वरूप, 2010 के आई. टी. ए. सं. 1336 में 19 दिसंबर, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय और संबंधित मामलों को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। दिल्ली, बॉम्बे और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

दिल्ली उच्च न्यायालय की 19 दिसंबर, 2013 की खंड पीठ को भी इसके परिणामस्वरूप रद्द कर दिया गया है।

अपीलार्थी (ओं)-राजस्व के नेतृत्व में अपीलियों की अनुमति है। दल अपन-अपन लागत वहन करत।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस

सहायता दी: शुभांशु दास, एलसीआरए